खण्ड-447, अंक-5
सोमवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1925
(8 दिसम्बर, 2003 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2003)

खण्ड 447 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2003

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | क–ङ |
| प्रश्नोत्तर (जारी) ... ... ... | 1-6 |
| जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत सराय ज्ञानवती में सड़क निर्माण के विवाद में एक दलित की गोली लगने से हुई मृत्यु की सूचना तथा दोषीजनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग .. ... ... | 6-7 |
| प्रश्नोत्तर (क्रमागत) ... ... ... | 7-52 |
| नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 52 |
| जनपद शाहजहांपुर की सीमा में राष्ट्रीय राज मार्ग 24 पर सुरक्षात्मक बांध के निर्माण हेतु वर्ष 2000 में अधिग्रहीत की गयी किसानों की जमीन का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 52-53 |
| जनपद चन्दौली के पड़ाव भुपौली मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 53 |
| आबकारी विभाग द्वारा शराब के ठेके आवंटित करने में पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के बेरोजगारों को आरक्षण देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 53 |
| जनपद जौनपुर के मुफ्तिगंज विकास खण्ड में उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 54 |
| जनपद जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 54 |
| जनपद हरदोई के विलग्राम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुसुमखोर गंगाघाट पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ... | 54 |
| नगरपालिका परिषद् बांदा में सफाई कर्मियों का फर्जी तरीके से जी०पी०एफ० फण्ड से पैसा निकाले जाने की जांच कराने एवं संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... | 54-55 |
| कानपुर देहात के थाना रूरा में महिला के साथ दरोगा एवं सिपाहियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने का प्रकरण ... ... ... | 55 |
| नियम–51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में निहित आश्वासन की पूर्ति न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 55 |
| अनुदानों की मांगों पर विचार करने के लिए बजट साहित्य चार दिन पूर्व उपलब्ध न कराये जाने पर औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 56-57 |
| उत्तर प्रदेश मोटरयान (पांचवा संशोधन) नियमावली, 2003 .....(सदन के पटल पर रखी गयी) ..... ... ..... | 57 |
| उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखे विवरण वर्ष 2000-2001 ..... (सदन के पटल पर रखे गये ) ... ... ... | 57 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 57 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 ..... (पुरःस्थापित) ... | 57-58 |
| कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ... ... ... | 58 |
| फर्जी स्टैम्प घोटाला प्रकरण को उठाने का प्रयास ... ... | 58 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... ... | 59-65 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ... ... | 65-104 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) .. (स्वीकृत)... | 104-105 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ..... (स्वीकृत) ... | 105-106 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..... (स्वीकृत) | 106-107 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ..... (स्वीकृत)... | 107-108 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) ..... (स्वीकृत) ... ... ... | 108 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) ..... (स्वीकृत) ... ... ... | 109 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–01 आवकारी विभाग ..... (स्वीकृत) .. | 109-110 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक तथा रेशम विकास) ..... (स्वीकृत) ... ... ... | 110-111 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ..... (स्वीकृत) .. | 111-112 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) ..... (स्वीकृत) ... | 112 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) ...(स्वीकृत) | 113 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) .... (स्वीकृत) ... ... ... | 113-114 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) .....(स्वीकृत) ... ... ... | 114-115 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग ..... (स्वीकृत)... ... | 115 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–22 खेल विभाग ..... (स्वीकृत) ... ... | 115-116 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) ..... (स्वीकृत) ... | 116 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ..... (स्वीकृत) ... | 116-117 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग ..... (स्वीकृत) ... | 117-118 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग परं चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) ..... (स्वीकृत) .... .... ... | 118 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरधा उद्योग) ..... (स्वीकृत) ... | 118-119 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) .....(स्वीकृत) ... | 119-120 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) .....(स्वीकृत) ... | 120 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) ..... (स्वीकृत) .... ... ... | 120-121 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ..... (स्वीकृत) ... ... ... | 121 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग ..... (स्वीकृत) .... | 122-123 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) ..... (स्वीकृत) | 123 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) .....(स्वीकृत) ... | 124 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग ..... (स्वीकृत) ... | 124 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–38 राष्ट्रीय उड्डयन विभाग ..... (स्वीकृत) ... | 125 |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग .....(स्वीकृत) ... .... | |
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..... (स्वीकृत) .... | 125-126 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| मुख्य मंत्री द्वारा नई ऊर्जा, गन्ना तथा ग्राम्य विकास नीति की घोषणा ... | 126-137 |
| उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव का स्थगन ... ... | 137 |
| नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 138 |
| प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... ... | 139-141 |
| जनपद बलिया में श्री ओम प्रकाश राय के घर हुई लूट से सम्बन्धित अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने विषयक श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... .... | 141-142 |
| ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर बढ़ा कर नोएडा के बराबर किये जाने के सम्बन्ध में श्री भाव सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... .... | 142-143 |
| पूर्वी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों की स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य .... ... ... | 143-145 |
| नत्थी .... ... ... | 146 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## चौदहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2003

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 01 मिनट पर उपाध्यक्ष डा० वकार अहमद शाह की अध्यक्षा में आरम्भ हुई ।

(कोरम के अभाव में सदन की बैठक 1 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

**उपस्थित सदस्य–342**

| | | | |
|---|---|---|---|
| अकीलुर्रहमान खां, श्री | मुरादाबाद | अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री | बाराबंकी |
| अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच | अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० | जालौन |
| अजय कुमार, श्री | बागपत | अरुण कुमारी, श्रीमती | कानपुर देहात |
| अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री | बदायूं | अरुणवीर सिंह, श्री | बहराइच |
| अजीम भाई, श्री | फिरोजाबाद | अरुणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| अताउल रहमान, श्री | बरेली | अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहांपुर |
| अनवर महमूद, श्री | बलरामपुर | अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अनार सिंह दिवाकर, श्री | एटा | अशोक बाजपेयी,डा० | हरदोई |
| अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर | आदित्य विक्रम सिंह | |
| अनिल कुमार वर्मा, श्री | सीतापुर | (बोकू सिंह), श्री | सिद्धार्थनगर |
| अनिल कुमार पासवान, श्री | हरदोई | आनन्द प्रकाश लोधी, श्री | फतेहपुर |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा | आनन्द सेन, श्री | फैजाबाद |
| अनिल सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर | आर० के० चौधरी, श्री | लखनऊ |
| अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री | देवरिया | आर० के० सिंह पटेल,श्री | चित्रकूट |
| अनुराधा चौधरी, श्रीमती | बलिया | आलम बदी, श्री | आजमगढ़ |
| अनूप कुमार पाण्डेय, श्री | बस्ती | आलोक कुमार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| अन्सार अहमद, श्री | इलाहाबाद | आशीष यादव, श्री | बदायूं |
| अब्दुल कलाम, श्री | वाराणसी | आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री | बदायूं |
| अब्दुल कलाम, श्री | संत कबीर नगर | इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई | इन्द्रजीत सरोज, श्री | कौशाम्बी |
| अब्बास अली जैदी उर्फ | | इन्द्रदेव सिंह, डा० | बिजनौर |
| रुशदी मियां, श्री | बाराबंकी | इलम सिंह, श्री | सहारनपुर |
| अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री | फतेहपुर | उदयभान करवरिया, श्री | इलाहाबाद |
| अमर मणि, श्री | महाराजगंज | उदयराज यादव,श्री | उन्नाव |
| अमर सिंह यादव पुत्र | | उमा किरन, श्रीमती | मुजफ्फरनगर |
| श्री सुन्दर सिंह, श्री | हाथरस | ऊषा वर्मा, श्रीमती | हरदोई |
| अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया | ओइमवेश, स्वामी | बिजनौर |
| अम्बेश कुमारी, श्रीमती | महोबा | ओमकार सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर | ओम प्रकाश, श्री | गाजीपुर |
| अरविन्द गिरि, श्री | खीरी | ओम प्रकाश, श्री | सीतापुर |

| | |
|---|---|
| ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| कपिल देव यादव, श्री | मऊ |
| कमलेश कुमार, श्री | गोरखपुर |
| कमाल यूसुफ मलिक, श्री | सिद्धार्थनगर |
| कल्यान सिंह दोहरे, श्री | कन्नौज |
| काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब | समपुर |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| कालीचरन राजभर, श्री | गाजीपुर |
| काशी राम, श्री | रामपुर |
| किरण पाल कश्यप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| किरनपाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| किशन लाल बघेल, सेठ | आगरा |
| कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री | बिजनौर |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री | हरदोई |
| कृष्णानन्द राय, श्री | ग्जीपुर |
| कृष्णा पासवान, श्रीमती | फतेहपुर |
| केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |
| कैलाश, श्री | गाजीपुर |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री | वाराणसी |
| कोविद कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| कौकब हमीद खां, श्री | बागपत |
| कौशल किशोर, श्री | खीरी |
| कौशल किशोर, श्री | लखनऊ |
| गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री | आगरा |
| गंगा बक्श सिंह, डा० | उन्नाव |
| गीता सिंह, श्रीमती | बलरामपुर |
| गुलाब देवी, श्रीमती | मुरादाबाद |
| घनश्याम शुक्ल, श्री | गोण्डा |
| घूरा राम, श्री | बलिया |
| चन्द्र किशोर, श्री | महराजगंज |
| चन्द्रदेव राम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| चन्द्र भद्र सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री | श्रावस्ती |
| चितरंजन स्वरूप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| छेदी राम, श्री | गाजीपुर |
| छोटे लाल यादव, श्री | बाराबंकी |
| छोटे लाल वर्मा, श्री | आगरा |
| जंग बहादुर, श्री | सुल्तानपुर |
| जगदम्बिका पाल, श्री | वस्ती |
| जगदीश नारायण (राय), श्री | जौनपुर |
| जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री | कुशीनगर |
| जगदीश सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जगदीश सोनकर, श्री | जौनपुर |
| जगन प्रसाद गर्ग, श्री | आगरा |
| जगराम सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| जटाशंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री | फर्रुखाबाद |
| जय प्रकाश यादव, श्री | गोरखपुर |
| जय प्रताप सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| जयराम विमल, श्री | अम्बेडकर नगर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जियाउद्दीन रिजवी, श्री | बलिया |
| ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री | महराजगंज |
| तेजपाल सिंह, श्री | मथुरा |
| दद्दू प्रसाद, श्री | चित्रकूट |
| दयाराम, श्री | कौशाम्बी |
| दया शंकर वर्मा, श्री | जालौन |
| दिनेश सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दीनानाथ कुशवाहा, श्री | देवरिया |
| दीनानाथ भाष्कर, श्री | सन्त रविदास नगर, भदोही |
| दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री | देवरिया |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| देवकी नन्दन, श्री | हाथरस |
| देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री | गोरखपुर |
| देवेन्द्र नागपाल, श्री | ज्योतिबाफूले नगर |
| देवेन्द्र प्रताप, श्री | एटा |
| देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | रायबरेली |
| द्वारिका प्रसाद, श्री | सन्त कबीर नगर |
| धर्मपाल सिंह, श्री | गाजियाबाद |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकर नगर |

धर्म सिंह सैनी, डा० सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
धू राम, श्री हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
पकौड़ी लाल, श्री मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
परागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
पी० के० राय, डा० कुशीनगर
पीतम राम, श्री पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
प्रभु दयाल, श्री मेरठ
प्रभु नारायण, श्री वाराणसो
प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
फसीहा बशीर चौधरी, (श्रीमती) देवरिया
फागू, श्री मऊ
बंशीधर राज, श्री खीरी
बलराम यादव, श्री आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
बाबू राम, एम०काम०, श्री जालौन
बाबू लाल, श्री गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
मदन भैया, श्री बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
मशहूद खां, श्री बलरामपुर
मस्तराम चौ०, एडवोकेट उन्नाव
महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
मूलचन्द्र, श्री बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
यशपाल चौधरी, श्री खीरी
यशवन्त सिंह, डा० मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री बांदा
योगेश प्रताप सिंह उर्फ
योगेश भइया, श्री गोण्डा
रणवीर राणा, श्री मेरठ

| | |
|---|---|
| रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर | कुशीनगर |
| रतन लाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश चन्द बिन्द, डा० | मिर्जापुर |
| रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० | मेरठ |
| राकेश कुमार वर्मा, श्री | बाराबंकी |
| राकेश पाण्डेय, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राकेश सचान, श्री | कानपुर देहात |
| राज किशोर सिंह, श्री | बस्ती |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजपाल सिंह बालियान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजपाल सिंह सैनी, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजरानी रावत, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजा राम, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री | लखनऊ |
| राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री | एटा |
| राजेन्द्र सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| राजेश अग्रवाल, श्री | बरेली |
| राजेश कुमार, श्री | खीरी |
| राधा मोहन दास अग्रवाल, डा० | गोरखपुर |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राधेश्याम सिंह, श्री | कुशीनगर |
| राम अचल राजभर, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राम इकबाल सिंह, श्री | बलिया |
| राम करन आर्य, श्री | बस्ती |
| राम किशुन, श्री | वाराणसी |
| राम कृपाल, श्री | इलाहाबाद |
| राम कृष्ण, श्री | सीतापुर |
| राम गोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| रामजी शुक्ला, श्री | औरैया |
| राम नरेश यादव, श्री | आजमगढ़ |
| रामपाल यादव, श्री | सीतापुर |
| राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री | कन्नौज |
| राम प्रताप सिंह, श्री | गोण्डा |
| राम बाबू हरित, डा० | आगरा |
| राम बिशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| राम भुआल निषाद, श्री | गोरखपुर |
| राम लाल अकेला, श्री | रायबरेली |
| रामवीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | बिजनौर |
| रामहेत, श्री | सीतापुर |
| रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा |
| रिजवान अहमद खां, श्री | ज्योतिबा फूले नगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| रेवती रमण सिंह, कुं० | इलाहाबाद |
| लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० | मेरठ |
| लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लाल जी वर्मा, श्री | अम्बेडकर नगर |
| लाल बहादुर यादव, श्री | जौनपुर |
| वकार अहमद शाह, डा० | बहराइच |
| वसीम अहमद, श्री | आजमगढ़ |
| विजमा यादव, श्रीमती | इलाहाबाद |
| विजय कुमार मिश्रा, श्री | सन्त रविदासनगर, भदोही |
| विजय बहादुर पाल, श्री | कन्नौज |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विजेन्द्र सिंह, श्री | हाथरस |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्या सागर गुप्ता, श्री | लखनऊ |
| विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री | गोण्डा |
| विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री | इटावा |
| विनोद कुमार सिंह, श्री | जौनपुर |
| विनोद तिवारी, डा० | पीलीभीत |
| विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री | बदायूं |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विश्राम सिंह यादव, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री | शाहजहांपुर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | वाराणसी |
| वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री | ललितपुर |

| | |
|---|---|
| वीरेश्वर, श्री | अलीगढ़ |
| शंख लाल मांझी, श्री | सन्त कबीर नगर |
| शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री | सन्त रविदासनगर, भदोही |
| शब्बीर, श्री | बहराइच |
| शमीमुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| शंरदवीर सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| शाकिर अली, श्री | देवरिया |
| शारदा देवी, श्रीमती | गोरखपुर |
| शारदा नन्दै अंचल, श्री | बलिया |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव कुमार बेरिया, श्री | कानपुर देहात |
| शिव चरन, श्री | हमीरपुर |
| शिव तपस्या पासवान, श्री | चन्दौली |
| शिव पाल सिंह यादव, श्री | इटावा |
| शिव प्रताप यादव, डा० | बलरामपुर |
| शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर | प्रतापगढ़ |
| शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | महराजगंज |
| शिशुपाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री | जौनपुर |
| श्याम सिंह अहेरया, श्री | मथुरा |
| श्याम देव राय चौधरी, श्री | वाराणसी |
| श्याम नारायन, श्री | महराजगंज |
| श्याम लाल रावत, श्री | सीतापुर |
| श्याम सूरत उपाध्याय, श्री | इलाहाबाद |
| संजय गर्ग, श्री | सहारनपुर |
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर |
| संदीप अग्रवाल, श्री | मुरादाबाद |
| सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री | मेरठ |
| सदल प्रसाद, श्री | गोरखपुर |
| सत्य नारायण, श्री | हरदोई |
| संध्या कठेरिया, कु० | मैनपुरी |
| समरपाल सिंह, श्री | बागपत |
| सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं० | मुरादाबाद |
| सलिल विशनोई, श्री | कानपुर नगर |
| सिद्ध गोपाल साहू, श्री | महोबा |
| सियाराम सागर, डा० | बरेली |
| सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |
| सुख देवी वर्मा, श्रीमती | इटावा |
| सुन्दर लाल, श्री | उन्नाव |
| सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा० | बांदा |
| सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री | गाजियाबाद |
| सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | जौनपुर |
| सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री | रायबरेली |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| सुशील चौधरी, डा० | सहारनपुर |
| सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| सोमारू राम सरोज, श्री | जौनपुर |
| सोवरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | रायबरेली |
| हरि ओम यादव, श्री | फिरोजावाद |
| हरि प्रताप सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| हरिशंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री | वाराणसी |
| हीरा लाल गौतम, श्री | आजमगढ़ |
| होशियार सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| दिलीप कुमार वर्मा, श्री | बहराइच |
| विमला राकेश, श्रीमती | सहारनपुर |

नोट :–मा० मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव,
श्रीमती कुसुम राय, लोक निर्माण मंत्री,
श्री अहमद हसन, परिवहन कल्याण मंत्री,
श्री भगवती सिंह, बाह्य सहायतित परियोजना मंत्री तथा
श्री राम प्यारे सिंह, पर्यावरण मंत्री भी सदन में उपास्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8 दिसम्बर, 2003

## प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### प्रदेश में गरीबी रेखा के आधार पर आरक्षण दिये जाने का प्रकरण

**1–श्री घनश्याम शुक्ला, श्री राम इकबाल सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गरीबी रेखा के आधार पर आरक्षण दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण संविधान के अनुसार प्रदेश की लोक सेवा और पदों में उनका समुचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण अनुमन्य किया गया है । अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुमन्य किया गया है ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा था, लेकिन उत्तर इसका स्पष्ट नहीं आया है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं, नम्बर–1 क्या सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने हेतु सरकार संविधान में संशोधन करेगी, यदि नहीं, तो क्यों ? नम्बर–2 क्या मुख्य मंत्री जी, जिन्होंने घोषणा की है और कहा है कि हम सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण देने पर विचार कर रहे हैं, उस पर विचार करेंगे या नहीं करेंगे ? और नम्बर–3 क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का सर्वे कराकर उनके पढ़ने लिखने व उनके जीविका उपार्जन हेतु कोई कार्य-योजना तैयार कर रही है या नहीं ? यह गम्भीर विषय है, इसलिए हम इस पर चाहते हैं कि जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, उस पर अमल भी होना चाहिए यदि इस पर अमल सरकार नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, उसका कारण होना चाहिए ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गम्भीर बिन्दु उठाया है और यह सही है कि हर गरीब की मदद होनी चाहिए, हर स्तर पर होनी चाहिए, सरकारों का दायित्व है, चाहे यहां की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो । केवल जानकारी के लिए माननीय सदस्य के लिए इतना बताना चाहूंगा कि संविधान में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार किसी प्रदेश की विधान सभा का नहीं है । संविधान क्योंकि संसद का मामला है इसलिए पार्लियामेंट ही इसको बना सकती है और जहां तक आरक्षण की बात है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी क्योंकि पार्लियामेंट ऐक्ट के तहत ही इसका गठन हुआ है इसलिए यह हमारी परिधि में नहीं आता है

लेकिन आपसे हमारी पूरी हमदर्दी है । अब बाजपेयी जी के लिए इसमें कोई अगला प्रश्न पूछने के लिए नहीं बचता है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और यह सही है जो कुछ आपने उत्तर में कहा है । अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण देने का आधार है । उस समय यह बातें सही रही होंगी लेकिन आज की परिस्थिति में जो लोग इस श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन आर्थिक आधार पर उन पिछड़े लोगों से कहीं भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं और उन्हें नौकरियों तथा अन्य स्थानों पर आरक्षण नहीं मिल रहा है और आज की परिस्थिति में वर्तमान सामाजिक परिवेश में मान्यवर, इसमें संजीदगी से विचार किये जाने योग्य है कि वह भी स्वीकारते हों । जैसाकि आपने कहा कि संविधान में संशोधन प्रदेश सरकार नहीं कर सकती यह बात सही है । केन्द्र सरकार इस पर विचार कर रही है । जो लोग इससे वंचित हैं उन लोगों को भी आरक्षण की सुविधा दी जाये । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर प्रदेश सरकार नीतिगत रूप से आरक्षण की सुविधा देने पर सहमति रखती है तो प्रदेश सरकार विधान सभा से कोई प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को बल देने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

अगर माननीय सदस्य ऐसा आश्वासन देने में सक्षम हों और वह आश्वासन सदन को भी कबूल हो कि केन्द्र सरकार वह कर देगी तो इस पर विचार किया जा सकता है । लेकिन प्रैक्टिकल में यह है कि किसी राज्य सरकार को संविधान में संशोधन का अधिकार नही है, केन्द्र सरकार को ही है । अगर केन्द्र सरकार कानून लाती है तो प्रदेश सरकार उसे मानेगी । केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा क्यों करे देश के अन्य प्रदेशों में भी वह कानून लागू हो जाएगा अगर केन्द्र सरकार पर राजनीतिक दबाव पड़े । इसमें आप ताकतवर हैं आप मदद कर दें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

कौन ताकतवर है, कौन नहीं है सवाल यह नहीं है ? मान्यवर, मैंने जानना चाहा था कि अगर सरकार क्या केवल इसलिए आरक्षण नहीं दे सकती कि संविधान इसमें बाधक है । सरकार इस समस्या के समाधान के प्रति संवेदनशील है तो विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित कर सकती है कि अन्य लोगों को भी यह आरक्षण की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जाये । इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने में कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो क्या सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेजेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि संविधान बाधक है । संविधान बाधक नहीं है बल्कि वह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्गदर्शक है । संविधान तो हमें रास्ता दिखा रहा है । फर्ज इतना है कि हम संविधान को कितना मानें और कितना न मानें, कितनी आस्था रखें और

कितनी न रखें । यह व्यक्ति का विचार हो सकता है लेकिन पूरा देश संविधान से चल रहा है । अगर कोई कमी है तो हम उसे संविधान संशोधन से पूरा कर सकते हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरा प्रश्न बहुत ही खूबसूरती से टालने का प्रयास किया है जो दुखद है । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार अपनी संजीदगी का प्रदर्शन करते हुए एक सिफारिशी प्रस्ताव कि अन्य वर्गों को भी यह आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाये पारित करके केन्द्र सरकार को निर्णय लेने के मदद करने का काम करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार सभी समस्याओं के लिए जागरूक है और संविधान का आदर करती है । केन्द्र सरकार जैसा भी परिवर्तन करेगी उसका स्वागत होगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी ने आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की घोषणा की है और यदि उन्होंने घोषणा की है ?

1–इस घोषणा पर अमल करने के लिए सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ?

2–सदन की नियमावली में यह व्यवस्था है कि हम लोकहित में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकते हैं ।

3–क्या सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 103 के अन्तर्गत सदन में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करके यह सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? और केन्द्र सरकार से इस प्रस्ताव पर सिफारिश करने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा: –

1–ऐसी कोई घोषणा मेरे संज्ञान में नहीं है,

2–मैंने बार-बार कहा है कि केन्द्र सरकार ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि यह संविधान में संशोधन का मामला है अगर केन्द्र सरकार ऐसा करती है तो इसमें उ०प्र० सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अगर सरकार की मन्शा वास्तव में गरीबों को आरक्षण देने की है तो फिर सरकार को इस सम्बन्ध में कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है और अगर यह सरकार इस व्यवस्था से सहमत नहीं है और वह ऐसा नहीं करना चाहती है तो फिर यह मानने में कोई परहेज नहीं है कि यह सरकार आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण देने के खिलाफ है और अगर ऐसा है तो सरकार इसकी स्पष्ट घोषणा करें नहीं तो नियम 103 में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार से आग्रह करें कि वह इस सम्बन्ध में कानून बना करके सम्पूर्ण प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कराये ताकि गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सके । माननीय

मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार से इसके लिए सिफारिश करें नहीं तो हम यह मानने को मजबूर हैं कि यह सरकार गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सिर्फ प्रश्न पूछिये ? आप तो सीधे-सीधे भाषण देने लगे ।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इसका मतलब है यह सरकार गरीबों को आरक्षण देने के खिलाफ हैं अतः हम इस सरकार का विरोध करते हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इसके लिए इस सदन का बहिर्गमन करेंगे ।

(व्यवधान)

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

## प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन हेतु सेवा अवधि घटाने का प्रस्ताव

**2–श्री दयाशंकर वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन के लिये सेवावधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

वर्तमान में प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष–

नत्थी क अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 रह गया है इसमें माननीय सदस्य की रुचि भी है उन्होंने कहा था, इसलिये इसको ले लेते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 33 वर्ष की सेवा की अधिवर्षता आयु निर्धारित की गयी थी तब सरकारी नौकरी में भर्ती की अधिकतम सीमा क्या थी ? आज सरकारी नौकरी में भर्ती की अधिकतम आयु क्या हो गयी है ? मेरा निवेदन है कि इस अन्तर को देखते हुए भी मेरे प्रश्न पर विचार करने का कष्ट करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, भर्ती की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष है। क्लास–I और क्लास–2 के लिये 21 से 35 वर्ष अधिकतम आयु और क्लास 3 और क्लास 4 के लिये अधिकतम आयु 18 से 35 वर्ष है। इसमें कोई घटाने बढ़ाने का विचार नहीं है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं सेवा के लिये निर्धारित आयु सीमा में परिवर्तन करने की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि जब अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी तब पेंशन के लिये सेवा काल 33 वर्ष था अब जब 25 वर्ष से बढ़ाकर आयु सीमा 35 वर्ष कर दी गयी है तो जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु में नौकरी में आयेगा और 33 वर्ष पेंशन के लिये नौकरी करेगा तो वह रिटायरमेन्ट की उम्र प्राप्त करके कितने और वर्ष कार्य करेगा ? कितनी उम्र कोई अधिकतम आयु प्राप्त करके समय से पूर्व रिटायरमेन्ट लेना चाहे ? तो वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं इसलिए सरकार से मांग की है जब 33 वर्ष आयु अधिवर्षता के लिए निर्धारित की गई और सेवा में आने की जो आयु सीमा निर्धारित है वह 25 से 35 वर्ष हो गई है इसमें दस वर्ष का अन्तर हो गया है तो यह जो 33 वर्ष है इसको घटाकर 23 या 25 वर्ष करेंगे, जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु में नौकरी में आता है उसका भी रिटायरमेंट 58 या 60 वर्ष में हो जायेगा तो क्या जो दस वर्ष अन्तर है इसको देखते हैं सेवानिवृत्ति की आयु 68 वर्ष करने की कृपा करेंगे। यह तर्कसंगत बात है 35 वर्ष पर 33 साल नहीं चल सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पेंशन आदि के सारे रूल्स सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बनाती है और केन्द्र सरकार पर आपसे ज्यादा अधिकार और किसका है यदि आपकी तरफ से कृपा हो जाए तो पूरे प्रदेश में आपकी वाह-वाह हो जाएगी। यह केन्द्र सरकार का मामला है आप जो आदेश कराते हैं हम मान लेते हैं 21 जनवरी, 2000 को आयु सीमा 32 से बढ़ा कर 35 वर्ष कर दी गई हमने तो उसी को माना है आपकी जायज नाजायज सभी मान लेते हैं। जैसा आपका चाहना है ऐसा कोई विचार राज्य सरकार का नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

बाजपेयी जी ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है कर्मचारी सेवा में रहते हैं अगर अधिवर्षता की आयु यही 33 वर्ष की रह जाती है तो भविष्य में पेंशन आदि का निर्धारण प्रभावित होता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं सम्पूर्ण प्रकरण बहुत बड़े अमले से जुड़ा है उनकी पेंशन आदि से जुड़ा है तो क्या माननीय मंत्री जी कोई समिति का गठन करेंगे जो इस सम्पूर्ण प्रकरण पर विचार करके अपना प्रतिवेदन दे, सरकार इस पर विचार करने का कष्ट करेगी।

श्री मोहम्द आजम खां–

कमनसीबी है मैं समझ नहीं पा रहा हूं केन्द्र सरकार सारे रूल्स बनाती है केन्द्र सरकार पर आपका पूरा अधिकार है अगर आपकी तरफ से कोई वरदान प्रदेश सरकार को मिल जाए तो हम यहीं पर आपको धन्यवाद दिए देते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी ने बाजपेयी जी के उत्तर के बारे में कहा मेरा निवेदन दूसरा है सरकारी कर्मचारियों का जो नुकसान हो रहा है इसमें मेरा आग्रह है कि शुरू में 25 वर्ष आयु थी 25 वर्ष तक पहले सेवा में आ जाते थे 25 में 33 जोड़ दिया जाए तो 58 हो जाता है । अब अधिकतम नौकरी की आयु 35 वर्ष कर दी गई है और सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष.....

श्री उपाध्यक्ष–

संशोधन कर लें 60 वर्ष है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं वही कहने जा रहा था कहीं 58 वर्ष है कहीं 60 वर्ष है । मान्यवर, 35 से जोड़े तो 58 के लिए 23 साल हुई और 60 भी जोड़ लें तो 25 साल हुई, तो पेंशन तो उनकी मारी गयी । मेरा आपसे आग्रह है, यह आपके हाथ में नहीं है, मैं मानता हूं लेकिन आप सदन की भावनाओं को मानते हुए केन्द्र सरकार को प्रदेश सरकार की ओर से इस विषम परिस्थिति के निदान के लिए पत्र लिखकर संशोधन का प्रयास करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने आपसे एक आग्रह किया था, केवल दो मिनट लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

एक मिनट आप हमारी बात सुन लें, विशेष परिस्थितियों में जो घटना है, उसे बता दें लेकिन भविष्य के लिए उदाहरण न बनायें । यह भविष्य के लिए उदाहरण नहीं बने । संक्षेप में आप बोलें ।

**जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सराय ज्ञानवती में सड़क निर्माण के विवाद में एक दलित की गोली लगने से हुई मृत्यु की सूचना तथा दोषीजनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग**

श्री प्रमोद कुमार–

कल शाम को 5.00 बजे मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालगंज क्षेत्र के सराय ज्ञानवती गांव में सड़क बन रही थी । मिट्टी इस खेत से ली जाय, उस खेत से ली जाय, में थोड़ा विवाद हो गया । विवाद सुलझाया जा सकता था लेकिन नहीं सुलझा और एक राजू नामक व्यक्ति ने गोली चला दी और चन्द्रपाल नामक दलित की मौत हो गयी । यह बड़ी दुःखद घटना है । मेरा अनुरोध है कि जिसने गलती की है जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, वह दोबारा लौट कर नहीं आयेगा, 34 वर्ष की उसकी आयु थी, उसके 4 मासूम बच्चे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि इस मृतक के परिजनों को कम से कम 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की कृपा करें । इसके बाद क्या हुआ,

वह बहुत महत्वपूर्ण है ? कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर उसके घर में आग नहीं लगायी जो दोषी था, आसपास के 8 मकानों, झुग्गियों में आग लगा दी । स्थिति विष्फोटक हो गयी है मैं वहां स्वयं जा रहा हूं मेरा प्रयास होगा मैं संसदीय कार्य मंत्री और सरकार से आग्रह करूंगा कि दो आश्वासन मुझे दे दें कि जो मरा है उसके परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की कृपा करें और जिनके घर जले हैं उनको भी एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय । मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि न कहीं से यह साम्प्रदायिक दंगा है और न जातीय दंगा है और न इसको कोई स्वरूप देना चाहिए, यह एक हादसा है लेकिन सरकार को इसमें बड़े हृदय का परिचय देना होगा । मैं संसदीय कार्य मंत्री से यही अपेक्षा करता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस हादसे की निन्दा भी करता हूं । मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा, प्रमोद तिवारी जी का, आमतौर पर ऐसे हादसों को साम्प्रदायिक रंग दे दिया जाता है और छोटे-छोटे हादसे बड़े हादसे की अगुवाई कर देते हैं । फौरी तौर पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे दी गयी है । मैं माननीय नेता सदन तक आपके जज्बात पहुंचाऊंगा और जो भी सहायता आगे संभव होगी, मैं आपका सिफारिशी रहूंगा । कानून-व्यवस्था बनी रहे और जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्यवाई होगी और जिन लोगों की झोपड़ी जली है उनके लिए भी मैं माननीय नेता सदन से मदद के लिए कहूंगा ।

## प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

## तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ]

*1– श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

**प्रदेश के कतिपय जनपदों के वन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्य योजना**

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद चन्दौली, मिर्जापुर तथा सोनभद्र के वन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां व आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

नक्सली गतिविधियों एवं आपराधिक घटनाओं में वर्ष 2001 से निरन्तर गिरावट आ रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, सरकार ने उत्तर दिया है कि आपराधिक घटनाओं में गिरावट आ रही है । जबकि यह बिल्कुल सत्य है कि आये दिन अखबारों में यह पढ़ने को मिलता है कि इन नक्सली गतिविधियों के कारण हत्यायें होती हैं अच्छे-अच्छे अधिकारियों की हत्यायें होती हैं और उनका अपहरण किया जाता है और दूसरी घटनाएं भी होती रहती हैं और उस परिप्रेक्ष्य में जो कानून-व्यवस्था की स्थिति है, जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है, वह अधिकारी वाराणसी में या दूसरे स्थानों पर बैठकें करके घोषणा करते हैं कि हम कुछ न कुछ कार्य योजना बना रहे हैं, आदि-आदि ।

मान्यवर, जो यह उत्तर आया है वह उन घोषणाओं के बिल्कुल विपरीत है कि लगातार आपराधिक घटनायें घटी नहीं हैं । मान्यवर, यह जो 2001 से निरन्तर गिरावट आ रही है, उसके पहले की क्या स्थिति थी, कितनी घटनायें हुई और जो गिरावट आयी है उसके क्या कारण हैं ? क्या यह जो गतिविधियां हो रही हैं उसके पीछे सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं और जो लोग उसमें लिप्त हैं उनको आजीविका उपलब्ध कराने के लिए जो वन सम्पदा है उसको उपलब्ध करने के लिए जमीनें उपलब्ध कराने के लिए उनके बच्चों को शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने के लिए नौकरी में उनको सुविधा प्रदान करने के लिए और इन सारे कार्यों के द्वारा यह जो सामाजिक परिस्थिति है, उसमें बिल्कुल कमी करते हुए उसमें शून्यता लाने के लिए सरकार कोई विचार रखती है यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरे पास तीन वर्षों के आंकड़े हैं । जो आपने बताया कि प्रतिष्ठित लोगों का अपहरण हो रहा है, उनकी हत्यायें हो रही हैं तो जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें इन घटनाओं में बहुत कमी हुई है । आपके पास कोई खास सूचना हो कि फलां व्यक्ति के साथ वारदात हुई है तो बतायें । मान्यवर, 2001 में मिर्जापुर में हत्याएं 6 हुई 2002 में एक हुई और 2003 में फिर दो हुई । सोनभद्र में 13 फिर 16 और फिर 8 हत्यायें हुई । इस तरह 2001 में 33, 2002 में 28 और 2003 में 14 हत्यायें हुई । मुठभेड़ में अगर हम योग लें तो मिर्जापुर में एक हत्या हुई अपहरण कोई नहीं, आगजनी का वाक्या एक, योग हुआ कुल हत्याओं का 16, 2001-2002 में इस पर कमी होती चली गयी । मुठभेड़ में मारे गये नक्सलियों का विवरण मेरे पास है उसमें गिरावट आयी है । अब इतनी ज्यादा गिरावट आयी कि उसके बारे में कोई लम्बी बहस नहीं हो सकती है और शून्य तक की गिरावट आयी है । इसके लिए कार्य योजना तैयार हुई और इस पर अमल हुआ ।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने एक आई०आर० बटालियन का प्राविधान किया है जिसमें 13 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दे दिये हैं यह बटालियन जल्दी ही गठित कर ली जायेगी । हमारे पास सोफेस्टिकेटेड किस्म के हथियार हैं जिससे नक्सली गतिविधियों का मुकाबला किया जाता है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सोफेस्टिकेटेड वैपेन्स हैं आदि-आदि, तो यह तो किसी की इच्छाओं को जबरदस्ती दबा दिया गया है । मैंने यह नहीं पूछा था, मैंने यह पूछा है कि इन घटनाओं में लिप्त हो रहे जो वन्य क्षेत्र के लोग हैं उसका एक कारण यह भी है कि

उनका आर्थिक स्तर दहुत गिरा हुआ है उनके परिवार के पास रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है । तो मैंने यह पूछा था कि इनका जो दूसरा पहलू है सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, शैक्षणिक पहलू है उस पर क्या सरकार कोइ विचार रखती है क्या ऐसे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोई कार्य योजना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

चूंकि प्रश्न सीमित है जिस हद तक उत्तर आया है उस हद तक सीमित है इसके लिए दूसरे प्रश्न की आवश्यकता है । लेकिन इसके अलावा इस तरह की कार्य योजना तैयार हुई है जिससे उनका स्तर उठ सके और उनका रूझान बदला जा सके, इस तरह की कार्य योजना तैयार हुई है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? जिस कारण नक्सली उग्रवाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पनप रहा है तो जिस तरह असम सरकार ने पहल करके बोडो की समस्याओं का समाधान करके बोडो उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराकर उनके आन्दोलन को समाप्त करा दिया है तो उसी तरह से जो नक्सली उग्रवाद पूर्वांचल में पनप रहा है उसके कारणों का निदान करने की कोई कार्य योजना बनाई गयी है तो वह कार्ययोजना क्या है और उसके क्या परिणाम आ रहे हैं ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आई०आर० बल के बारे में कहा तो मैं समझता हूं कि हिन्दी में इसका अर्थ त्वरित बल है जिसके लिए 13 करोड़ रुपये दिये गये हैं तो त्वरित बल उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से बना हुआ है तो यह जो त्वरित बल है क्या यह नक्सली उग्रवाद को समाप्त करने के लिए और उस पर का सवाल है यह केन्द्र सरकार की योजना है और केन्द्र सरकार से ही इसको धन मिला है इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ नहीं है मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ बातें कहीं हैं प्रश्न यह है कि क्या कार्य योजना बनाई गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष–

पहले मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न कर लेने दें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने बहुत ही प्वाइन्टेड प्रश्न किया था । किसी की सामाजिक परिस्थिति का भी कोई न कोई कारण होता है । मैंने 3 कारण बताये । मैंने मिर्जापुर, सोनभद्र और चन्दौली के विषय में पूछा है इसका कारण मैने खुद बताया जो स्थाई है । वहां जो लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं उसके कारण आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हैं यह मैंने बताया है नक्सली उग्रवादियों के लिप्त होने का तो इन कारणों को दूर करने के लिए उन लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको वन्य क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के लिए उनको सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उनके गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की कोई योजना है या नहीं ? आपने तो वैपन का अम्बार लगा दिया वैपन से किसी की हत्या की जा सकती है । उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप प्रश्न पर विचार करेंगे, इसमें है कि जनपद चन्दौली, मिर्जापुर तथा सोनभद्र के वन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां व आपराधिक घटनायें बढ़ रही हैं यदि हां तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी, यह प्रश्न है । यह एक प्रशासनिक प्रश्न है और इनका प्रशासनिक उत्तर है । प्रश्न में कहीं भी इस तरह का इशारा नहीं है कि इनके आर्थिक और सामाजिक कारणों पर उत्तर देना है । अगर इस तरह का कोई अलग से प्रश्न करेंगे, तो उस तरह का उत्तर मिल जायेगा । इसके अलावा मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि आपका प्रश्न बढ़िया है, उसमें पूरे उत्तर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कार्य योजना तैयार हो रही है, तैयार हुयी भी है, इसमें विचार हो रहा है, इसमें आपकी बात का ख्याल करते हुये जल्द से जल्द जो हो सकेगा, वह किया जायेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत होंगे कि नक्सली आन्दोलन सामाजिक और आर्थिक कारणों से होता है , यह केवल आपराधिक नहीं है । सामाजिक और आर्थिक विषमता की लड़ाई लड़ते-लड़ते यह लोग अपराध की सीमा तक जा रहे हैं । यह सामान्य अपराध नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो सीमान्त जिले हैं, जहां पर नक्सली प्रावलम है, वहां के लिये कोई योजना भारत सरकार की चल रही है, विकास की और उसकी आपको जानकारी है और उसमें आप और कोई बातें जोड़ने के लिए भारत सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि प्रश्न प्रशासनिक तरह का है और उसी प्रकार उसका जवाब दे दिया गया है । अब जो पूछा जा रहा है, वह काफी व्यापक हो जायेगा, इसमें सूचना उपलब्ध करानी पड़ेगी । आपका प्रश्न मिल गया है, यदि वह चाहेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से सूचना दे दूंगा और अगर प्रश्न की शक्ल में उत्तर चाहेंगे तो ठीक है । आपका प्रश्न सही है, इसमें यकीनन एतबार सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद होनी चाहिए । प्रश्न काफी व्यापक है, इसलिए जवाव नहीं दे पा रहा हूं, अन्यथा कोई परेशानी नहीं है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं खड़ा हूं और आपकी कृपा होनी चाहिये । मुझे बड़ा दुख हो रहा है । जब माननीय मंत्री जी यहां कुर्सी पर विराजमान होते थे तो कितनी नुक्ताचीनी करते थे और कोशिश करते थे, सरकार को घेरने की कि सही उत्तर आ जाय । अब आप भी समझ रहे हैं और पूरा सदन समझ रहा है । मेरा जो प्रश्न था, उसको नेता प्रतिपक्ष ने भी स्पष्ट किया । मंत्री जी समझने का प्रयास करें, मैं जानता हूं कि समझदार भी हैं । प्रश्न का जितना जवाब चाहिये, उतनी अभी तैयारी नहीं है, उतना फीडबैक नहीं है, प्रशासन से जानकारी उपलब्ध नहीं हुयी है । इसलिये इस प्रश्न को अभी स्थगित कर दें, इसकी गंभीरता को समझते हुये और फिर उत्तर बनाकर दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसके लिये अलग से सवाल कर लीजियेगा । जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर करीब-करीब आ गया है । अब आप आगे चलिये ।

**प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के भुगतान का विचाराधीन प्रकरण**

*3–श्री दयाशंकर वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों को जुलाई, 2003 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त महंगाई भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

*1–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

*2–डा० अशोक बाजपेयी–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट में उ० प्र० पुलिस अभिरक्षा में मरने वालों की संख्या एवं रोकथाम के लिए प्रस्तावित कार्य-योजना**

*3– श्री अजीम भाई–

क्या सरकार को जानकारी है कि मानवाधिकार आयोग भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट में उ०प्र० में पुलिस अभिरक्षा में मरने वालों की संख्या सर्वाधिक बताई गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी रोकथाम के लिये कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में मरने वालों की संख्या सर्वाधिक नही बतायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप इसमें कुछ और पूछेंगे ?

(सदस्य द्वारा कोई अनुपूरक प्रश्न न करने पर )

*4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*5–श्री शारदानन्द अंचल–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*6–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**प्रदेश में चयनित एवं पूर्णरूप से संतृप्त अम्बेडकर ग्रामों की संख्या का विवरण**

*7–श्री राम विशुन आजाद–(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 30 जून, 2003 तक कुल कितने अम्बेडकर ग्राम चयनित हैं ? उनमें से कितने अम्बेडकर ग्राम पूर्ण रूप से संतृप्त हो गये हैं तथा कितने अभी असंतृप्त ग्रामों को कब तक संतृप्त करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

32232 ग्राम ।

20451 ग्राम संतृप्त ।

11781 ग्राम असंतृप्त ।

धनराशि उपलब्ध होने पर ।

*8–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*9–श्री महेश त्रिवेदी–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*10–श्री शाहिद मंजूर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश में आवंटित धनराशि को व्यय करने की नीति/निर्देश व्यवस्था**

*11–श्री श्याम सूरत उपाध्याय (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से जिलों को आवंटित धनराशि को खर्च करने की क्या नीति है ? वित्तीय वर्ष 2002-03 के लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि में से जनपद इलाहाबाद को जो रु० 18 लाख आवंटित हुआ है , उसे जिले के अधिकारियों ने बिना विधायकों की सहमति से अम्बेडकर गांव के अधूरी सड़कों के निर्माण को पूर्ण कराने हुते आवंटित कर दिया है ? यदि

हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह शासनादेश का उल्लंघन है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश में आवंटित धनराशि को व्यय करने की नीति/निर्देश व्यवस्था शासनादेश सं० 120/35-5-98-15(49)97-270 दि० 15 जनवरी, 1998 में निहित है ।

जी हां ।

उपरोक्त शासनादेश में विधायकों की सहमति की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश के भावना के अनुरूप विधायकों की सहमति प्राप्त करके ही कार्यों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था ।

उपरोक्तानुसार ।

संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**प्रदेश में अपहरण तथा फिरौती की घटनाओं में हुई वृद्धि को रोकने की मांग**

*13–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में अपहरण तथा फिरौती की घटनाओं में पिछले दो वर्षों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटनाओं को रोकने हेतु कोई विशेष पुलिस बल गठित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की सूचना के अनुसार विगत दो वर्षों में गत वर्षों की अपेक्षा अपहरण एवं फिरौती की घटनाओं में कमी आयी है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

| वर्ष | अपहरण | फिरौती हेतु अपहरण |
|---|---|---|
| 2001 | 3443 | 304 |
| 2002 | 2726 | 186 |
| 1-1-03 से 31-10-03 तक | 1402 | 94 |

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अपहरण एवं फिरौती की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है फिर भी घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर एस०टी०एफ० एवं जनपद स्तर पर एस०ओ०जी० का गठन किया गया है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रही है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के नाते उनकी विवशता हो सकती है कि कुछ भी उत्तर देना लेकिन एक चीज सर्वविदित है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात का अनुभव है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसमें अपराध की घटनाओं को कम करके दिखलाना पड़ता है । इसके परिप्रेक्ष्य में मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास यदि आंकड़े हों तो वह यह देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सी घटनाओं को जोन वाइज आप ले लें तो लोगों की थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, यह पुलिस की मानसिकता होती है और इस कारण जनता को अदालत में जाना पड़ता है और अदालत निर्देश देती है कि दफा–302, 95 आदि में उक्त घटनाएं दर्ज की जायं । मेरा पूछने का आशय यह है कि पुलिस की जो मानसिकता है रिपोर्ट को न लिखना और उसको मिनिमाइज करना तथा इसके लिए लोगों को अदालत तक जाना पड़ता है और अदालत के आदेश पर घटनाएं लिखी जाती हैं । तो क्या कोई ऐसा निर्देश सरकार जारी करेगी कि पुलिस के पास अगर पीड़ित व्यक्ति जाता है तो उसकी जो अपराध की घटनायें हैं, जो उसकी पीड़ा है उसको दर्ज किया जाय तो मैं समझता हूं कि शायद इसमें काफी इजाफा हो सकता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं सरकारें आती हैं जाती हैं, घटनायें होती रहती हैं लेकिन हर सरकार की जिम्मेदारी है घटनाओं को रोकना और पिछली सरकार अगर कोई कमी नहीं ला पायी है तो जो सरकार है, वह कोशिश करे । तो क्या आप कोई ऐसी कोशिश करेंगे ? फिरौती के लिए हत्यायें हो रही हैं, घटनायें हो रही हैं उसकी सही सूचना थानों में दर्ज हो तथा क्या इसके लिए कोई विशेष बल गठित करेंगे जिससे इन अपराधों में कोई कमी लायी जा सके ? यह मेरी जिज्ञासा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

चौधरी जी संक्षिप्त सवाल पूछें तो ठीक रहेगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, वैसे तो माननीय मंत्री जी सूत्र में समझ जाते हैं लेकिन इस समय जानकर भी अन्जान बन रहे हैं इसलिए मुझे भूमिका बनाने की आवश्यकता पड़ रही है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय उपाध्यक्ष जी सरकारों के अपने-अपने काम करने के तरीके होते हैं । सरकारें अपराधों को दर्शाती भी हैं और सरकारें अपराधों को छुपाती भी हैं और यह हम सबका तजुर्बा भी है कि ऐसी सरकारें आयी हैं मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं न नाम ले रहा हूं जिन्होंने घटिया वाहवाही के लिए ऐसे आदेश जबानी और लिखित भी जारी किये हैं कि अपराधों को पंजीकृत न किया जाय । यहां तक कि कत्ल और डकैती के अपराध भी नहीं लिखे गये, बलात्कार के अपराध भी नहीं लिये गये और एकदम

ऐसा लगा कि तेज बुखार के मरीज को फ्रिज में डाल दिया गया हो बुखार एकदम नीचे आ गया हो । मान्यवर, पूर्व में ऐसा किया गया है और वह तजुर्बा सबके सामने है और उस तजुर्बे के सवाल पर कोई ऐसा प्रश्न करे तो यह वाजिब और सही होगा । मौजूदा सरकार की नीति को सदन में रखते हुये नेता सदन ने यह कहा था कि हमने इसके बिल्कुल विपरीत आदेश दिये हैं पहले 'आदेश हुआ था कि पंजीकरण न हो लेकिन हमारी सरकार ने आदेश दिये हैं कि इस बात का संज्ञान लिया जायेगा कि कौन सा अपराध नहीं लिखा गया । अपराध बढ़े तो उन पर काबू होना चाहिए । यह सरकार अपराधों को काबू करने में सक्षम है । जब अपराध बढ़े नहीं हैं तो किसी विशेष बल के गठन या किसी विशेष कार्ययोजना के तैयार किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है क्योंकि अपराध घटे हैं ।

*14–श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

**प्रदेश की परिवहन निगम द्वारा संचालित वातानुकूलित बसों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने का प्रकरण**

*15–श्री धर्मपाल सिंह(अनुपस्थित)–.

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित वातानुकूलित बसों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अन्य राजकीय बसों की भाँति, वातानुकूलित बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (कुं० रेवती रमण सिंह)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक सहचर के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा वर्तमान में अनुमन्य करायी जा रही है तथा इस यात्रा पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् से की जाती है । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वातानुकूलित वसें निजी वाहन स्वामियों से हुये अनुबन्ध के अनुसार संचालित की जा रही हैं और किये गये अनुवन्ध की शर्तों के अनुसार इसके वाहन स्वामियों को नियमित भुगतान किया जाता है । प्रदेश की वित्तीय संशाधनों की विषम स्थिति को देखते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अन्य बसों की भांति वातानुकूलित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किया जाना संभव नहीं है ।

**प्रदेश में सीमान्त कृषकों के ऋण को माफ करने की सरकार द्वारा बनायी गयी योजना**

*16–श्री राम इकबाल सिंह(अनुपस्थित)–.

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीमान्त कृषकों के ऋण को माफ करने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में बन्द पड़ी सहकारी समितियों, बैंकों को पुनः चालू करने की योजना**

*17–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी समितियां तथा सहकारी बैंक जो बन्द हो गये हैं उनको पुनः जीवित करने हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)–

जी हां ।

अभी कार्य योजना बनाया जाना विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीश नारायण राय–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसी कितनी समितियां और बैंक हैं जो आज की तारीख में बन्द पड़े हैं ? आपने बताया कि कार्य योजना बना रहे हैं तो जहां बैंक बन्द हैं वहां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, केवल जिला सहकारी बैंक गोण्डा बंद है । कुल समितियां 7479 हैं जिसमें से 763 बंद हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो सहकारी समितियां बन्द हैं जिसके माध्यम से कृषकों को ऋण प्राप्त होता था अभी मा० मंत्री जी ने स्वीकार किया कि कुछ समितियां बन्द हैं । मैं मा० मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो सहकारी समितियां बन्द हैं वहां कृषकों को ऋण प्राप्त हो सके इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे जिससे सहकारी समितियों को चालू करके किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके ?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है जो चालू सहकारी समितियां हैं उनसे सम्बद्ध किया गया है जहां नहीं हैं वहां सम्बद्ध नहीं किया गया है जहां सम्बद्ध नहीं किया गया है वहां किसानों को बैंकों से ऋण जारी कराकर लाभान्वित कराया जा रहा है ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, गोण्डा जनपद में जो सहकारी समितियां बन्द हैं उन्हें कब तक चालू कराया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपको पुकारा नहीं है इसलिए आप बैठ जाइये ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मा० उपाध्यक्ष महोदय पहले हमें सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

हां आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री घनश्याम शुक्ला–

मा० उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोण्डा जनपद में जो सहकारी समितियां बन्द हैं उन्हें कब तक चला रहे हैं ? उनके लिए सरकार की कार्य योजना क्या है ? क्या सरकार जिन खाताधारकों के, जिन प्रधानों के पैसे बैंक में जमा हैं या किसानों के जमा हैं उनके लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है अथवा नहीं ?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैंने तो कह दिया है कि विचाराधीन है ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, वहां के किसानों के पैसा देने के लिए गांव के गरीबों का जो पैसा जमा है उनको धन बैंक से उपलब्ध कराने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है ?

श्री शारदानन्द अंचल–

कार्य योजना अभी विचाराधीन है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मा० उपाध्यक्ष महोदय, मा० मंत्री जी ने बताया कि इतनी समितियां बन्द हैं तो जो समितियां बन्द हैं उन समितियों के सदस्यों को जो उसमें उनका अंश है वापस करा देंगे ?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, जो सहकारी समितियां बन्द पड़ी हुई हैं उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी है बगल की जो सहकारी समितियां हैं उनसे सम्बद्ध कर दिया गया है जहां किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खाद व बीज उपलब्ध कराया जा रहा है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मान्यवर, आज प्रदेश में कितनी सहकारी समितियां और कितने सहकारी बैंक बन्द हो गए हैं ? मान्यवर, जो सहकारी समितियां और सहकारी बैंक बन्द हो गये हैं तो जनता के हित के लिए उन बैंकों और सहकारी समितियों को चलाने के लिए जनता के हित के लिए प्रदेश सरकार की क्या योजना है ?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, माननीय चौधरी जी इस सदन के वरिष्ट और पुराने सदस्य हैं और सरकार की तरफ से इस प्रश्न का उत्तर पहले ही आ चुका है । सिर्फ एक सहकारी बैंक बन्द है और सात सौ तिरसठ सहकारी समितियां बन्द हैं । माननीय चौधरी जी के इस प्रश्न का उत्तर पहले ही आ चुका है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कितने कोआपरेटिव बैंक बन्द हो गए हैं और उनमें जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को वापस करने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है, यदि सरकार के पास कोई योजना है तो वह उसे बता दें ?

## पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत राज्यांश के कार्यों पर लगी रोक को हटाने की मांग

*18–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से वितीय वर्ष 2003-2004 में स्वीकृत राज्यांश के कार्यों पर क्या शासन द्वारा रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी उक्त स्वीकृत कार्यों को पुनः प्रारम्भ करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

उक्त रोक इसलिए लगायी गयी थी क्योंकि समीक्षा किया जाना आवश्यक पाया गया । जहां तक इन्हें पुनः प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न है गुणदोष के आधार पर शीघ्र निर्णय लिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, जिनसे यह सवाल पूछा गया था वह तो चले गए हैं तो अब इस सवाल का उत्तर कौन देगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं-नहीं सवाल का जवाब देने में दो चार मिनट का समय तो लगेगा ही ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नहीं मान्यवर, इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई नहीं है ऐसा नहीं है, मैं तो हूं इस सवाल का जवाब मैं दूंगा । सवाल गम्भीर था जवाब भी गम्भीर होगा अब आप सुनने के लिए भी गम्भीर हो जाइये ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2003-2004 में स्वीकृत राज्यांश के कार्यों पर क्या शासन द्वारा रोक लगा दी गयी है । यदि हां तो क्यों ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रोक लगा रखी थी चूंकि उसमें उत्तर समीक्षा किया जाना आवश्यक पाया गया इसलिए रोक लगा दी गयी थी । क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वह कौन से बिन्दु थे और ऐसे क्या तथ्य पाये गये कि उसकी समीक्षा करना आवश्यक पाया गया ? मान्यवर, यह समीक्षा कब तक पूरी हो जाएगी ? और वह पैसा जो लोगों का फंसा हुआ है कब तक दिला दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

किसी भी योजना के लिए, उसका कितना असर पड़ता है उस पर विचार कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि एक सरकार बदली है । उस योजना में कोई कमी है, यह भी हो सकता है कि योजना में किसी संशोधन की जरूरत हो तो जो सारी योजनाएं इस प्रकार की हैं उनका परीक्षण हो रहा है । सरकार की और अच्छा करने के लिए मंशा है वह वर्ग जो उपेक्षित रहे हैं उनके लिए यह देखा जा रहा है कि यदि इन योजनाओं में कोई कमी है तो सुधार कर लिया जाय तो कुछ अच्छा ही होगा । 14 घंटे बिजली मिल रही है । नहरों की सफाई हो रही है । नई योजनाएं लायी जा रही हैं प्रदेश की जनता खुश है । जनता स्वागत कर रही है । पूर्व मंत्री जी आपको भी इस बात की खुशी होगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी योजनायें हैं जिनकी समीक्षा कर ली गयी है और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा नहीं कर पाये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न पूर्वांचल विकास निधि से कार्यों पर रोक लगाने से है । अपने पूरक प्रश्न को उसी तक सीमित रखें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, योजनाएं दो प्रकार की हैं एक जिला अंश और दूसरी राज्य अंश से संबंधित हैं । राज्य अंश से संबंधित जो योजनाएं हैं उन पर रोक लगा दी गयी है तो कौन-कौन सी योजनाओं पर रोक लगायी गयी ? इन योजनाओं पर कितनी धनराशि स्वीकृत थी और जो धनराशि स्वीकृत थी उसको किसी अन्य योजनाओं के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है । 31 मार्च से पहले योजनाओं के लिए स्वीकृत धन खर्च हो जाना चाहिए । अगर समीक्षा समय पर न हो पायेगी तो पूर्वांचल विकास निधि से की जाने वाली कार्य योजनाएं कार्यान्वित न हो प येंगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप अवगत होंगे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको करते हुए ऐसा लगता है कि इनकी समीक्षा आवश्यक है । जब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और अन्य दल भी उसमें शरीक थे, तब अम्बेडकर ग्राम योजना खुद नेता जी का अपना प्रोग्राम था । जहां तक पूर्वांचल विकास के बारे में है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने की है । इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और न इसमें कोई छिपाने की बात है । जहां तक इन योजनाओं को पुनः प्रारम्भ करने की बात है गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायगा । अगर कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा किया जायगा क्योंकि पूर्वांचल के लोग उपेक्षित हैं उनकी ज्यादा मदद होनी चाहिए । गुण दोष के आधार पर सुधार के लिए ऐसा किया गया है । जहां तक धन का सवाल है धन जाया होने नहीं दिया जाएगा । सारा धन खर्च होगा ।

श्री लालजी वर्मा–

कौन-कौन सी योजनायें हैं जिन पर रोक लगायी गयी हैं ? साथ ही साथ पूर्वांचल विकास निधि की जो योजनायें स्वीकृत थीं कमिश्नर के माध्यम से प्रस्ताव आते हैं जिसको स्वीकृत किया जाता है । जो निश्चित रूप से जनहित के प्रश्न रहे होंगे, जनहित के कार्य रहे होंगे । मान्यवर, पूर्वांचल में आपका बहराइच जिला भी आता है । इसमें 26 जिले आते हैं । इन जिलों में विकास के कार्य रुके हुए हैं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी योजनायें थीं जिन पर रोक लगायी गयी है ? इनमें बहुत सी योजनायें ऐसी होंगी जिन पर आधा या दो तिहाई कार्य हो गया होगा, वह कार्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है । मंत्री जी फाइल इसकी लाना भूल गये इसलिए बिना फाइल देखे सही तथ्य नहीं रख पा रहे हैं । लेकिन सदन के पुराने सदस्य हैं इसलिए यह जानते हैं कि कैसे जवाब दिया जाता है उसी तरह से घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं । उनकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा रहा है लेकिन जवाब सही आना चाहिए । कौन-कौन सी योजनायें हैं जिनको रोका गया और उसके पीछे मकसद क्या है ? यह बात जनता के सामने आनी चाहिए । अगर जवाब नहीं है तो प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए दुबारा पूरा जवाब आ जाएगा ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, मैं वर्मा जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले मंत्री जी का उत्तर आ जाने दें ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

इसको लिखा नहीं जाएगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसीलिए मैंने वर्मा जी को हमाम में आने से ोका था । मैंने कहा कि गुण-दोष के आधार पर तय किया जाएगा । वर्मा जी से निवेदन है कि वह हमाम में न आयें ।

श्री लालजी वर्मा–

हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें । हमाम की हमें समझ नहीं है ।

**राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण अग्रिम,मरम्मत अग्रिम ऋण की धनराशि पर ब्याज की दरें घटाने की मांग**

*19–डा० पी० के० राय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्याज की घटी हुई दरों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार भी राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण अग्रिम तथा भवन मरम्मत अग्रिम ऋण के मद में दी जाने वाली धनराशि पर ब्याज की दरें घटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्द आजम खां–

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण अग्रिम तथा भवन मरम्मत अग्रिम ऋण की मद में दी जाने वाली धनराशि पर ब्याज की दर अन्तिम रूप से निर्धारित करने का आधार केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निर्धारित की जाने वाली ब्याज की दर होती है । अतः प्रचलित ब्याज की दरों को घटाना सम्भव नहीं है ।

डा० पी० के० राय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य कर्मचारी और अधिकारी अपने विभाग से भवन निर्माण और भवन मरम्मत के लिए ऋण की मांग इसलिए करते हैं कि ब्याज की दर कम हुआ करती है और भुगतान में उसे आसानी रहती है । मान्यवर, सर्वविदित है कि ब्याज की दर घटी है और उस घटी हुई दर का लाभ राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को अनुमन्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जायेगा ? मान्यवर, जवाब में कहा है कि केन्द्र सरकार जिस तरह से निर्धारित करती है उसी के आधार पर यहां

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पर भी निर्धारण होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की मांग की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमारी बड़ी विवशता है । केन्द्र सरकार पूरे देश के लिए यानि की सारे राज्यों के लिए निर्धारित करती है और जैसा वहां निर्धारित होता है यदि बढ़ाया जाता है तो राज्य सरकारें भी बढ़ाती हैं और यदि घटाया जाता है तो राज्य सरकारें भी घटाती हैं । इसमें किसी तरह का रोल राज्य सरकार का नहीं होता है । केन्द्र सरकार के आधार पर यहां पर आधारित होता है । किसी तरह का रद्दो बदल राज्य सरकार के अधिकार की बात नहीं है ।

**जनपद मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सिविल लाइन्स के पुराने सरकारी आवास पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक मा० न्यायालय में प्रदत्त हलफनामे में विरोधाभास सम्बन्धी प्रकरण की जानकारी**

*20–श्री समर पाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा दिनांक 6 मई, 2003 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सिविल लाइन्स, मथुरा स्थित पुराने पुलिस अधीक्षक आवास पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक मुकदमें में एक ही दिन में प्रश्गत बिन्दु पर दो हलफनामे दिये थे, जिनमें परस्पर विरोधाभास था ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार दो हलफनामें दिये जाने के कृत्य के लिए सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत उक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही को गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण से सम्बन्धित पत्रादि को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रथम हलफनामा प्रश्नगत वाद से सम्बन्धित कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व प्रकरण से सम्बन्धित मा० उच्चतम् न्यायालय में योजित एक अवमानना वाद में पारित आदेश दिनांक 8-3-2002 के प्रकाश में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा दिनांक 6-5-2003 को दाखिल किया गया था ? दूसरा हलफनामा उसी दिन याचिका की सुनवाई के समय न्यायालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में, पूर्व प्रस्तुत शपथ-पत्र को वापस लेते हुए दाखिल किया गया था ।

जी नहीं ।

मा० न्यायालय द्वारा पूर्व शपथ-पत्र को वापस लिए जाने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित याचिका को दिनांक 6-5-2003 को निरस्त कर दिया गया है ;

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## अतारांकित प्रश्न

1-2–श्री शाकिर अली–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

3–श्री राम करन आर्य–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

4–श्री ओम प्रकाश–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

### जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत गहरा करने हेतु चिन्हित तालाबों की जानकारी

5–चौ० विजेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्षा जल संचय योजना के अन्तर्गत बरसात के पानी को एकत्र करने हेतु जनपद गोण्डा में विकास खण्ड छपिया के किन-किन तालाबों को गहरा करने की योजना में वर्ष 2002-2003 में चिन्हित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)–

वर्षा जल संचय योजना नहीं, बलिक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत सूखा राहत कार्यों हेतु जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में वर्ष 2002-2003 में ग्राम पंचायत पयारखास में दो तालाब, ग्राम पंचायत भवाजीतपुर में एक तालाबा एवं ग्राम पंचायत वासुदेवपुर ग्रन्ट में एक तालाब को गहरा कराने हेतु चिन्हित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

### प्रदेश में विकास योजनाओं के मूल्यांकन की रिपोर्ट विधान मण्डल सदस्यों को उपलब्ध कराने की मांग

6–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य के नियोजन विभाग के मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन से सम्बन्धित रिपोर्ट विधान मण्डल के सदस्यों को भी उपलब्ध कराये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मूल्यांकन प्रभाग द्वारा जो मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं वह केवल सरकारी उपयोग हेतु होते हैं और प्रतिवेदनों की सीमित प्रतियां ही तैयार की जाती हैं । सभी सदस्यों को सभी मूल्यांकन प्रतिवेदनों की प्रति दिये जाने हेतु इन्हें मुद्रित कराये जाने पर अत्यधिक व्यय भार आयेगा । अतः अध्ययनों के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति विधान सभा/विधान परिषद् के पुस्तकालय में

रखे जाने का निर्णय लिया गया है । किसी मा० सदस्य विशेष की मांग पर प्रतिवेदन विशेष की प्रति/प्रतियां मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मा० सदस्य को उपलब्ध करायी जा सकती है ।

**जनपद मेरठ के यासीन कोल्ड स्टोर पर छापे में 10 टन गाय का मांस बरामद किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

7–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-5-2003 जो मेरठ में नूर इलाही के गोकुलपुर में यासीन कोल्ड स्टोर पर छापे के दौरान 10 टन गाय का मांस बरामद किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मा० सदस्य विधान सभा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल के शिकायती-पत्र दिनांक 29-5-03 में कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी ।

बिन्दु (1) पशु वधशाला में मजदूरी करने वालों पर रासुका लगा दी गयी लेकिन कोल्ड स्टोर के मालिक व पशु वधशाला के ठेकेदार पर रासुका क्यों नहीं ।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किसी मजदूर के विरुद्ध एन०एस०ए० की कार्यवाही नहीं की गयी अपितु कोल्ड स्टोर के मालिक हाजी नूर इलाही के विरुद्ध थाना मेडिकल द्वारा मु०अ०सं०–153/2003, धारा एन०एस०ए० की कार्यवाही की गयी ।

बिन्दु संख्या (2) मेरठ के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करें कि नूर इलाही की गिरफ्तारी समय सीमा के अन्दर हो ।

उक्त के सम्बन्ध में हाजी नूर इलाही द्वारा उसके विरुद्ध पंजीकृत मु०अ०सं०–153/03 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना मेडिकल में मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाने के कारण अभियोग में गिरफ्तारी नहीं की गयी लेकिन थाना कोतवाली से धारा 151/107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता में जेल में होने के कारण उसके विरुद्ध पंजीकृत अन्य अभियोग मु०अ०सं०–142/03 धारा 307 भा०दं०वि० व 7 क्रि०ला०ए० एक्ट में उसके विरुद्ध तत्काल वारन्ट बनवाकर समय सीमा में जेल में दाखिल किया गया । अभियुक्त नूर इलाही वर्तमान में भी जेल में है ।

बिन्दु सं (3) यासीन कोल्ड स्टोर में मांस का कार्य बन्द हो ।

वर्तमान में यासीन कोल्ड स्टोर बन्द है, परन्तु कोल्ड स्टोर में मांस का कार्य बन्द करने के कोई आदेश अभी तक पुलिस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है ।

बिन्दु संख्या (4) नगर निगम को निर्देशित करें कि मेरठ पशु वधशाला में केवल मेरठ की जरूरत के अनुसार ही पशुओं का कटान हो क्योंकि मेरठ पशु वधशाला पर मांस निर्यात करने का लाइसेंस नहीं है ।

उक्त बिन्दुओं का सम्बन्ध पुलिस विभाग से नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री राम करन आर्य–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

9–श्री शाकिर अली–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

10–श्री शारदानन्द अंचल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

11–श्री शारदानन्द अंचल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

**जनपद महामायानगर के ग्राम बरसौली के श्री राजकुमार पुत्र श्री मोहन लाल द्वारा मारपीट व गोली लगने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

12–श्री दीनानाथ कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजकुमार पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी ग्राम–बरसौली, थाना–हसायन, जनपद–महामायानगर द्वारा मारपीट करने तथा गोली लगने सम्बन्धी शिकायती-पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2003 पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि महानिदेशक पुलिस, उ० प्र० ने अपने पत्र डी०जी०शि०पत्र–1381/2003 (विविध), दिनांक16 अप्रैल, 2003 को पुलिस अधीक्षक, महामायानगर को जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है तथा जांचोपरान्त उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री राजकुमार पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी–बरसौली, थाना–हसायन, जनपद–महामायानगर के प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी । जांच में दोषी पाये गये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है ।

13–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ]

14–श्री मानपाल सिंह–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद फतेहपुर के जहानाबाद से कानपुर के बीच परिवहन विभाग की बसों के संचालन की जानकारी**

15–श्री राकेश सचान–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जहानाबाद (फतेहपुर) से सुबह, 8.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच कानपुर नगर के लिए परिवहन निगम द्वारा संचालित कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है, जिससे यात्रियों को आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या जहानाबाद से कानपुर नगर के बीच 8.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच दो बसें चलाये जाने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं० रेवती रमण सिंह–

जी नहीं ।

जहानाबाद (फतेहपुर) से कानपुर वाया घाटमपुर के लिए 8.30 बजे, 9.30 बजे तथा 15.45 बजे एवं जहानाबाद से कानपुर वाया साढ़ के लिए 10.00 बजे तथा 14.00 बजे बस सेवायें दिनांक 27-7-2003 से संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न का विवरण एवं इसके रोकथाम हेतु उपाय**

18–श्री अजीम भाई–

क्या सरकार को जानकारी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसमें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के सर्वाधिक मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वर्ष 98-99 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के आंकड़ों को दर्शाया गया है । इसमें प्रदर्शित सूची के अनुसार वर्ष 98 में उत्पीड़न के 6,511 मामले हुए, किन्तु आयोग द्वारा प्रति लाख अनुसूचित जाति जनसंख्या के क्रम में उत्तर प्रदेश का स्थान पांचवा है । वर्ष 96 की तुलना में वर्ष 98 में उत्पीड़न के अपराधों में कमी आयी है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों पर उत्पीड़न के अपराधों में प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्यचार निवारण) नियम, 1995 क्रमशः वर्ष 1990 एवं 1995 से लागू है । साथ ही अनुसूचित

जाति/जनजाति के सदस्यों पर उत्पीड़न के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन भी प्रदेश स्तर पर किया गया है, जहां उनकी समस्याओं का निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

17–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

**राज्य सम्पत्ति विभाग के लालबाग काम्प्लेक्स कालोनी, लखनऊ के अध्यासियों से आवास किराया जमा कराने सम्बन्धी जानकारी**

18–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत लालबाग काम्प्लेक्स कालोनी, लखनऊ में कितने अध्यासी ऐसे हैं जो भवन का किराया नियमित रूप से जमा नहीं रहे हैं और उन पर 30 जून, 2003 तक किराये की कितनी धनराशि बकाया है ? क्या सरकार ऐसे समस्त अध्यासियों से आवास खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि तक कुल 9 अध्यासियों द्वारा नियमित रूप से किराया जमा नहीं किया जा रहा है तथा रुपया 6489.00 बकाया था, जिसे जमा किया जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फतेहपुर की मदरी (अमौली) ग्राम समूह पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों की मरम्मत करा पेयजल आपूर्ति कराने की मांग**

19–श्री राकेश सचान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर की मदरी (अमौली) ग्राम समूह पेयजल योजना जिससे लगभग एक दर्जन ग्रामों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चत की जा रही थी, से वर्तमान में मात्र कुछ ही ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त पेयजल योजना की पाइप लाइनें टूटी एवं जीर्ण-शीर्ण होने के कारण योजना में सम्मिलित ग्रामों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम समूह पेयजल योजना की समस्त पाइप लाइनों को ठीक कराकर योजना में सम्मिलित सभी ग्रामों को पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

योजना में सम्मिलित 12 ग्रामों में से 5 ग्रामों में पूर्ण रूप से एवं 4 ग्रामों में आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है, तथा 03 ग्रामों में जलापूर्ति बन्द है ।

वर्तमान में कुछ स्थानों पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने एवं एक नलकूप खराब हो जाने के कारण 03 ग्रामों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है ।

क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराकर और नवनिर्मित नलकूप को चालू कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

21–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

22–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद महराजगंज के विकास खण्ड धानी में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में कराये गये विकास के कार्यों की जानकारी**

23–डा० पूर्णमासी देहाती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्राम करमहा, विकास खण्ड धानी जनपद–महराजगंज में कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के टोला बड़की एवं छोटकी मैनहिया, अनिरुद्धपुर, महम्मदपुर, जुनरकी, टेढ़िया, बाढ़ से प्रभावित रहता है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम पंचायत के सभी उक्त स्थानों पर विद्युतीकरण, इन्दिरा आवासों का निर्माण, सड़क, पानी की व्यवस्था सम्बन्धी विकास कार्य कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड धानी के ग्राम करमहा का चयन अम्बेडकर ग्राम के रूप में वर्ष 1997-98 में नहीं, अपितु वर्ष 1998-99 में हुआ है । यह ग्राम सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, प्राइमरी स्कूल, स्वच्छ शौचालय, नाली/खड़न्जा, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशुल्क बोरिंग, इन्दिरा आवास एवं स्वच्छ पेयजल अर्थात सभी प्रमुख ।। कार्यक्रमों से संतृप्त हैं ।

जी हां । कभी-कभी बाढ़ से प्रभावित रहते हैं ।

कार्य सम्पादित हो जाने की सूचना प्राप्त हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**विभागीय लेखा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ में कार्यरत चौकीदार श्री रमेश कुमार को निदेशक द्वारा प्रताड़ित करने सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

24–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक वि ागीय लेखा निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत चौकीदार श्री रमेश कुमार को अनुचित रूप से परेशान करने एवं अन्य देय लाभों से वंचित रखने विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2003 को संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र निदेशक, विभागीय लेखा निदेशालय (वर्तमान में आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय) को प्राप्त हुआ है, किन्तु संलग्नक प्राप्त नहीं हुए हैं । श्री रमेश कुमार के प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-2-2003 में उल्लिखित पत्र दिनांक 14-8-2002, 27-12-2002 एवं 29-1-2003 विभिन्न तिथियों में निदेशक, विभागीय लेखा का प्राप्त हुए हैं ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के नियम–11 के अनुसार श्री रमेश कुमार को अतिरिक्त भत्ता देय नहीं है ।

श्री रमेश कुमार, चौकीदार की ज्येष्ठता सूची निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 22-3-97 को जारी की जा चुकी है । निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यालय आदेश दिनांक 4-8-2003 द्वारा उनके स्थायीकरण आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं ।

25–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

26–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

27–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**उत्तर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या एवं उसे भरे जाने की मांग**

28–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० सचिवालय में वर्तमान समय में समीक्षा अधिकारी, संदर्भदाता व सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पद सृजित हैं व कितने अधिसंख्य पद

हैं ? उनमें से कितने पद सीधी भर्ती एवं कितने पद विभागीय पदोन्नति हेतु रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विभागीय कोटे के पदों में से कितने पद आरक्षित वर्ग के तथा कितने पद सामान्य वर्ग के रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 1782 पद सृजित हैं, जिनमें से 10 पद अस्थगित हैं । उ०प्र० सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1999 (यथासंशोधित) के प्रख्यापन की तिथि दिनांक 19-2-99 को संदर्भदाता संवर्ग की समीक्षा अधिकारी संवर्ग में संविलियन हो गया था जिसके उपरान्त अब कोई संदर्भदाता का पद सृजित नहीं है । सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 886 पद सृजित हैं । कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 22, 1997 द्वारा समीक्षा अधिकारी के अधिसंख्यक 390 पद सृजित किये गये थे ।

समीक्षा अधिकारी को सीधी भर्ती के कुल पदों के सापेक्ष 53 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी को सीधी भर्ती के कुल पदों के सापेक्ष 109 पद रिक्त हैं । समीक्षा अधिकारी की विभागीय पदोन्नति के कुल पदों के सापेक्ष रिक्त पद शून्य हैं जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी के विभागीय पदोन्नति के कुल पदों के सापेक्ष 63 पद रिक्त हैं । 390 समीक्षा अधिकारी के अधिसंख्यक पदों के सापेक्ष 96 पद रिक्त हैं ।

समीक्षा अधिकारी के 96 अधिसंख्यक पदों में से 80 आरक्षित एवं 16 सामान्य श्रेणी के तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के 63 पदों में से 49 आरक्षित तथा 14 सामान्य श्रेणी के रिक्त हैं ।

सहायक समीक्षा अधिकारी के विभागीय पदोन्नति के रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है । मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में प्रेम कुमार दुबे द्वारा दायर रिट याचिका संख्या–3155(एस/एस)/2003 के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के अन्तर्गत आदेशों के अनुपालन में प्रोन्नति आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं । उक्त रिट याचिका में अन्तरिम आदेश वेकेट करने की कार्यवाही की जा रही है । शेष रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही वर्तमान में लागू उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली 1999 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29-30–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**लखनऊ के महमूदाबाद मार्ग पर प्राइवेट बसों के संचालन हेतु अतिरिक्त परमिट दिये जाने की मांग**

31–नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर प्राइवेट बसों के संचालन हेतु अतिरिक्त परमिट दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं० रेवती ररमण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग का भाग लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज राष्ट्रीयकरण की योजना दिनांक 15-10-84 से आच्छादित है । इस राष्ट्रीयकरण की योजना में मार्ग पर विद्यमान छः परमिट धारकों की बसों का संचालन परिवहन निगम को बसों के साथ-साथ किए जाने का प्राविधान है । लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज मार्ग की राष्ट्रीयकरण की योजना को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–102 के अन्तर्गत विखण्डित किए जाने के सम्बन्ध में श्रवणाधिकारी के आदेश दिनांक 09-02-2001 एवं तत्सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 25-4-2001 के विरुद्ध मार्ग को परमिट धारिका श्रीमती सालिहा बेगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिका संख्या–1312(एम०बा०1/2001 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-8-2001 के अन्तर्गत श्रवण अधिकारी के आदेश दिनांक 09-02-01 एवं अधिसूचना दिनांक 25-4-2001 को स्थगित कर दिया गया है । माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 13-8-2001 प्रभावी रहते मार्ग पर निजी संचालकों को अतिरिक्त परमिट दिए जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

**जनपद सीतापुर के महमूदाबाद फायर ब्रिगेड के भवन निर्माण की मांग**

32–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या फायर ब्रिगेड केन्द्र महमूदाबाद, सीतापुर भवन विहीन है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

फायर ब्रिगेड केन्द्र महमूदाबाद, सीतापुर अस्थायी रूप से कार्यरत है तथा अस्थायी रूप से कार्यरत फायर ब्रिगेड केन्द्र के लिए नियमानुसार भवन निर्माण नहीं कराया जाता है ।

**जनपद कन्नौज में सहकारी संघ लि० छिबरामऊ की परिसम्पत्तियों को हड़पने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

33–श्री कल्यान सिंह दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संघ लि० छिबरामऊ, जनपद कन्नौज की परिसम्पत्तियों को हड़पने एवं हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में विनोद यादव, संचालक सहकारी समिति लि० छिबरामऊ, कन्नौज का शिकायती-पत्र दिनांक 5-4-2002 को उप जिलाधिकारी, छिबरामऊ, कन्नौज एवं जिलाधिकारी कन्नौज को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । श्री विनोद यादव, संचालक, श्री ब्रजनन्दन द्विवेदी एवं श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जिलाधिकारी कन्नौज को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांक 05-04-2002 सम्बन्धित जिलाधिकारी के यहां प्राप्त हुआ । शिकायती-पत्र की जांच जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट, छिबरामऊ से कराई गई । जांच आख्या दिनांक 26-4-2002 में संस्तुति की गई थी कि हस्तान्तरण विधि संगत है अथवा विधि विरुद्ध के सम्बन्ध में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की राय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाए । इस क्रम में वैधिक परीक्षा जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कन्नौज से कराया गया । जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कन्नौज ने अपनी आख्या दिनांक 20-2-2003 द्वारा सहकारी संघ लि०, छिबरामऊ द्वारा भूमि के विक्रय एवं हस्तान्तरण को नियमानुसार पाया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने की योजना**

34–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को ही संतृप्त किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा वर्ष 1990 से लेकर 2003 तक चयनित सभी अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । सभी अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त कराने की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

धनराशि उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना की धनसशि बढ़ाने की मांग**

35–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाली धनराशि बीस हजार रुपये से अधिक बढ़ाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी नहीं ।

इन्दिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । योजना के अन्तर्गत प्रति आवास की लागत मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है । प्रदेश सरकार द्वारा लागत मूल्य बढ़ाये जाने की कार्यवाही नहीं की जाती है ।

36, 37 व 38–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**प्रदेश के थानों की हवालातों के सुधार की कार्य योजना**

39–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश के थानों की हवालातों के सुधार के लिए कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपदों से पुलिस अधीक्षकों द्वारा जिन थानों में हवालातों को सुधारने हेतु धनराशि की मांग की जाती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षण मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि से स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

**प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मुकदमे एवं रोकने के उपाय**

40–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मई, 2002 से 15 जून, 2003 तक दलित उत्पीड़न के कितने मुकदमें दर्ज किये गये ? सरकार द्वारा दलित उत्पीड़न रोकने हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मई, 2002 से 15 जून, 2003 तक दलित उत्पीड़न के 3465 मुकदमें पंजीकृत हुये हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों पर उत्पीड़न के अपराधों में प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति) अत्याचार निवारण, नियम 1995 प्रदेश में प्रभावी है तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एवं दलित उत्पीड़न रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रभावी कदम उठाये गये हैं :–

1–विशेष जांच प्रकोष्ठ मुख्यालय, लखनऊ में स्थापित हैं । प्रदेश के बीस जनपदों में भी इस कार्य के लिए जनपदीय विशेष जांच प्रकोष्ठ स्थापित हैं तथा शेष जनपदों एवं छह राजकीय रेलवे पुलिस अनुभागों में यही व्यवस्था स्थानीय स्तर पर स्वयं के संसाधन से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

द्वारा की गयी है । विशेष जांच प्रकोष्ठ मुख्यालय से नियम,निर्देशों की हस्तपुस्तिका प्रकाशित कराकर प्रदेश के जनपदों को थाना स्तर पर वितरित की गयी है ।

2–शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति का उत्पीड़न रोकने हेतु समय-समय पर सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं ।

3– अनुसूचित जाति/जनजाति के लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश के 40 जनपदों में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**प्रदेश में मंत्रियों के सरकारी वाहनों पर पेट्रोल/मरम्मत पर व्यय धनराशि का विवरण**

41–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों के सरकारी वाहनों पर पेट्रोल तथा उसकी मरम्मत हेतु धन व्यय करने की कोई सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो वह सीमा क्या है ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि 15 जनवरी, 1999 से 15 दिसम्बर, 2000 तक प्रदेश के मंत्रियों के सरकारी वाहनों की मरम्मत एवं पेट्रोल पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के लिये स्थानीय यात्रा हेतु 125 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह की सीमा निर्धारित है । मरम्मत की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

दिनांक 15-1-99 से 15-12-2000 तक पैट्रोल पर रुपये 74,56,432.50 तथा मरम्मत पर रुपये 2,09,46,515.38 का व्यय हुआ ।

42-43–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद कानपुर नगर के बीबीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना की पाइप लाइनों की मरम्मत कर जलापूर्ति की मांग**

44–श्री राकेश सचान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद कानपुर नगर में बीबीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, जिससे लगभग एक दर्जन ग्रामों को पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, की पाइप लाइनें टूटी एवं जीर्ण-शीर्ण होने के कारण योजना में सम्मिलित ग्रामों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम समूह पेयजल योजना की पाइप लाइनों को ठीक कराकर योजना में सम्मिलित सभी ग्रामों को पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

बीबीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्रामों में से मात्र एक ग्राम रामपुर में ही जलापूर्ति नहीं हो पाने की सूचना है ।

जनपद कानपुर नगर के बीबीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना में 7 ग्राम व 4 मजरे सम्मिलित हैं । ग्राम रामपुर यमुना नदी के किनारे बीहड़ में नाला पार स्थित होने के कारण इस ग्राम की पाइप लाइन बाढ़ के कारण बह जाती हैं, और पाइप लाइन की बार-बार मरम्मत कराने में अधिक धन व्यय होता है । अतः सीमित संसाधन के कारण रामपुर की पाइप लाइन की मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है । वर्तमान में उक्त ग्राम में 16 हैण्डपम्प लगाकर पर्याप्त पेयजल सुविधा मानक के अनुसार उपलब्ध करा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड नरायनपुर के कार्यालय एवं भवनों की रंगाई पुताई के भुगतान की जानकारी**

45–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड नरायनपुर के कार्यालय एवं भवनों की रंगाई पुताई हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2001 से दिनांक 31 मार्च, 2001 के मध्य बिना कार्य कराये अनुराग ब्रदर्स चुनार के नाम 11040/रु० चेक का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

वित्तीय वर्ष 2000-01 में विकास खण्ड नरायनपुर जनपद मीरजापुर को अनुरक्षण मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष्य अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा विकास खण्ड कार्यालय/ब्लाक परिसर की रंगाई पुताई एवं पेन्टिग हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्राविधिक स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रभारी द्वारा प्राक्कलन के आधार पर विकास खण्ड कार्यालय/ब्लाक परिसर की रंगाई पुताई एवं पेन्टिग आदि का कार्य कराया गया है । उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री का क्रय अनुराग ब्रदर्स चुनार से किया गया तथा उसका भुगतान उन्हें किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**लखनऊ के थाना मलिहाबाद के श्री आशिफ अली निवासी कसमण्डी खुर्द का सूअर पालने सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

46–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आशिक अली पुत्र स्व० दोस्त अली निवासी कसमण्डी खुर्द थाना–मलिहाबाद, जिला–लखनऊ का पत्र दिनांक 28 जून, 2002 जो आबादी के अन्दर सूअर पालने से हो रही गन्दगी के सम्बन्ध में है, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रभारी निरीक्षक, थाना मलिहाबाद द्वारा दिनांक 14-12-2002 को विपक्षी बाबू को नोटिस देकर प्रतिबंधित कर दिया गया है कि भविष्य में अपने सूअरों को न घूमने दें जिससे किसी दूसरे समुदाय को कोई आपत्ति न हो । स्थानीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों को दिनांक 4-11-2002 को धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करके प्रतिबंधित कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद लखनऊ में तीन पहिया वाहनों के परमिट दिये जाने की नीति एवं अन्य वाहनों को परमिट जारी करने की मांग**

47–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में तीन पहिया वाहनों को परमिट दिए जाने की क्या नीति निर्धारित है ? क्या सरकार मैक्सी कैब, मार्शल जीप आदि के स्थान पर तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा वाहनों को आलमबाग, चारबाग, गोमतीनगर हेतु परमिट जारी करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

कुं० रेवती रमण सिंह–

लखनऊ नगर व लखनऊ नगर निगम/छावनी क्षेत्र के लिए टैम्पो/टैक्सी, आटो रिक्शा को परमिट दिये जाने की निम्न नीति निर्धारित है :–

(1) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर निगम/छावनी क्षेत्र के लिए टैम्पो/टैक्सी तिपहिया वाहनों के संचालन हेतु 40 फीडर मार्ग निर्धारित किये गये हैं । परगिटों की अनन्तिम संख्या 2400 निर्धारित है जिसके विरुद्ध वर्तमान में 2043 स्क्रवर युक्त (प्रदूषण नियंत्रक डिवाइस) टैम्पो/टैक्सियों को परमिट निर्गत किये गये हैं ।

(2) लखनऊ जनपद के केन्द्र गोसाईगंज, मोहान, बक्शी तालाव, इटौंजा केन्द्र से 40 कि०मी० की परिधि में (लखनऊ नगर निगम व छावनी क्षेत्र छोड़कर) संचालन हेतु उदारतापूर्वक टैम्पो टैक्सियों को परमिट दिये जाने की नीति है ।

(3) लखनऊ नगर निगम/छावनी क्षेत्र में तिपहिया आटो रिक्शा (3+1 सीटर) के संचालन हेतु 50 केन्द्र निर्धारित किये गये हैं । जिनका संचालन केन्द्रों के लिए 16 किमी० की परिधि में होता है । 50 केन्द्रों के लिए आटो रिक्शा परिमिट की अनन्तिम संख्या 1076 निर्धारित है, जो पूर्ण हो चुकी है ।

(4) लखनऊ नगर निगम छावनी क्षेत्र के बाहर आटो रिक्शा के संचालन के लिए मोहनलालगंज, बनी, गोसाईगंज व बक्शी का तालाब केन्द्र निर्धारित किये गये हैं । इन केन्द्रों से इस शर्त के साथ 16 किमी० की परिधि में उदारतार्पूक परमिट दिये जाने की नीति है किन्तु इन केन्द्रों के आटो रिक्शा का प्रवेश नगर निगम व छावनी क्षेत्र में वर्जित होगा ।

जी नहीं ।

चारबाग केन्द्र से 16 कि०मी० की परिधि में 18 मैक्सी कैब तथा नगर बस मार्ग संख्या–3 राजाजीपुरम्–चारबाग-पीजीआई पर 43 मार्ग संख्या–4 गोमतीनगर-चारबाग-दुबग्गा-पर 45 एवं मार्ग संख्या–5 आशियाना-चारबाग-इंजीनियरिंग कालेज पर 112 कुल 218 मैक्सी कैब मार्शल जीप आदि संचालित हैं । इन वाहनों की सामान्यता चालक सहित सीटिंग क्षमता 10 होती है । इन 218 मार्शल जीप आदि वाहनों के स्थान पर (3+1 सीटर आटो रिक्शा को संचालित करवाने के लिए 654 आटो रिक्शा की आवश्यकता होगी । इस प्रकार 218 मार्शल जीप वाहनों के स्थान पर 654 आटो रिक्शा चलवाने से ट्रैफिक अवरुद्धता, दुर्घटना आदि की समस्यायें उत्पन्न होगी अतः मार्शल जीप/टाटा सूमों आदि वाहनों के स्थान पर आटो रिक्शा परमिट जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

48–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद जौनपुर के गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज प्रतापगंज में छात्रवृत्ति की धनराशि न दिये जाने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

49–श्री कल्यान सिंह दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर में वर्ष 1987 से वर्ष 2001 तक लाखों रुपये के गबन एवं छात्रवृत्ति की धनराशि न दिए जाने के संबंध में दिनांक 25-4-2002 को थाना–सिकरारा, जौनपुर में मु०आ०सं०–65/2002, धारा–409 आई०पी०सी० में दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, किन्तु शिकायत 1997-98 से है, न कि 1987 से ।

मु०अ०सं०–65/2002 की जांच तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री हरी सिंह एवं उनके स्थानान्तरण के उपरान्त उप निरीक्षक श्री राम सिंह द्वारा की गयी । विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दि० 25-7-2002 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । अभियुक्त प्राचार्य डा० अरूण कुमार उपाध्याय की गिरफ्तारी पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है । मुकदमा विचाराधीन न्यायालय में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद कन्नौज निवासिनी श्रीमती रानी देवी श्रीवास्तव द्वारा जानमाल की सुरक्षा एवं एफ०आई०आर० दर्ज करने विषयक पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही**

50–श्री कल्यान सिंह दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रानी देवी श्रीवास्तव, सदस्य, अपराध निरोधक समिति, कन्नौज द्वारा दि० 19-9-2001 को दिए गए प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा दि० 20-9-02

को जान-माल की सुरक्षा एवं एफ०आई०आर० दर्ज करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या श्रीमती श्रीवास्तव की एफ०आई०आर० दर्ज कर सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी, हां ।

श्रीमती रार्नादेवी श्रीवास्तव, सदस्य, अपराध निरोधक समिति, कन्नौज द्वारा दिनांक 19-9-2001 को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 20-9-2001 को पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को प्रार्थिनी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-9-2001 पर प्रार्थिनी की सुरक्षा एवं एफ०आई०आर० दर्ज करने के आदेश दिये थे ।

जी नहीं । पुलिस अधीक्षक, कन्नौज द्वारा आवेदिका के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 19-9-2001 में अंकित आरोपों की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर के माध्यम से करायी गयी । जांच के निष्कर्ष से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप असत्य पाये गये । शांति भंग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्ष का चालान धारा 107/116 सी०आर०पी० सी० के अन्तर्गत दिनांक 4-11-2001 को न्यायालय द्वारा किया गया । तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं महसूस की गयी ।

51-53–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**प्रदेश में दर्ज अपराधों की संख्या एवं रोकथाम के उपाय**

54–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मई, 2002 से नवम्बर, 2002 तक कितने हत्या, बलात्कार, राहजनी, चोरी, डकैती के मामले दर्ज किए गए हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश मे मई, 2002 से नवम्बर, 2002 तक की अवधि में हत्या के 3893, बलात्कार के 681, राहजनी के 1225 चोरी के 2590, डकैती के 159 मामले दर्ज किये गये हैं ।

जी नहीं । गत वर्ष की अपेक्षा उक्त अवधि में प्रत्येक अपराध में कमी आई है ।

अपराधों के रोकथाम के नियंत्रण के लिए प्रदेश भर की कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा नियमित रूप से शासन तथा पुलिस महानिदेशक स्तर से की जाती है तथा समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिये जाते है तथा निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

55-57–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

58–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

[ दूसरे मंगल के अता०प्र०सं०–110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

59–श्री कोविद कुमार सिंह–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

60–श्री शाहिद मंजूर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

61–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**प्रदेश में कतिपय असहाय लोगों को इन्दिरा आवास दिये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

62–श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र माह मई, 2003 जो कि दलित बेसहारा, विधवा व असहाय व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिये जाने के संबंध में था मुख्य मंत्री कार्यालय से कम्प्यूटर संख्या सी-10079734 पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–/79734/2003, द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई को दि० 29-5-03 को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां ।

मा० सदस्य द्वारा चयनित 10 अम्बेडकर ग्रामों में 252 आवासों का अनुमोदन/आवंटन शासी निकाय की समिति द्वारा दिनांक 26-7-2003 को किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

63–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

[ तीसरे शुक्र के अता०प्र०सं०–167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

**जनपद हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के मार्ग को डामरीकृत मार्ग से जोड़ने की मांग**

64–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के ब्लाक हरपालपुर के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में चयनित अम्बेडकर गांव ढकपुरा फरनवाबाद से सलेमपुर अर्जुनपुर हडहर तक जाने वाले मार्ग को पक्की डामर मार्ग से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

धनराशि की उपलब्धता होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद हरदोई के ब्लाक हरपालपुर के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के मार्ग को डामरीकृत मार्ग से जोड़ने की मांग**

65–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के ब्लाक हरपालपुर के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में चयनित अम्बेडकर गांव ढकपुरा पलिया, कीरतपुर से बेड़ीजोर जाने वाले मार्ग को डामर मार्ग से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

अम्बेडकर ग्राम ढकपुरा राम गंगा व कुण्डानाला के मध्य स्थित है । ढकपुरा अम्बेडकर ग्राम को जोड़ने के लिये प्रश्नगत सरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया ।

66–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

67–श्री छोटे लाल वर्मा–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

68–श्री शाहिद मंजूर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद फैजाबाद के क्षेत्र पंचायत मवई के खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण व विकास कार्यों में अनियमितता की जांच**

69–श्री अब्बास अली जैदी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–फैजाबाद के क्षेत्र पंचायत मवई में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी विगत 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात है और उनके द्वारा विकास कार्यों में अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करके उनके द्वारा कराये गये विकास कार्यों की जांच करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

श्री शिव रतन लाल, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत मवई, जनपद–फैजाबाद में दिनांक 31-07-1997 से दिनांक 17-09-2003 तक कार्यरत थे, जिन्हें स्थानान्तरण के फलस्वरूप मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय आदेश दिनांक 17-09-2003 द्वारा जनपद–फैजाबाद से जनपद–अम्बेडकरनगर के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है । श्री लाल के विरुद्ध विकास कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः इनके विरुद्ध जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

**कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर में अम्बेडकर ग्रामों के विकास कार्य**

70–श्रीमती अरुण कुमारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घोषित समस्त अम्बेडकर ग्रामों में मानक के अनुरूप सभी कार्य करा दिये गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

**कानपुर देहात के रनिया फैक्ट्री एरिया के प्रदूषित पानी से किसानों की भूमि को बचाने का कथित प्रकरण**

71–श्रीमती अरुण कुमारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर देहात स्थित रनिया फैक्ट्री एरिया से निकल रहे प्रदूषित पानी से किसानों की जमीन ऊसर हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की जमीन ऊसर न होने से बचाने हेतु फैक्ट्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

72–डा० शिव प्रताप यादव–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**सचिवालय कर्मियों के वेतनमान उच्चीकरण किये जाने विषयक बजाज समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग**

73–श्री प्रेम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजाज समिति की रिपोर्ट जो सचिवालय सेवा कर्मियों के वेतनमानों को उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में थी, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बजाज समिति की रिपोर्ट पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के आधार पर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण से सम्बन्धित है । वेतन समिति द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के साथ-साथ सचिवालय सेवा कर्मियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में भी अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की गयी थीं । वेतन समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय से सचिवालय प्रशासन विभाग को वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे०आ०–2-1551/दस-2002-44/2001, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74-75–डा० शिव प्रताप यादव–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

76–श्री शाहिद मंजूर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**श्री आर०बी० भास्कर, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

77–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि, उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग–5 के पत्र संख्या–एम-35/दो-5-2003-22(28)/74, दिनांक 13-6-2003 जो कि श्री आर०बी० भाष्कर, तत्कालीन प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ०प्र० शासन द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न में अंकित उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग–5 के पद संख्या–एम-35/दो-5-2003-22(28) /74, दिनांक 13-6-2003 द्वारा श्री आर० बी० भाष्कर, आई०ए०एस० सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग के विरुद्ध कतिपय शिकायत विषयक श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, मा० सदस्य, विधान सभा व अन्य के पत्र संख्या–ख-2 नं० 536039 दिनांक 31-3-2003 जो प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित था तथा प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ था, कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–13/1/97-का-1/1997, दिनांक 9 मई, 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत मा० सदस्य, विधान सभा की पुष्टि हेतु भेजा गया था । वह पुष्टीकरण मा० सदस्य, विधान सभा, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया को करना था और उनके द्वारा पुष्टीकरण किया गया है । पुष्टीकरण सम्बन्धी कोई कार्यवाही इस स्तर पर अपेक्षित नहीं थी ।

78–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

[ स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

79–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

80–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**थानाध्यक्ष, थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा द्वारा पूर्व विधायक की पिटाई का कथित प्रकरण**

81–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थानाध्यक्ष कटरा बाजार गोण्डा द्वारा श्री रामदेव मिश्र, पूर्व विधायक को माह जुलाई, 2001 में ग्राम बंजरिया में अपनी जमीन पर कब्जा पाने के विवाद में पकड़कर लाठी डण्डे से पिटाई कर दी थी ? उक्त प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये थे ? क्या उक्त जांच पूरी कर ली गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस सम्बन्ध में थाना कटरा बाजार पर मु०अ०सं० 89/01 धारा–147/148/149/323/504/506/452/427 भा०द०वि० श्री रामदेव मिश्र आदि 8 नामों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

जी हां ।

जी नहीं । जांच प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षकों की एक ही स्थान पर तैनाती की समय सीमा एवं स्थानान्तरण**

82–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जनपद में पुलिस उप निरीक्षकों की तैनाती की समय सीमा क्या है ? जनपद गोण्डा में कितने उप निरीक्षक ऐसे हैं जो निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से तैनात हैं ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उप निरीक्षकों की एक जनपद में तैनाती की समय सीमा 6 वर्ष है ।

कुल 8 उप निरीक्षक निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से तैनात हैं ।

इनके स्थानान्तरण हेतु शासन से निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

**ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद शाहजहांपुर द्वारा ग्राम बुधआना में यात्री शेड के निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग**

83–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-02 जो विधायक निधि के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, शाहजहांपुर द्वारा निर्मित ग्राम बुधआना में यात्री शेड में की गई

अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या जिलाधिकारी ने दिनांक 24-7-02 को पत्रांक 1936 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–2 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या–2726कैंप जांच दिनांक 29-8-2002 द्वारा मा० विधायक को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

84–श्री शारदानन्द अंचल–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

85-87–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

88-90–श्री बंशीधर राज–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**थाना कोतवाली मैनपुरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–517/2001 की विवेचना का कथित प्रकरण**

91–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–517/2001थाना कोतवाली मैनपुरी की विवेचना की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या उक्त मुकदमे की अग्रेतर विवेचना किसी उच्चाधिकारी से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मु०अ०सं०–517/2001 थाना–कोतवाली, मैनपुरी की विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा पूर्ण की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**विभिन्न वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने का कथित प्रकरण**

92–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सामान्य वर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

क्योंकि आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2003 द्वारा सभी प्रकार की भर्ती स्थगित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद कानपुर की किदवई नगर डिपो से बस सेवा संचालन की जानकारी**

93–श्री राकेश सचान–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि किदवई नगर डिपो कानपुर से कोई बस सेवा वाया साढ़ होकर जहानाबाद (फतेहपुर) तक संचालित की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर बारादेवी कानपुर से वाया साढ़ होकर जहानाबाद तक बस सेवा प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं० रेवती रमण सिंह–

दिनांक 27-7-2003 से किदवई नगर डिपो की प्रतिदिन 3 अप 3 डाउन सेवाओं का संचालन बारादेवी से साढ़ होकर जहानाबाद (फतेहपुर) तक किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद रायबरेली, विधान सभा क्षेत्र सरैनी के अन्तर्गत थाना, कोतवाली में मानक के अनुरूप पुलिस बल की तैनाती की मांग**

94–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरैनी, जनपद–रायबरेली के अन्तर्गत पुलिस कोतवाली एवं थानों में मानक के अनुरूप पुलिस बल तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र सरैनी जनपद रायबरेली के अन्तर्गत आने वाले कोतवाली एवं थानों में मानक के अनुरूप मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी तैनात हैं । उप निरीक्षक का नियतन जनपद रायबरेली में रिक्तियों के कारण पूर्ण नहीं है ।

**प्रदेश में कार्यरत विशेष अनुसंधान शाखा का विवरण एवं जनपद लखनऊ की शाखा को समाप्त करने की जानकारी**

95–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० आई०एस० विशेष अनुसंधान शाखा प्रदेश के कितने जिलों में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि जनपद–लखनऊ की विशेष अनुसंधान शाखा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ने अपने आदेश दि० 25-7-2002 द्वारा समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शाखा समाप्त करने की स्वीकृति शासन से प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

96–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद अम्बेडकर नगर विकास खण्ड अकबरपुर में विगत कई वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यों का भौतिक सत्यापन का प्रकरण**

97–डा० इन्द्रदेव सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा हुसैनपुर सकरवारी, विकास खण्ड–अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर में वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कराये गये है ? क्या यह सही है कि कराये गये कार्य मानक के अनुरूप नहीं हैं और धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

ग्राम सभा हुसैनपुर सकरवारी, विकास खण्ड–अकबरपुर, जिला–अम्बेडकर नगर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की वित्तीय वर्षवार सूची संलग्न है ।

कराये गये कार्य मानक के अनुरूप हैं कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया जिसमें धनराशि का दुरुपयोग नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ .....146..... पर ।)

**जनपद सिद्धार्थनगर में अपर पुलिस अधीक्षक सीमा परिक्षेत्र के कार्यालय भवन के किराये के भुगतान की मांग**

98–श्री अनिल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में अपर पुलिस अधीक्षक सीमा परिक्षेत्र सिद्धार्थनगर कार्यालय 01-08-1998 से किराये के गबन में चल रहा है ? यदि हां, तो अव तक कितना किराये का भुगतान भवन स्वामी को किया जा चुका तथा कितना देना शेष है ? क्या सरकार भवन स्वामी को किराये की बकाया धनराशि का भुगतान करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अपर पुलिस अधीक्षक, सीमा परिक्षेत्र, सिद्धार्थनगर का कार्यालय दिनांक 1-8-97 से किराये के भवन में चल रहा था । माह दिसम्बर 2002 में खाली करके भवन स्वामी के कब्जे में दे दिया गया है ।

प्रश्नगत भवन का किराया रु० 4182.75 प्रतिमाह दिनांक 1-8-97 से स्वीकृत किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या–4945/6-पु-7-03, दिनांक 3-11-2003 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद प्रतापगढ़ के आटो टैक्टर्स लि० की परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण व भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी जानकारी**

99–चौधरी विजेन्द्र सिंह–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के उपक्रम आटो टैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ की कुल परिसम्पत्ति का मूल्य सिपानी ग्रुप को हस्तान्तरण के समय क्या थी ? क्या उक्त उपक्रम के परिसम्पत्तियों का भुगतान राज्य सरकार को मिल गया हैं ? यदि नहीं, तो उसको वसूलने के लिए सरकार

की क्या योजना है ? उक्त उपक्रम वर्तमान में बालू हालत में है ? यदि हां, तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को एक अनुबन्ध के तहत संयुक्त क्षेत्र में चलाये जाने हेतु इसका प्रबन्धन मै० सिपानी आटोमोबाइल्स लि० को दिये जाने के पूर्व इसकी कुल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कराया गया था । मूल्यांकन के अनुसार इसके भूमि, भवन तथा प्लान्ट तथा मशीनरी का कुल मूल्य लगभग रु० 880.00 लाख आंका गया था ।

प्रसंगगत उपक्रम की परिसम्पत्तियों का विक्रय नहीं किया गया था, अपितु इसको राज्य सरकार और मै० सिपानी आटोमोबाइल्स लि० के बीच दिनांक 19-3-1991 को निष्पादित एक अनुबन्ध के तहत संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करते हुए इसका प्रबन्धन मै० सिपानी आटोमाबाइल्स लि० को सौंपा गया था और अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही अभीष्ठ थी ।

चूंकि, उपक्रम का विक्रय मै० सिपानी आटो मोबाइल्स लि० को नहीं किया गया था, अतएव उसकी परिसम्पत्तियों का मूल्य वसूलने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, अब यह उपक्रम मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित दिनांक 8-5-2002 के आदेश से परिसमापनाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर के ग्राम बीबीपुर रेहटा में आम रास्ते पर अवैध कब्जा विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

100– श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बीबीपुर रेहटा, परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में बंजर भूमि गाटा संख्या–222 जो आम रास्ता है को अवैध रूप से अवरुद्ध कर दिये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान रेहटी श्री बब्बन यादव का पत्र दिनांक 28-6-2003 सचिव, गृह उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के माध्यम से करायी गयी । आवेदक द्वारा निर्मित कराये गये खड़ञ्जे को पुनः बिछवा दिया गया है जिस पर गांव के लोगों का आवागमन है । जांच से शिकायती-पत्र में लगाये गये अन्य आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद रायबरेली क्षेत्र सरेनी के ब्लाक डलमऊ के कतिपय अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने की कथित जानकारी**

101–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरेनी जनपद–रायबरेली में डलमऊ ब्लाक का स्वीकृत अम्बेडकर ग्राम–रिसालपुर लोटनहा को संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

यह गांव अम्बेडकर ग्राम चयनित नहीं हो सका है ।

102-103–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

104–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

105–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद हरदोई के कतिपय कस्बों में बस स्टैण्ड बनवाने की मांग**

106–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में यात्रियों की सुविधा हेतु बिलग्राम सांडी हरपालपुर कस्बों में क्या सरकार बस स्टैण्ड बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं० रेवती रमण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यात्रियों की उपलब्धता के दृष्टिगत बस स्टेशन निर्माण का औचित्य नहीं है ।

**विकलांग व्यक्ति को शस्त्र लाइसेन्स जारी करने की जानकारी एवं जनपद मैनपुरी थाना बेवर के श्री पुष्पेन्द्र सिंह विकलांग को जारी लाइसेन्स पर कार्यवाही की मांग**

107–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या विकलांग व्यक्ति को शस्त्र लाइसेन्स जारी किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी नगला विद्रा थाना बेवर जनपद मैनपुरी जिसका एक हाथ कोहनी के ऊपर से कटा हुआ है, को रायफल का लाइसेन्स नं० 2553/जीएस/2001 किस नियम के अन्तर्गत किस-किस अधिकारी की संस्तुति पर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त विकलांग को दिये गये शस्त्र लाइसेन्स को निरस्त कर झूठी संस्तुति करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

उक्त श्री पुष्पेन्द्र सिंह को रायफल लाइसेन्स तत्कालीन उप निरीक्षक, एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली, मैनपुरी थानाध्यक्ष बेवर क्षेत्राधिकारी नगर, अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी तथा तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया गया था ।

लाइसंसी के विकलांग होने के आधार पर उक्त स्वीकृत राइफल लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है तथा गलत आख्या/संस्तुति प्रदान करनें वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यथानियम कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों को लिखा जा चुका है ।

108–श्री शारदानन्द अंचल–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

109-111–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**प्रदेश में आबकारी नीति संशोधित कर आरक्षण लागू करने की मांग**

112–श्री बीजू पटनायक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की आबकारी नीति में संशोधन करते हुए शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में 22% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण करने पर विचार करेगी ?–यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

नई आबकारी नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आबकारी वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व यथासंभव मार्च माह में देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों के अनुज्ञापन के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति भी आवेदन-पत्र दे सकते हैं, किन्तु अलग से आरक्षण की व्यवस्था नियमों में नहीं है । सामाजिक तथा आबकारी राजस्व के दृष्टिकोण से आबकारी दुकानों के आवंटन में आरक्षण व्यवस्था लागू करना उचित नहीं होगा । शासन की यह भी नीति है कि अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आबकारी दुकानें न खोली जायं ।

**प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट वाहन हेतु जारी परमिट में आरक्षण व्यवस्था का प्रकरण**

113–श्री बीजू पटनायक–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट वाहन चलाने हेतु जारी किये जा रहे परमिटों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु० रेवती रमण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्भागीय./अन्तर्सम्भागीय अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट स्वीकृत करने में उदारनीति प्रभावी है । इसके तहत कोई भी वाहन परमिट प्राप्त कर सकता है ।

114–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

115–श्री कौशल किशोर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

**जनपद फैजाबाद थाना खण्डासा के मौजा औरवा में कु० साधना के अपहरण विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

116–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-6-2003 जो कु० साधना अनुसूचित जाति निवासी साकिन मुडेरवा मौजा औरवा, थाना–खण्डासा, जनपद–फैजाबाद का अपहरण एवं बलात्कार किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 19-4-03 को श्री शेरबहादुर पुत्र श्री रामदेव निवासी मुडेरवा थाना खण्डासा, फैजाबाद की लिखित सूचना के आधार पर थाना–खण्डासा पर मु०अ०सं०–152/03 धारा 363/366 भा०दं०वि० पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान अपहृता कु० साधना की बरामदगी तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् अभियोग में धारा 376 भा०दं०वि० की बढ़ोत्तरी की गई । इस अभियोग में अभियुक्तगण राजकुमार व महेन्द्र कुमार निवासी मुडेरवा थाना–खण्डासा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । पीड़िता एवं अभियुक्तगण एक ही जाति बेड़िया (अनुसूचित जाति) होने के कारण एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी है । आरोप-पत्र न्यायालय में दिनांक 18-5-03 को प्रेषित कर दिया गया है ।

तत्कालीन थानाध्यक्ष खण्डासा श्री इन्द्र नरायन मिश्र द्वारा कु० साधना के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में इनके विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(2) के अन्तर्गत "परिनिन्दा प्रविष्टि" प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद में साधन सहकारी समिति लि० एहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

117–श्री प्रेम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० राम अधार यादव, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश का पत्रांक 1845/एम०सी०डी०/2003, दिनांक 27 जून, 2003 जो जनपद फैजाबाद में साधन सहकारी समिति लि० एहार, विकास खण्ड रुदौली में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच कराई गई जांच में वित्तीय अनियमितता आदि के मामले प्रकाश में आने पर समिति के सचिव श्री विक्रमाजीत मिश्रा व विक्रेता श्री नन्द लाल को निलम्बित कर दिया गया है । समिति कार्य के संचालन हेतु नये सचिव की नियुक्ति कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

118–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

**जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सादात के कतिपय मार्गों पर रोडवेज बस चलवाने की मांग**

119–श्री बीजू पटनायक–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद में विधान सभा क्षेत्र सादात के अन्तर्गत सैदपुर देवचन्दपुर, रामपुर, मांझा, नारी, पचदेरा, चाड़ीपुर से होते हुए गाजीपुर तक रोडवेज बस चलाये जाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं० रेवती रमण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मार्ग सैदपुर से गाजीपुर के बीच का मार्गांश अत्यन्त जर्जर होने के कारण बस संचालित करने में कठिनाई है ।

120– श्री दीनानाथ कुशवाहा–

[ 2रे शुक्र के अता०प्र०सं०–76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद गोण्डा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण**

121–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2000 से मार्च, 2003 तक कितनी सड़कें स्वीकृत की गई ? क्या स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद गोण्डा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2000 से मार्च, 2003 तक कुल 20 सड़कें स्वीकृत की गयी हैं । स्वीकृत कुल 20 सड़कों में से 15 सड़कों का निर्माण कार्य करा दिया गया है । शेष 05 सड़कें निर्माणाधीन हैं ।

**जनपद शाहजहांपुर में विधायक कोटे के नलों पर प्लेटफार्म बनाये जाने विषयक जिलाधिकारी को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही**

122– श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "भुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-2002 जो वर्ष 2001-2002 में विधायक कोटे के प्रस्तावित नलों पर प्लेट फार्म न बनाये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या 1911 दिनांक 18-7-2002 को अधिशासी अभियन्ता जल निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रस्तावित नलों पर प्लेटफार्म बनाये जाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

123–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

124– श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया । ]

## जनपद रायबरेली ब्लाक सरेनी के ग्राम फिरोजपुर में पानी की टंकी द्वारा जल आपूर्ति

125–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली के ब्लाक सरेनी ग्राम-फिरोजपुर की जल निगम द्वारा निर्मित कराई गई पानी की टंकी द्वारा जल आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो उससे कितने ग्राम सेवित हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र सरैनी, जनपद–रायबरेली के ग्राम फिरोजपुर में जल निगम द्वारा निर्मित की गई पानी की टंकी से जलापूर्ति चार ग्रामों में आंशिक रूप से दिनांक 20-7-2003 तक हो रही थी । दिनांक 21-7-2003 को नलकूप फेल हो जाने के कारण जलापूर्ति पूर्णरूप से बन्द है ।

126–श्री सोमारु राम सरोज–

[ दूसरे शुक्र के अता०प्र०सं०–118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित । ]

## नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है (पढ़ी हुई मानी गयी), दूसरी सूचना श्री राम किशुन की है (पढ़ी हुई मानी गयी), तीसरी सूचना श्री बीजू पटनायक की है (पढ़ी हुई मानी गयी), चौथी सूचना श्री अयोध्या प्रसाद पाल की है (अनुपस्थित), पांचवी श्री जगदीश नारायण राय की है (पढ़ी हुई मानी गयी) छठी सूचना डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा की है (पढ़ी हुई मानी गयी) सातवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है श्री अयोध्या प्रसाद पाल अनुपस्थिति हैं अतः इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान श्री बाबू लाल कुशवाहा की सूचना स्वीकृत की जाती है ।

प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर की प्रतीक्षा सूची की सूचना तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सूचना को अस्वीकार किया जाता है ।

(सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं )

## जनपद शाहजहांपुर की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर सुरक्षात्मक बांध के निर्माण हेतु वर्ष 2000 में अधिग्रहीत की गयी किसानों की जमीन का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[ मान्यवर, शाहजहांपुर की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर सुरक्षात्मक बांध के निर्माण के लिये दिनांक 6-2-2000 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया गया था । यह भूमि शाहजहांपुर की सदर तहसील के ग्राम नवादा इन्देपुर (परगना जमौर) की गाटा संख्या 600 से 0-166 रकवा 601 से 0-109 रकवा 594 से 0-013रकवा 599 से 0-625 रकवा है

काश्तकारों द्वारा कई बार लिखने मांग करने तथा अधिकारियों से सम्पर्क करने के बाद भी इस जमीन का मुआवजा नहीं मिला । कई काश्तकार इस जमीन के अधिग्रहण से पूरी तरह बेरोजगार हो गये, उनके सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गयी है ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से उक्त भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दिलाये जाने की मांग करता हूं । ]

## जनपद चन्दौली में पड़ाव भुपौली मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामकिशुन–

[ मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ाव भुपौली मार्ग का निर्माण कार्य लगभग 25-30 वर्ष पहले से शुरू हुआ है । आधी सड़क बन गयी है और आधी सड़क पूर्ण रूप से नहीं बनी है । इस सड़क मार्ग पर दो पुल बनाने की स्वीकृति भी मिल गयी थी, धन भी उपलब्ध हो गया था, परन्तु अधिकारियों के लापरवाही के चलते आज भी इस सड़क की स्थिति बहुत ही खराब और जर्जर अवस्था में है । इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपये की लागत आ चुकी है लेकिन पुल न बनने के कारण निर्माणाधीन यह सड़क आज भी तीन भागों में बटी हुई है जिससे जनता को भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है । यह सड़क मेरे विधान सभा मुगलसराय के साथ-साथ धानापुर चन्दौली विधान सभा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है । इस सड़क के बन जाने तथा पुल निर्माण हो जाने से लाखों लोगों को आने जाने की दूरी कम हो जायेगी, तथा यातायात की सुविधा बढ़ जायेगी । अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर जनहित में पड़ाव भुपौली मार्ग चन्दौली को तत्काल बनाये जाने के लिए सदन से मांग करता हूं तथा वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूं । ]

## आबकारी विभाग द्वारा शराब के ठेके आवंटित करने में पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के बेरोजगारों को आरक्षण देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक–

[ मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं पूरे प्रदेश में देशी शराब, विदेशी शराब बीयर की दुकानों को पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की देखरेख में दुकानें नीलाम होकर आवंटित की जाती हैं जिसमें बाहुबलियों को अधिकांश दूकानें आवंटित हो जाती हैं जिससे पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर दूर हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में सरकार इन बरोजगारों को सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं दे पाती है । मान्यवर, सादर अनुरोध है कि पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए देशी शराब, विदेशी शराब और बीयर की दुकानों में पूरे प्रदेश में आरक्षण लागू कर इन्हें दुकान आवंटित करने की कृपा करें जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके ।

अतः इस लोक महत्व के विषय का सदन के संज्ञान मे लाकर मा० मंत्री जी से वक्तव्य देने की मांग करता हूं । ]

---

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज विकास खण्ड में उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री जगदीश नारायण राय–

[ मान्यवर, जनपद जौनपुर के जिला प्लान में वर्तमान वर्ष हेतु मुफ्तीगंज विकास खण्ड में उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी०एस०सी०) प्रस्तावित है । इस संबंध में ग्राम सभा रामपुर विकास खण्ड मुफ्तीगंज में जमीन भी प्रस्तावित कर दी गयी है । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसी बजट में पैसा अवमुक्त करके उक्त सी०एस०सी० के निर्माण की मांग करता हूं ।]

**जनपद जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

[ मान्यवर, अतिवृष्टि से जनपद जालौन में 17 हजार हेक्ट० की खरीफ फसल नष्ट हो गयी थी । वर्तमान में रबी फसल हेतु कालपी जनपद जालौन के किसानों को पलेवा हेतु दिसम्बर प्रथम सप्ताह तक नहरों/राजकीय नलकूपों से पानी उपलब्ध नहीं हो सका है । बेतवा प्रखण्ड प्रथम व द्वितीय के अधिकारियों की लापरवाही के चलते तथा 25 प्रतिशत राजकीय नलकूप विद्युत दोष तथा 20 प्रतिशत राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष से बन्द होने के कारण किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । 75 प्रतिशत कृषि भूमि में सिंचाई के अभाव में अभी तक गेहूं बोना न संभव होने के कारण किसानों का भविष्य अंधकारमय है । मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं । ]

**जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुसुमखोर गंगा घाट पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री विश्राम सिंह यादव–

[ मान्यवर, हरदोई जनपद एवं कन्नौज जनपद के मध्य गंगा नदी बहती है इस नदी के दक्षिण तरफ विशेष कर कन्नौज विधान सभा तथा उत्तर की तरफ बिलग्राम विधान सभा की जनता रहती है । दोनों तरफ की लाखों की जनता का गंगा नदी पार करने का एक ही रास्ता कुसुमखोर का घाट है । इस घाट पर नाव की भी व्यवस्था ठीक-ठाक नहीं रहती है जिससे दोनों तरफ की जनता काफी परेशान रहती है नाते-रिश्तेदारों में पहुंचना दूभर हो गया है जिससे जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है ।

अतः लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर कुसुमखोर गंगा घाट पर पुल बनाने की मांग करता हूं । ]

**नगरपालिका परिषद् बांदा में सफाई कर्मियों का फर्जी तरीके से जी०पी०एफ० फण्ड से पैसा निकाले जाने की जांच कराने एवं संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[मान्यवर, नगर पालिका बांदा के सफाई कर्मचारी श्री भवानी दीन पुत्र गनेश निवासी मर्दनाका शहर बांदा की जी०पी०एफ० फण्ड का पैसा दिनांक 7-2-03 को 15000 रुपया फर्जी तरीके से निकाल लिये गये हैं जबकि उसने कभी भी अपने जी०पी०एफ० फण्ड से पैसा नहीं निकाला है, और न ही इसके लिए आवेदन ही किया है । इसी तरह से पूर्व में भी अन्य कर्मचारियों के जी०पी०एफ० फण्ड निकाल

कर हेराफेरी की गई है । पूरे प्रकरण में सम्बन्धित स्वास्थ्य लिपिक इन्चार्ज स्वास्थ्य निरीक्षण अधिशासी अधिकारी, कर्मचारीगण आदि नगरपालिका बांद के संलिप्त हैं ।

उक्त भुक्तभोगियों के द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत करने पर उनको जान माल व नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं । इससे बांदा नगरपालिका परिषद् के सफाई कर्मचारियों में भय व रोष व्याप्त है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा सफाई कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा की मांग करता हूं । ]

## कानपुर देहात के थाना रुरा में महिला के साथ दरोगा एवं सिपाहियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने का प्रकरण

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि कानपुर देहात के थाना रूरा के गांव अधमईयर में एक दरोगा, सिपाही ने एक लड़की के साथ थाने में बलात्कार किया । यह लखनऊ के प्रेस मीडिया मे भी दिया गया है । इसके मां बाप व बेटी बिमला इसी विधान सभा के सामने धरने पर बैठी हैं । वह 15 दिन से धरने पर बैठी हैं । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दरोगा, सिपाही को गिरफ्तार किया जाये । मान्यवर, जिसकी इज्जत लूटी है वह लड़की विधान सभा के सामने धरने पर बैठी है । मैं मानवीय आधार पर निवेदन करूंगा कि उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए उस दरोगा, सिपाही की गिरफ्तारी की जाये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि वह लड़की कानपुर की नहीं उन्नाव की है । मैं भी उससे मिला था । एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य सचिव से वार्ता कर चुका है । लेकिन फिर भी कार्यवाई नहीं हुयी । यह खेद की वात है । पुलिस थाने में बलात्कार हो । उसमें निश्चित रूप से कार्यवाई होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसको संज्ञान में लेकर इसमें शीघ्रता से कार्यवाई करें ।

## नियम 51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में निहित आश्वासन की पूर्ति न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 300 में दो सूचनाएं प्राप्त हुयीं । पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है ।

श्री जगदीश नारायण राय –

मान्यवर, मैंने नियम–51 में एक सूचना दी थी । उसका जवाव भी वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुआ था । 14-11-03 को दो वक्तव्य भी आये । इससे स्पष्ट जाहिर है कि शासन इसके प्रति गम्भीर नहीं है और न ही मैं समझता हूं कि कोई कार्यवाही की जाती है, मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि एक महीने वाद भी अगर जांच नहीं हो पायी है और उस पर न ही कोई कार्यवाही हुयी है, तो आप शासन को इस सम्वन्ध में निर्देशित करें कि वह इस पर विचार करके इस पर उचित कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको आप दिखवा कर इस पर उचित कार्यवाही करने का निर्देश दें ।

## अनुदानों की मांगों पर विचार करने के लिए बजट साहित्य चार दिन पूर्व उपलब्ध न कराये जाने पर औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं नियम–300 में अपना एक औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं जो माननीय सदस्यों को समय से बजट साहित्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है । मान्यवर, जो बजट साहित्य कम से कम चार दिन पहले उपलब्ध हो जाना चाहिए बावजूद इसके अनुदान मांगों पर 08, 09 और 10 इन तीन दिनों में विचार करना है अगर हम इसे 08 तारीख माने तो हमें 04 तारीख तक बजट उपलब्ध हो जाना चाहिए था अगर इसको 09 तारीख मानें तो हमें साहित्य 05 तारीख तक उपलब्ध हो जाना चाहिए था और 10 तारीख वाला बजट साहित्य तो हमें 06 तारीख तक उपलब्ध हो जाना चाहिए था । मेरा इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि अगर नियमावली की परम्परा के अनुसार यह अधिकारी हम लोगों को बजट साहित्य सही समय से उपलब्ध नहीं करायेंगे तो हम कैसे उस पर ढंग से विचार-विमर्श करके बजट के संदर्भ में आलोचना यहां पर कर सकेंगे । मान्यवर, कटौती रखने के लिए 48 घंटे पहले का प्राविधान है और आज सुवह तक हम लोगों को यह ही नहीं पता चला है कि किस दिन किस समय, किन अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, ऐसी स्थिति में हम कटौती किस आधार पर प्रस्तुत करेंगे । अगर हमको समय से बजट के अभिलेख प्राप्त नहीं होंगे, बजट साहित्य प्राप्त नहीं होगा तो न तो हमना उसकी स्वस्थ्य आलोचना कर पायेंगे और न ही उस पर ठीक ढंग से विचार करके उस पर अपना कोई सुझाव दे पायेंगे । मान्यवर, हम आपकी इस पर व्यवस्था चाहेंगे, मान्यवर, सरकार चाहे जिस दल की हो, इस सम्बन्ध में अधिकारियों की आदत नहीं वदल रही है, इससे विधान सभा पर औचित्य का प्रश्न चिन्ह लग रहा है । मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपकी कृपा पूर्ण व्यवस्था चाहता हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें ताकि कम से कम बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराने की जो परम्परा है उसका पालन होने लगे । मान्यवर, आज की कार्यसूची में बजट की जिन अनुदान की मांगों पर विचार और उनका पारण होना है उसको स्थगित करने की कृपा करें यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, कुछ चीजों में नियमों के साथ-साथ परम्परायें भी चलती हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपको बजट से सम्बन्धित सारी सामग्री समय से उपलब्ध होनी चाहिए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर से सहमत हूं कि लेकिन मेरा इतना निवेदन है कि अच्छी परम्पराओं का पालन किया जाना चाहिए, गलत परम्पराओं का पालन नहीं करना चाहिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं आपसे सहमत हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब आप इससे सहमत हैं तो इस पर भी सहमत हों कि वजट साहित्य को चार दिन पूर्व उपलब्ध करा देना चाहिए, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दें कि भविष्य में वह इस तरह की लपरवाही न करें और अगर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करना चाहूंगा कि बजट साहित्य निर्धारित समय पर ही सदस्यों को प्राप्त हो जाना चाहिए इस बात को सुनिश्चित कर लें।

## उत्तर प्रदेश मोटरयान (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2003 †

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–2000/30-4-2003-13(1)-2002 दिनांक 30 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटरयान (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2003 को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा –212 के उपबन्धों के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखे विवरण वर्ष 2000-2001 ††

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखे विवरण वर्ष 2000-2001 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा–23 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 †††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

††† छापा नहीं गया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करता हूं ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2003 को नि.म.–56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चर्चित की गई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

## फर्जी स्टैम्प घोटाला प्रकरण को उठाने का प्रयास

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो 27 हजार करोड़ रुपये का फर्जी स्टैम्प घोटाला है, उसका प्रयोग पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ है । मान्यवर, इस संदर्भ में लखनऊ में अनूप कुमार पाण्डेय नामक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है । करोड़ों रुपये की हानि अकेले लखनऊ में हुई है । इस तरह से उत्तर प्रदेश में स्टैम्प वेंडरों तथा बिल्डरों द्वारा करोड़ों रुपये की राजस्व हानि सरकार को पहुंचाई जा रही है । इससे गंभीर कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है यह पूरे प्रदेश और देश से जुड़ा मामला है । मान्यवर, यह बड़े पैमाने पर है मान्यवर, कुछ रैकेट के लोगों के द्वारा राजस्व कार्यालय, कोषागार और वहां के बाबूओं की मिली भगत से करोड़ों रुपये की हानि प्रदेश सरकार को इन फर्जी स्टैम्प पेपरों की बिक्री के माध्यम से पहुंचाई जा रही है । यह रुपया सरकारी खजाने में न जाकर उनकी जेबों में जा रहा है । मान्यवर, ऐसा कोई निर्णय पिछले दिनों में नहीं हुआ कि इन फर्जी स्टैम्पों के माध्यम से जो कार्य होगा वह अवैध माना जायेगा । मान्यवर, यह एक गंभीर प्रश्न है सुनिश्चित घटना है इसको कार्य-स्थगन के रुप में लेने का कष्ट करें या तो एस०टी०एफ० की कोई टीम बना लें या सी०बी०आई० को इस कार्य के लिए मुकर्रर करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले यह प्रश्न आ चुका है और इस पर चर्चा हो चुकी है । पुनः आने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि आ चुका है सदन में । मान्यवर, आप विद्वान हैं और उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं । परसों यह घटना हुई है, अनूप कुमार पाण्डेय की गिरफ्तारी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियम 56 में लिखकर दे दें, कल उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं कल नहीं रहूंगा मुझे इसके बाद विशेष उल्लेख में सुन लिया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि नियम–56 के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश जिले की नदियों का परीक्षण कराया और 32 स्थानों पर जल का परीक्षण कराया गंगा यमुना सरस्वती राम गंगा, कालिन्दी, राप्ती बेतवा आदि इन सब नदियों का परीक्षण कराने के बाद जो तथ्य आये हैं वह चौकाने वाले हैं । इनमें से बड़े पैमाने पर इन नदियों में प्रदूषण पाया गया है । इन नदियों से हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं लेकिन जो कुछ परीक्षण के बाद सामने आया है उससे आज हमारी इन धार्मिक आस्थाओं मान्यताओं और विश्वास को ठेस पहुंच रही है । जो परिणाम आये हैं वह घातकता के स्तर पर पहुंच गये हैं । मान्यवर, जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के बिना स्थानीय निकायों का, नगरीय क्षेत्रों के नाले और सीवर सीधे नदियों से मिलाये जा रहे हैं । नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बिना ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाये उद्योगों का पानी सीधे इन नदियों में मिलाया जा रहा है । जिससे यह जल न तो मनुष्यों के पीने लायक रह गया है और न ही पशुओं के, दोनों के लिए ही यह घातकता की स्थिति में पहुंच गया है । विशेष चिन्तन की बात यह है कि जबकि प्रदूषण नियंत्रण इकाई काम कर रही है और यह वर्षों से काम कर रही है और इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है लेकिन इसका कार्य बहुत ठीक नहीं है । सीवरों के माध्यम से मलमूत्र के जरिये गंदगी में वृद्धि हो रही है । जिससे अनेक बीमारियों के उत्पन्न होने का अंदेशा पैदा हो गया है । डी०ओ० यानि किसी पानी में घुली आक्सीजन जो पीने योग्य हो वह 6 होनी चाहिए और स्नान योग्य हो तो वह 5 होनी चाहिए और उपचार के बाद पीने योग्य 4 होनी चाहिए और जलीय प्राणियों के लिए उप्युक्त 4 होनी चाहिए । इसी प्रकार बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड जो पीने योग्य पानी है में 2 स्नान योग्य में 3 और उपचार के बाद 3 होनी चाहिए । टोटल कालीफार्म पीने योग्य जल में 50 स्नान के योग्य जल मे 500 और उपचार के बाद पीने योग्य जल में 5000 होनी चाहिए । मान्यवर, मैं कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । जनवरी से अब तक जो सर्वेक्षण कराये गये उसमें औसत फीकल कालीफार्म 60-70 प्रतिशत सबसे अधिक प्रदूषण गाजियाबाद की हिन्दन नदी में जिसमें बीओडी 68.5, वारणासी में 21.7 मिलीग्राम प्रति लीटर जबकि वाराणसी में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई काम कर रही है । लखनऊ की गोमती में 60 प्रतिशत फीकल कालीफार्म पाया गया । सीतापुर की गोमती में 550-215 पाया गया । अपस्ट्रीम में जहां से पीने का पानी लेते हैं 1366-550 पाया गया । यहां पर यह उल्लेख करना चाहता हूं कि लखनऊ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी है और लखनऊ में प्रदूषण नियंत्रण इकाई भी काम कर रही है उसके बाद भी यह स्थिति है तो यह चिन्ता का विषय है । इसी तरह से गंगा का उदाहरण देना चाहूंगा । राजघाट, बुलन्दशहर में एम०पी०एन० 1483 और फीकल काली फार्म 828,गढ मुक्तेश्वर मे एमपीएन 2355 और फीकल कालीफार्म 1233, बिठूर, कानपुर में 2355 और 1233, कानपुर अपस्ट्रीम में 6066 तथ 800 डाउनस्ट्रीम में 15200 तथा 4150 कन्नौज अपस्ट्रीम में 1766 तथा 550 तथा डाउनस्ट्रीम में 4700 तथा 1100 इलाहाबाद, रसूलाबाद में अपस्ट्रीम में 1900 तथा 1041 डाउनस्ट्रीम संगम में 1511 तथा 1077 जहां बड़े आस्था और विश्वास के साथ लोग स्नान करने आते हैं ।

इसी तरह इलाहाबाद में यमुना नदी में डाउनस्ट्रीम में 1300 और 470 है । इसके बाद बताना चाहूंगा कि सरयू अयोध्या में भी प्रदूषण नियंत्रण इकाई है । वहां भी 11955 तथा 8344 है । इसके

बाद आते हैं गोमती नदी पर इसमें जौनपुर में डाउनस्ट्रीम में 32222 और 18666 इसके बाद गोमती जहां वाराणसी शहर में गंगा में मिलती है वहां 28222 तथा 14666, कालिन्दी कन्नौज में 6533 तथा 2600 रामगंगा कन्नौज में 15433 तथा 2600, रेणुकूट रिहन्द अपस्ट्रीम में 1566 तथा 846 डाउनस्ट्रीम में 1477 तथा 777 है। इसी तरह सई नदी उन्नाव में 600 तथा 266 है। देवरिया, घाघरा डाउनस्ट्रीम में 108, राप्ती, गोरखपुर में डाउनस्ट्रीम में 108 और रामगढ़ झील, गोरखपुर में 180 फीकलकाली फार्म पाई गयी। अगर इन मानकों का सामान्य मानकों से तुलना करके देखा जाय तो यह प्रदूषण कई हजार गुना गंगा, गोमती, घाघरा, राम गंगा, राप्ती आदि में बढ़ चुका है, जहां बड़ी आस्था और विश्वास के साथ लोग स्नान करने आते हैं। लेकिन इन मानकों के अनुसार न तो इन नदियों का पानी नहाने योग्य है न पीने के योग्य है और न पशुओं के पीने योग्य ही रह गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में नदियों के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में आ गया है। लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर संकट पैदा हो गया है। जबकि तमाम शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट काम कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण इकाई काम कर रही हैं। इस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार प्रदेश की प्रमुख नदियां 32 स्थानों पर पूरी तरह से खतरनाक स्थिति में पहुंच गयी है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह राजनीति का विषय नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये आप सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो इस रिपोर्ट पर विचार करके अगले सत्र से पूर्व रिपोर्ट दे दें और यह विचार हो जाय कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा है, उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं वह प्रभावी है कि नहीं, और जनहित में इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। अगले सत्र से पूर्व यह रिपोर्ट आप मंगा लें, ताकि यह सदन भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। यह भी आ जाय कि जनहित में क्या निर्देश दिये जा सकते हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि यह सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है, जनता के हित का सीधा-सीधा सवाल है। मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि आप इस विषय में सरकार के समुचित निर्देश देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, धार्मिक आस्था तो है ही और यह विभिन्न धर्मों का देश है, सभी धर्मों का आदर करना होता है। इसके अलावा इससे बड़े नुकसानात हैं। लखनऊ में मैंने खुद देखा है कि नाले के पानी से लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और वह पानी सीधे नदियों में चला जाता है, मिल जाता है। नदियों का पानी बहुत खराब हुआ है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट भी आई है, समय-समय पर कि इन नदियों का पानी बिल्कुल जहर हो जाता है मुर्दे जलाये जाते हैं और उसकी राख वगैरह जाती है उससे भी प्रदूषण होता है। बहुत से कारण हैं पानी के खराब होने के, बहुत सी फैक्ट्रियों का डिस्चार्ज पानी में जाता है, पेपर मिल्स का जाता है, उत्तरांचल के कई मिलों का जाता है, कई बार लिखा गया, मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां के मुख्य मंत्री जी से बात की कि इस प्रकार से हमारे यहां का पानी खराब हो रहा है, कई वर्षों में यह गन्दगी बढ़ी है। इस गन्दगी को कम होना चाहिए, सरकार इसे कम करना चाहेगी, पिछले सालों में की गयी गन्दगी को सरकार कम करना चाहेगी, सरकार इस मामले में सजग है और मैं श्री बाजपेयी जी की परेशानी से सहमत हूं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने आग्रह किया था और आप स्वयं चिकित्सक हैं, आप इस चिन्ता से अवश्य सहमत होंगे, शासन में भी सहमति व्यक्त की है । मेरा निवेदन है कि अगर आप उचित समझें तो शासन को निर्देशित कर दें कि इस पर एक समिति बनाकर विचार कर लिया जाय और वह समिति अपनी आख्या अगले सदन से पहले दे दें अगले सदन में इस पर चर्चा करा दी जाय जिससे पूरे प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके क्योंकि अगर इस पानी से सिंचाई भी हो रही है तो खाद्यान्न पर इसका क्या परिणाम होगा । मेरा निवेदन है कि आप चाहें तो अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख लें और अध्यक्ष जी से विचार-विमर्श करके अगर सरकार सहमत हो जाय तो इस पर एक समिति बना दीजिये जिसमें पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य मिल कर अगले सत्र में चर्चा करके इस चिन्तनीय विषय पर जनता के लिए उचित मार्ग निकालने पर कार्य कर सके इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर आप अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख लें क्योंकि तमाम पैसा व्यय होने के बाद भी जनता के साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन नियम–56 में नहीं आता है । मैं श्री बाजपेयी जी की बात पर बल देना चाहता हूं कि बहुत पैसा इस पर बर्बाद हो चुका है और मौजूदा सरकार यह कोशिश करेगी कि यह बर्बादी रोकी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इस पर बैठ करके विचार कर लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें पूरा सदन एकमत है और सरकार भी आपके साथ है कि जो धन की बर्बादी हुई है उस पर नजर रखी जायेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष रख रहा हूं जिसे आपने सुनने के लिए नियम–56 में स्वीकार किया है । मैं समझता हूं कि प्रदेश में अधिकांश माल सड़क मार्ग से ढोया जाता है और इसके लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है । पहले माल वाहक ट्रकों के साथ कुछ समस्यायें थीं रास्ते-रास्ते में पुलिस के लोग व परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उनका शोषण करते थे जिससे माल के पहुंचने में भी विलम्ब होता था । इस त्रासदी को देखकर पिछली सरकार ने एक गोल्डेन टोकन योजना लागू की थी और इस योजना के कारण मालों का आवागमन सुगम और सरल हुआ था और पुलिस का शोषण व सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धन उगाहना बन्द हो गया था । इससे सारे व्यापारिक क्षेत्र में सन्तोष था, जो ट्रान्सपोर्टर हैं उनमें सन्तोष था लेकिन अचानक 1 दिसम्बर, 2003 से गोल्डेन टोकन योजना को वर्तमान सरकार ने बन्द कर दिया है । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी योजना थी जिससे सरकार को लाभ था और व्यापारिक क्षेत्रों में भी सन्तोष था । कम से कम एक विचार-विमर्श इस पर किया जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने बिना कोई विचार-विमर्श किये अचानक इसे बन्द कर दिया जिसका प्रतिकूल परिणाम सामने आ रहा है । मैंने देखा है कि सभी चेक पोस्टों पर एक-एक मील

लम्बी लाइन लगी है जिससे आवागमन बाधित हो रहा है । नौबतपुर के चेक पोस्ट पर लम्बी लाईन होने की वजह से यातायात बाधित है । एक मरीज जो अस्पताल जा रहा था, ट्रकों की लाईन के कारण जाम में फंसा रह गया वहीं उसकी मौत हो गयी । लम्बी-लम्बी लाईनों के कारण ट्रकों में लदे कच्चे माल खराब हो रहे हैं, ट्रकों के समय से न पहुंचने के कारण मण्डियों में कारोबार शून्य हो गया है जिसके परिणामस्वरूप बाजारों में दाम भी बढ़ते जा रहे हैं । गोल्डेन टोकन योजना खत्म होते ही पुलिस व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धन का दोहन शुरू हो गया है और माल नहीं जा पा रहा है । केवल सोनभद्र के हिण्डालको में 300 ट्रक माल डम्प पड़ा है मडिण्यों से लदान नहीं हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष जी, इससे व्यापारिक क्षेत्र में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर लें । मैंने अखबारों में माननीय परिवहन मंत्री जी का बयान पढ़ा कि ट्रकों में लोड अधिक होता है जिससे सड़कें टूट जाती हैं । इस कारण इस योजना को रद्द किया गया है । मान्यवर, ट्रकों का लोड ज्यादा न हो इसको रोकने का उपाय निकाला जा सकता है लेकिन इस योजना को वन्द कर देना उचित नहीं है । इससे प्रदेश के राजस्व को भी आर्थिक लाभ था और व्यापारियों को भी लाभ था इसलिए इस योजना से वंचित करना सही नहीं है । पहले पुलिस के शोषण व अधिकारियों/कर्मचारियों के दोहन से मुक्ति दिलाने के लिए यह योजना लागू की गयी थी और माल के परिवहन ट्रकों को तमाम सारे झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए एक व्यवस्था लागू की गयी थी जिसे सरकार ने वन्द करके नई परेशानी खड़ी कर दी है । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर ले । मेरी जानकारी में आया है कि शासन को गलत रिपोर्ट मिली है । माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं इस रिपोर्ट के बारे में गहराई से छानबीन कर लें कि किन लोगों ने गलत रिपोर्ट देकर शासन से यह निर्णय करवा दिया । मान्यवर, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । अगर अधिक लोड की बात की जा रही है तो उसका उपाय निकाला जा सकता है इसलिए गोल्डेन टोकन योजना को लागू करते हुए भार के सम्बन्ध में जो संशोधन करना चाहें वह संशोधन किया जा सकता है लेकिन इस योजना को रद्द करने से व्यापारियों, आम जनता, ट्रान्सपोर्टरों तथा सरकार को भी नुकसान हो रहा है । मान्यवर, इसी बात के साथ मैं चाहूंगा कि तत्काल निर्देशित किया जाय जो संकट है उससे प्रदेश के जनजीवन को बचाने का तुरन्त कदम उठाया जाय । सरकार इस योजना को संशोधित रूप से लागू करने पर निश्चित रूप से विचार करे ।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मा० उपाध्यक्ष महोदय, मा० हरीश जी विधान सभा के बहुत पुराने सदस्य हैं कम से कम इनसे उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई गलत काम की वकालत यह विधान सभा में करेंगे । मान्यवर, इस गोल्डेन टोकन योजना का आशय था कि ट्रकों को आने-जाने से बाधित न हो, लेकिन उसका दुष्परिणाम सामने आया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं केन्द्र की सरकार ने 330 करोड़ रुपये जो रोड ग्रान्ट उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था उसको रोक दिया पिछले 2 साल से और इसी कारण तमाम सड़कें क्षत-विक्षत हो चुकी हैं, टूटी हुई हैं । इनकी मरम्मत कराने का पैसा न तो केन्द्र सरकार दे रही है न तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास है । इसको इसीलिए किया गया था कि बाधित न हो, लेकिन 12 टन की जगह 22 टन, 24 टन लोड करके चलते थे । मान्यवर, तीन प्रदेश हैं गुजरात, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जहां यह योजना लागू है और किसी प्रदेश में लागू नहीं है । मान्यवर, विचार-विमर्श करने के वाद केन्द्र

सरकार की शर्तों के अनुरूप गोल्डेन टोकन योजना को खत्म किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 204.4548 करोड़ रु० का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है ताकि वहां से धन निर्गत कर दें जिससे सड़कों का रख-रखाव किया जा सके । मान्यवर, आप भी तथा सदन भी इस बात से सहमत होगा कि ओवर लोडिंग होती थी जितना निर्धारित था उनसे डेढ़ गुना, दोगुना ज्यादा माल लाने की इजाजत नहीं थी । जहां तक आपने कहा कि नौगढ़ पुल पर बड़ी लम्बी लाइन लगती है । मान्यवर, जिन चेक पोस्टों पर बाहर से माल आता है उन चेकपोस्टों पर इलेक्ट्रानिक मशीन लगाकर, कैमरा लगाकर आने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर हम यह व्यवस्था करेंगे कि उन चेकपोस्टों पर ज्यादा समय न लगे और कम से कम समय के अन्दर वहां से ट्रकें गुजर जायं और राजस्व का नुकसान भी न हो । पूरा सदन सहमत होगा कि प्रदेश का राजस्व बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश के जनहित में है । सड़कों के रख-रखाव के लिए यह आवश्यक था कि गोल्डेन टोकन योजना को समाप्त किया जाय । इसको विचार-विमर्श करने के बाद मंत्रि-मण्डल में प्रस्ताव लाकर एक मत से खत्म किया गया है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी इस गलत काम को कराने के लिए विधान सभा में नियम–56 में जो उठाया है इसीलिए आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें और हमारी सरकार ने जो किया है इसका पुरजोर समर्थन करेंगे यही आपसे आग्रह है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गोल्डेन टोकन योजना जब से लागू थी तो माल को इधर-उधर ले जाने में आसानी थी तथा ट्रक ड्राइवरों को भी आसानी थी, उनका उत्पीड़न बन्द हो गया था । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि इस योजना से राजस्व की अधिक प्राप्ति होती थी, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि ज्यादा भार लदा होने से ट्रकों द्वारा सड़क की बहुत हानि होती है । लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि वह कोई ऐसा व्यवस्था करेंगे कि माल नियमित भार का ही लादा जाय जिससे सड़कों का नुकसान न हो, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यही अनुरोध करूंगा कि गोल्डेन टोकन योजना विषयक पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय हरीश जी ट्रक वालों के लिए बहुत ही अधिक चिन्तित हैं लेकिन उन्हें प्रदेश की तरक्की की कोई चिन्ता नहीं है, वह ट्रक वालों के लिए चिन्तित हो रहे हैं उन्हें सरकार की हानि की कोई चिन्ता नहीं, जनता की परवाह नहीं है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस तरह ट्रकों पर जब ओवर लोडिंग नहीं होगी तो सड़कें अधिक सुरक्षित रहेंगी ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए)

ट्रैफिक जाम की जो शिकायत थी उसमें भी कमी होगी । मान्यवर, इन्हें प्रदेश की तरक्की की कोई चिन्ता नहीं है । मान्यवर, पहले 100 ट्रकें माल ढोने के लिए चलती थीं अब 200 ट्रकें माल ढोने के लिए चलेंगी तो इससे हानि नहीं लाभ ही होगा । मान्यवर, यह प्रदेश की जनता की चिन्ता नहीं कर रहे हैं, उसकी तरक्की की चिन्ता नहीं कर रहे हैं यह तो सिर्फ ट्रक वालों की वकालत कर रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र में भाजपा की सरकार है और वह रोड ग्रान्ट योजना को बन्द कर चुकी है, प्रदेश सरकार के पास इतने वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं कि वह गोल्डेन टोकन

योजना चला सके तो मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से ये हमें रोड ग्रान्ट योजना जो चल रही थी उसे लागू करवा दें तो मैं इनकी बात मान लूंगा । मैं चाहता हूं कि ये सौ–दो सौ ट्रक वालों का एक प्रतिनिधि मण्डल लेकर दिल्ली जाए और वहां के माननीय परिवहन मंत्री जी से यह आदेश करवा दें कि उत्तर प्रदेश में रोड ग्रान्ट योजना बन्द नहीं की जायेगी तो मैं माननीय सदस्य की बात मान लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–56 में नहीं आती हैं अतः मैं इसे निरस्त करता हूं ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पहली सूचना,

1–श्री सुरेश कुमार खन्ना की

प्रदेश के पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड की भांति मध्यांचल क्षेत्र के विकास हेतु विकास पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में । दूसरी सूचना,

2–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर की

प्रदेश में छात्रों के प्रवेश हेतु महाविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में तथा तीसरी सूचना,

3–डा० सुशील चौधरी की

जनपद सहारनपुर की सीमा में जमुना नदी पर हरियाणा सरकार द्वारा दीवाल का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, दो मिनट के लिए हमारी बात सुन लें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाय ।

(मद संख्या–13 पुकारे जाने पर)

मान्यवर, कृपया मेरी बात सुन लें । मैं कल और परसों दोनों दिन सदन में नहीं रहूंगा । अतः कृपया दो मिनट मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब विराजें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल और परसों मैं नहीं रहूंगा ।

श्री दिलीप कुमार वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, करोड़ों रुपयों के स्टाम्प के घोटाले के बारे में पाल साहब ने कहा है । सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसको कल लिखकर दे दीजियेगा ।

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †**

श्री दिलीप कुमार वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसको समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह 3 माह का बजट है । यह प्रदेश के कमजोर लोगों को राहत देने वाला अभूतपूर्व बजट है । सरकारी अस्पतालों में जो पर्चा 8 रुपये का था उसको एक रुपये कर दिया गया । बच्चों की फीस माफ कर दी गयी है । गरीब कमजोर, विधवाओं की पेंशन 125 रुपये से बढ़ाकर 150 कर दी गयी है । गरीब बालिकाओं के लिए एक योजना चलायी गयी है । यदि वह इण्टर पास कर लेती हैं तो उनको 20 हजार रुपये की मदद की जायेगी । सरकार का यह निर्णय सराहनीय है । विपक्ष केवल आलोचना करता है उसको आलोचना करने का बहुत ज्यादा हक नहीं है क्योंकि पिछली सरकारों में जो काम हुए हैं वह कष्टदायक रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में बहराइच जिले में बी०एड० के 300 लोगों की भर्ती हुई है । मैं जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाना चाहता हूं कि [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह आरोप पीठ को दिखाकर पूर्व स्वीकृति नहीं ली जायेगी, तब तक नहीं लगाया जायगा ।

श्री दिलीप कुमार वर्मा–

मान्यवर, ठीक है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बी०एड० के जिन बेरोजगारों की भर्ती पुरानी सरकार में हुई हैं उनको पुनः नौकरी में लिया जाय क्योंकि उन लोगों को कष्ट उठाकर नौकरी मिली थी । मान्यवर, सरकार ने महसी क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाने की घोषणा की है । उसकी रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दें । इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 की कार्यवाही से ।

श्री उदयभान करवरिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सरकार ने प्रस्तुत बजट में अपनी बहुत सी उपलब्धियों की चर्चा की हैं । इन योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन किस प्रकार जुटाये जायेंगे इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है और न ही इसकी व्यवस्था बनाने के लिए कोई मानक तैयार किये गये हैं । मान्यवर, शिक्षा विभाग का बजट भी रखा गया है । बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का मामला है इसमें 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार देती है । शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति हुई है पूरे प्रदेश में उस नियुक्ति को समाप्त करने की योजना बनायी जा रही है । मैं अपने जनपद के बारे में बताना चाहता हूं शिक्षा मित्रों पर दबाव बनता जा रहा है उनको निकालने के लिए उ० प० सरकार कुचक्र कर रही है । उनकी नौकरों की सुरक्षा की जाए । एक तरफ बजट में कहते हैं कि 21 हजार शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा । दूसरी तरफ पहले से जो शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं उनको काम से निकाला जा रहा है । यह कुचक्र रचा जा रहा है । इससे पढ़े- लिखे नौजवान बेरोजगारी की कगार पर खड़े हो जायेंगे । इसलिए जो यह 21 हजार बेसिक शिक्षकों को नियुक्त करने की बात कही जा रही है उसमें पहले शिक्षा मित्रों को एडजस्ट किया जाए उसके उपरान्त ही नये लोगों को नियुक्त किया जाए । इसी प्रकार से बेसिक शिक्षा में जो दूर-दूर विद्यालय हैं वहां पर महिलाओं को ट्रान्सफर कर दिया जाता है जिससे उनको 5-5, 7-7 कि०मी० पैदल चलना पड़ता है इस पर भी सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कम से कम जो महिला अध्यापक हैं उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां आने-जाने में उनको कोई असुविधा न हो और अपने घर परिवार के पालन पोषण में अपना योगदान कर सकें ।

जी०जी०आई०सी० के भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है इसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जो इनसे नये स्कूल खोले जायेंगे या जो पहले से किराये के भवन पर जी०जी०आई०सी० चल रहे हैं उनको वरीयता दी जाएगी । कक्षा-8 से कक्षा–12 तक की लड़कियों के लिए जो भवन किराये पर चल रहे हैं वहां पर पहले निर्माण कार्य किया जाए उसके बाद दूसरे भवन का निर्माण किया जाए । इसकी मुख्य मंत्री जी सदन में घोषणा करें । धान की खरीद जो की जा रही है उसमें किसानों का धान न खरीदकर बिचौलियों द्वारा धान खरीदा जा रहा है । धान खरीद के सेन्टर बाजार से लगे हुए खुले हुए हैं इससे व्यापारियों को ज्यादा लाभ मिलता है किसानों को उतना लाभ नहीं मिलता इस ओर ध्यान दिया जाए । हमारे विधान सभा क्षेत्र में ऐरा प्रथा लागू है वहां पर जानवरों को दो-तीन महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है इसको समाप्त किया जाना चाहिए । हमारे यहां नील गाय किसानों को परेशान करते हैं । पूरा-पूरा खेत नष्ट कर जाते हैं । इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा हर जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की जानी चाहिए सरकार को इस दिशा में कोई न कोई कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि नील गायों के आतंक से किसानों को निजात मिल सके । उनके फसल की सुरक्षा हो सके । सरकार राजस्व की बात करती है लेकिन राजस्व जुटानें की कुछ व्यवस्था नहीं करती है बल्कि पहले से जो राजस्व है उससे किस प्रकार सरकार चलायी जाए यह सोचती है । खान खनिज जो सरकार का विभाग है उसमें जो भूगर्भ खनिज निकालते हैं इसमें एक तरफ तो राजस्व की कमी है दूसरी तरफ खनन ठेकेदारों को नहीं दिया है । पिछली सरकार में जो ठेके हुए हैं वह वैधानिक हुए हैं इसमें सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे राजस्व की वृद्धि हो उसमें विलम्ब न करके उस पत्रावली

को तुरन्त निस्तारित करना चाहिए । मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जो मेरे से पूर्व के विधायकगण ने अपनी बात कही है और माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से जो मांग तिवारी जी ने की है 5 गांवों के विद्युतीकरण की, उसको पूरा करेंगे । मुझे पूर्ण भरोसा है कि भले ही इनकी सरकार में भागीदारी न हो, बाहर से समर्थन तो है उनकी बात को व हमारी बात को भी ध्यान देते हुए जिस तरह से पूर्व में विधायकों को 5 गांव विद्युतीकरण हेतु चयन करने का अधिकार था अपने क्षेत्र में उसको समाप्त कर दिया गया है । आप इसको पुनः बहाल करेंगे । आपने 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की घोषणा की थी, आप उस पर भी अमल करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 घण्टे तो बहुत मुश्किल है 7-8 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो जाय तो यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी । इसी तरह से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल निधि का पैसा जो पिछली सरकार में विधायकों को पास हुआ था उसके राज्यांश में रोक लगा दी गयी है । जिले में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आपने एक आदेश करके उसको रुकवा दिया है । सड़कें बनती हैं तो आम जनता के लिए, नहरें बनती हैं तो आम जनता के लिए । अगर किसी प्रकार का विकास कार्य होता है तो वह आम जनता के लिए होता है न कि सिर्फ विधायक या सांसद के लाभ के लिए । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो यह तीन महीने का बजट प्रस्तुत किया है उसमें कितना धन दे पायेंगे और कितना कार्य हो जायेगा । कहना मुश्किल है । इतना जरूर कहूंगा कि पूर्वांचल निधि से जो पैसा आवंटित होता था उस पर रोक लगी है उसको हटाने का प्राविधान निश्चित रूप से किया जाय । मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पथरीला है वहां पर पेयजल का संकट है । वह कोल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । जो हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं उनमें जंक लग जाता है । वहां पर कूप का निर्माण होना चाहिए । डेढ़ करोड़ रुपये की कूप निर्माण की योजना थी शंकरगढ़ विकास खण्ड के लिए लेकिन उस योजना का रेट बढ़ जाने से वह लागू नहीं हो पायी है । पेयजल की समस्या को अविलम्ब दूर करने के उपाय किये जाने चाहिए । जल निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के कारण वहां के निवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । अभी तो सर्दी के दिन हैं किसी तरह से गुजारा हो रहा है किन्तु गर्मियों में वहां पर 4-4 कि०मी० दूर से सिर पर पानी लेकर आते हैं ।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जब वे अपना भाषण दें तो उस समय इसके बारे में भी बतायें कि वे क्या कर रहे हैं । इसको प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम करें । पिछले सत्र में हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी और कहा गया था कि बाढ़ से जिन लोगों के आवासों को क्षति पहुंची है उनको इन्दिरा आवास दिये जायेंगे और जिनकी खेती बाढ़ से नष्ट हुई है उनको मुआवजा दिया जायेगा । लेकिन सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता करने में असफल रही है । मात्र 2 हजार रुपये का अनुदान दे देने से जिस व्यक्ति का पूरा मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया हो, गिर गया हो वह कैसे अपने घर का निर्माण कर सकता है ।

जिनकी खेती बाढ़ से प्रभावित हो गयी है और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है।। आप उसको 20 किलो गेहूं देते हैं वह उससे कैसे वर्ष भर अपने परिवार का पेट पाल सकता है । मैं बहुत सम्मानजनक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पूरा प्रदेश बाढ़ की चपेट में था, जिनके मकान बाढ़ से गिर गये, जिनकी खेती बाढ़ से नष्ट हो गयी उनके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, यदि उनके लिए कोई व्यवस्था की जायेगी या

कोई अनुदान दिया जायेगा तो निश्चित रूप से आप गरीबों और किसानों के लिए कुछ करेंगे । जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं है यदि आप उनके लिए इसकी व्यवस्था करेंगे तो यह एक सराहनीय कार्य होगा । इलाहाबाद में हर वर्ष कुम्भ का मेला लगता है । इस वर्ष भी जनवरी में कुम्भ का मेला होने जा रहा है । इसमें हिन्दुस्तान ही नहीं विदेशों से भी लोग आते-जाते हैं । पिछले वर्ष वहां पर स्थिति इस तरह से हो गयी थी कि साधु सन्तों ने भूख हड़ताल कर दी थी । हमारे शंकराचार्य जी को भी धरना देना पड़ा था यह हिन्दू समाज के लिए बहुत अपमान की बात है । गंगा जी का जल प्रदूषित हो रहा है । इस बार आने वाले मेले में नरौरा से पानी छोड़कर जो तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं, उनको शुद्ध जल मिल सके इसकी व्यवस्था सरकार को करानी चाहिए । वहां जो मेला लगता है उसके सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर शुद्ध और प्रदूषण रहित जल की व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्रीमन् हैण्ड पम्प जो विधायकों को मिलते थे उनकी संख्या 50 थी इसको बढ़ाकर 100 किये जाने की बात विधायकों ने की है । पहले जो हैण्ड पम्प मिलते थे उनको फ्री में लगाने की व्यवस्था थी उसमें न तो एक पैसा विधायकों से लिया जाता था न ही अंशदान किसी से लिया जाता था अब सरकार ने व्यवस्था की है जो हैण्ड पम्प विधायकों को प्राप्त होंगे उसको लगवाने के लिए 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में देना पड़ेगा जबकि पहले ऐसा नहीं होता था । मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बजट भाषण के अन्त में वह अपना भाषण करें तो 10 प्रतिशत अंशदान जो लगता है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाय इसकी घोषणा करने का कष्ट करें, क्योंकि यह विधायकों को उपभोक्ता से प्राप्त करना पड़ता है इससे विधायकों के ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लगता है किसी से कहो कि 10 प्रतिशत देना पड़ेगा, तो वह समझता है कि यह कमीशन खाते हैं, इसलिए उनसे कहते हैं कि किसी बैंक से ड्राफ्ट बनवाकर सीधे जमा कर दो । तब कहीं जाकर इज्जत बचती है । यहां सभी विधायक बैठे हैं, यह विधायकों की मर्यादा का विषय है । इसलिए 10 प्रतिशत अंशदान जो उपभोक्ता से प्राप्त करना पड़ता है इसकी व्यवस्था सरकार कराने की कोशिश करे जब यह सरकार बनी थी तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो बातें कही थीं नौजवान बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा इस बजट में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है । ऐसे बेरोजगार नौजवानों को किस आयु सीमा से भत्ता दिया जायेगा कब से इसको प्रारम्भ किया जायेगा मैं अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था के बारे में सदन को स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करें कि नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं नौजवानों को किस स्तर पर यह भत्ता दिया जायेगा । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो घोषणायें की जायें उस पर अमल किया जाए ।

इसी तरह मान्यवर, पालीथीन के बारे में कहना चाहूंगा पालीथीन पर रोक लगायी गयी लेकिन आज प्रदेश के किसी शहर में आप चले जाइये दूर-दराज इलाके में चले जाइये कोई रोक लगती नजर आती नहीं है । लखनऊ में कितनी गाय पालीथीन खाकर मरती हैं । हम गाय की पूजा करते हैं गाय को माता के रूप में पूजते हैं और वह प्रदूषणयुक्त पालीथीन खाकर मर रही है । सरकार इस पर कड़ाई के साथ रोक लगाये । सरकार ने जो पालीथीन पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है उसको पूरा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में बार-बार कहा जाता है माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2003-2004 में आदिवासी क्षेत्र को मुख्य मार्ग से जोड़ने की बात कही है। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां वन विभाग अपना अधिकार जमाता है और यह कहा जाता है कि यह वन क्षेत्र में आता है। जो वहां के राजा हैं, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे वह कहते हैं कि यह रजवाड़े की जमीन है, इसमें किसी का अधिकार नहीं हैं। लोगों को काम नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से नौजवान तबके को यदि बेरोजगार रखा जायेगा तो उसका दिमाग दूसरी दिशा में जायेगा तो कानून-व्यवस्था को कैसे चुस्त-दुरुस्त रखा जा सकेगा, यह प्रदेश सरकार और शासन का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वह अपना उद्बोधन करेंगे तो यह जरूर बतायें कि बेरोजगारों के लिए वह क्या कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया गया है, सरकार इसमें कम से कम एक चीज और तय कर लें, सहारा ने तय कर दिया है कि वह आवास बनायेंगे, आवास में रहेगा कौन ?

नौजवानों को रोजगार और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो जो आपने उत्तर प्रदेश विकास परिषद का गठन किया है क्या इसे पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने के लिए किया गया है या गरीब जनता के लिए किया गया है ? रिलायन्स का भी एक स्टेटमेन्ट मैंने पढ़ा था, उसमें था कि हम इतने लाख लोगों को टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। जब उनके पास खाना नहीं होगा, आवास नहीं होगा तो टेलीफोन पर वह बात किससे करेंगे ? इसी प्रकार विद्युतीकरण का भी प्रश्न आता है, इसके लिए कहा गया कि प्राइवेट कम्पनियां अपने विद्युत सबस्टेशन बनायेंगी लेकिन यह तय कर लेना चाहिए कि सबस्टेशन तो वह बनायेंगे लेकिन आम जनता को बिजली वह किस दर पर देंगे, जो आवास बनेंगे उसमें रहेगा कौन, गरीब जनता रहेगी या पूंजीपतियों के लिए यह व्यवस्था बनायी जा रही है ? एक आग्रह जरूर करूंगा, सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात कही है, रोजगार से जोड़ने की बात कही है, उसके लिए कुछ ठोस उद्घोषणा अपने उद्बोधन में करें। इसी के साथ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री अजीम भाई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। कई दिन से चर्चा हो रही है पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग अपने-अपने मत भी रख रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोई भी प्रदेश तब तक विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता जब तक वह दो-तीन चीजों पर अमल नहीं कर लेता। इसमें सड़क है, बिजली है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई है । इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने इन तीनों चीजों पर जोर दिया है । जहां तक प्रदेश के विकास के लिए त्वरित गति से विकास हो, उसके उद्देश्य के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसमें सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, सिंचाई आदि के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, उनमें प्राथमिकता दी जायेगी और उसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । एक योजना ऐसी भी है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, जितनी विपक्ष के लोगों ने भी प्रशंसा की है, तारीफ की है, वह है "कन्या विद्या धन" इस योजना की प्रशंसा विपक्ष के लोगों ने भी की है और पक्ष के लोगों ने भी की है । प्रदेश, जनपदों से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को कक्षा–8 उत्तीर्ण लगभग 1500 छात्राओं को चयनित किया जायेगा । अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश में लड़कियों की साक्षरता बहुत कम है । इस योजना के तहत जो लड़कियां चयनित की जायेंगी उन्हें आगे तक पढ़ने का मौका मिलेगा और इण्टर में उन्हें 20,000 रुपये की नगद राशि दी जायेगी । यह सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए । लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्हें आलोचना करनी है तो करनी है । यह बजट ऐसा है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए सबके लिए कुछ न कुछ है । जो फीस माननीय नेता जी ने 1995 में छोड़ी थी उसमें जो फीस बढ़ी थी उस फीस को वहीं से रोककर पुरानी फीस लिये जाने का निर्णय लिया गया है । इतनी फीस बढ़ गयी थी कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा पढ़ नहीं सकता ।

मान्यवर, यह बजट गरीबों और किसानों का बजट है । इसका सबसे बढ़ा उदाहरण है कि अस्पतालों में 8 रुपये का पर्चा । रुपये में कर दिया गया, शय्याओं की फीस माफ कर दी गयी । एक अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले जो अस्पतालों में एक्सरे के नाम पर, अल्ट्रासाउण्ड में, आंखों के आपरेशन में, पेट के आपरेशन में पिछली सरकारों ने जो वृद्धि की थी उसे भी कम करवाने का काम करें । इसके लिए प्रदेश की जनता उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देगी । मान्यवर, आप विद्वान हैं और हमारे बहुत से माननीय सदस्य विद्वान हैं लेकिन देखने में यह आता है कि जब यह इधर बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं और उधर बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं । हमारे बीच वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश जी हैं । उन्हें हम इस सदन में और जब मैं सदन का सदस्य नहीं था तो भी अखबारों के माध्यम से सुनता आया हूं । उनकी समाजवाद की नई परिभाषा है । उन्होंने कहा है कि समाजवाद बदल गया है क्योंकि वह धन्नासेठों के बगल में बैठा है । मैंने सुना है कि वह पहले समाजवादी रहे हैं लेकिन अब विचारधारा बदल गयी । हमारे शहर में एक नेता कम्युनिस्ट की विचारधारा के रहते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि कम्युनिस्ट और समाजवाद कैसे होते हैं तो वह कहते हैं कि जो खुद पैदल चलता है, और औरों से भी उम्मीद रखता है कि वह भी पैदल हो जायें । समाजवाद यह नहीं है । समाजवाद का मतलब है समतामूलक समाज की स्थापना करना । किसी भी कम्युनिस्ट में इतना फर्क होता है जितना कि बीच की उंगली में और छोटी उंगली में होता है । समाजवाद का मतलब यह है कि इतना अन्तर नहीं होना चाहिए कि एक 20 फिट का होना चाहिए और एक, एक इन्च का हो जाय । जब पार्लियामेन्ट के अन्दर डा० लोहिया जी से पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने यह पूछा था कि डा० लोहिया जी अगर उंगलियों में इतना फर्क हो जाय कि एक उंगली 20 फिट की और एक उंगली एक इंच की हो जाय तो मुट्ठी नहीं बंधेगी, तो डा० लोहिया जी ने यह भी कहा था कि हम जानते हैं कि ऐसा सम्भव नहीं है, लेकिन साथ ही हम यह चाहते हैं कि यह मुट्ठी बंध जाय और एक ताकत बन जाय ।

समाजवाद का मतलब यह नहीं है कि पूरे देश के लोग पैदल ही चलने लगें, समाजवाद का मतलब है एक मौलिक समाज की स्थापना करना, उसका मतलब है कि पूरे देश के लोग आर्थिक तौर पर मजबूत बनें, अमीर-गरीब के बीच की खाई कम हो, उँच-नीच का भेद-भाव कम हो । इसके लिए प्रदेश में जगह-जगह उद्योग और कारखानों को लगाना होगा ताकि लोगों को काम मिले और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे । प्रदेश में पूंजी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा । उन्होंने समाजवाद की जो परिभाषा दी थी वह अलग ही है । एक चीज आयी थी यहां पर, यह कि गठबन्धन जो यहां पर चल रहा है यह नाजायज है, यह माननीय सुखदेव राजभर जी ने कहा था तो मैं कहना चाहूंगा कि यह गठबन्धन नाजायज नहीं है, यह नीतियों का गठबन्धन है, चाहे लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी उनकी नीतियां एक हैं, यह किसानों की पार्टी है । नाजायज सम्बन्ध उनके थे जो बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर को मानते हैं । उनके एक साथी जो केन्द्र में है उन्होंने तो पार्लियामेन्ट में बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की आलोचना की थी ।

एक बात मान्यवर, मैं यहां पर और कहना चाहूंगा कि उन्होंने रावण से दोस्ती की थी और हमने विभीषण से दोस्ती की है, इसलिए यह गठबन्धन जायज गठबन्धन है । यह गठबन्धन इसी तरह से चलता रहेगा । जहां तक बिजली की बात है तो माननीय नेता जी ने आज ही घोषणा की है कि तीन साल के अन्दर इस प्रदेश को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि इस प्रदेश की सड़कें सही होंगी, जब गांवों में सिंचाई की व्यवस्था सही होगी, बिजली, पानी की व्यवस्था सही होगी तभी यह प्रदेश उन्नति करेगा, विकास करेगा, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सरकार तीन साल तक चलेगी और उनके बचे हुए कार्यकाल में यानी तीन साल में यह प्रदेश काफी उन्नति करेगा, प्रदेश की सड़कों की व्यवस्था ठीक की जायेगी, बिजली की व्यवस्था की जायेगी, समुचित सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी, एक-एक युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जायेगी, लड़कियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की जायेगी, उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जायेगा । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मुन्शीलाल गौतम–

माननीय सम्मानित सदस्य ने अभी यह कहा कि आपने रावण से दोस्ती की है और हमने विभीषण से दोस्ती की है, मैं यह जानना चाहूंगा कि किसने रावण से दोस्ती की और किसने विभीषण से क्योंकि रावण और विभीषण दोनों भाई-भाई हैं ।

श्री अजीम भाई–

यह आप सुखदेव राजभर से ही पूछिये क्योंकि उन्होंने ही यह कहा था ।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह बजेट् नारी का संकलन लग रहा है, मैं अपने योग्य साथियों का ध्यान इस बजट की गणित की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, वर्ष 2003-2004 के लिए 71223.24 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय दिखाया

गया है और 65145.67 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां दिखाई गयी हैं । 2003-2004 के बजट में 1020.87 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है । अब घाटे के बारे में जब प्रश्न उठता है तो हर एक प्रश्न का यही उत्तर आता है कि यह सब पिछली सरकार की देन है । प्रश्न तो यह है मान्यवर, बजट सत्र का अर्थ ही यह है कि यह हमें बतायें कि इस संकट से वर्तमान सरकार कैसे उबरेगी ? इस बजट में 4,649 करोड़ रुपये लोक लेखा से लिया गया है । जोकि मुख्य रूप से वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान के लिए है । इसके आर्थिक स्थिति में सुधार की कोई आशा नहीं की जा सकती है । इस बजट में बहुत से नारे दिये गये हैं । मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद प्रेस वार्ता में बेरोजगारी भत्ता का नारा दिया था । मगर कहीं भी इस बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है कि बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जायेगा । एक नारा और दिया गया है हाईटेक सिटी के निर्माण का । मान्यवर, एक अच्छा बजट तो वह होता है जिससे प्रदेश में परिसम्पत्तियों का सृजन हो । गरीबों को रोजगार मिले । पिछली सरकार में एक योजना लायी गयी थी जिसके द्वारा अति निर्धनों को आवास देने की योजना थी । जिससे बेरोजगारों को श्रम का मौका मिलता रहे, उनको आमदनी मिल रही थी इस हाईटेक सिटी से अमीरों की निजी परिसम्पत्तियों का सृजन होगा । इसमें अमीरों के लिए उच्च मूल्य के मकान बनाये जायेंगे । अभी सत्ता के पूर्व वक्ता जो समाजवाद की परिभाषा दे रहे थे, यह कैसा समाजवाद है ? इसमें और बहुत से नारे दिये गये हैं, कन्या विद्या धन योजना, त्वरित विकास योजना, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सिंचाई योजना का ।

अभी पिछले दिनों मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा जिसमें प्रमुख सचिव का बयान था कि लगभग सवा लाख प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जायेगी । किन्तु बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है । यह पैसा कहां से आयेगा ? मान्यवर, प्रतिपक्ष नारे नहीं सुनना चाहता है प्रतिपक्ष यह जानना चाहता है कि सरकार विकास की ओर हमें कैसे ले जायेगी ? इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है इसका हम स्वागत करते हैं । किन्तु यह जानना चाहते है प्रतिपक्ष की किन स्रोतों से 65147.67 करोड़ रु० के बढ़े हुए लक्ष्य की प्राप्ति इस चालू वित्त वर्ष में हम पूरी करेंगे ? इसकी कोई घोषणा इसमें नहीं है । आपकी आर्थिक योजनायें क्या हैं यह हम जानना चाहते हैं । मान्यवर, हम पर 1.12 लाख करोड़ रु० का कर्ज है यानि हर बच्चा अपने जन्म के समय प्रदेश में 6 हजार रु० का कर्ज अपने सिर पर लेकर जन्म लेता है । इससे हम कब और कैसे उभरेंगे ?

मान्यवर, सबसे कम प्रति व्यक्ति औसत आय देश में हमारी बिहार के बाद है । इसमें हमारा नम्बर आता है । यह स्थिति कैसे सुधरेगी ? मुख्य मंत्री जी ने बहुत शुद्ध भाषणों और कड़ी भाषा का प्रयोग अपने भाषण में किया है । उनका सुझाव है "कठोर वित्तीय अनुशासन अपनाने का, फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का, अनुत्पादक व्ययों पर अंकुश लगाने का ।" इस सख्त निर्देशों के बावजूद हमारे 98 मंत्रीगण हेलीकाप्टरों से उड़ रहे हैं लम्बी-लम्बी कारों का काफिला चलता जा रहा है । उनकी अच्छी सद्भावनाएं हैं वह चाहते हैं कि एक स्वस्थ परम्परा प्रदेश में स्थापित हो, लेकिन इससे जो आशा थी वह होती दिख नहीं रही है । मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहता हूं 88 प्राथमिक विद्यालयों का आवंटन जिला बिजनौर के लिए हुआ है मेरे विधान सभा के लिए एक भी विधालय का आवंटन नहीं किया गया है । मैं इसके लिए डी०एम० से, जिला पंचायत अध्यक्ष से मिला और उन सबसे लिखित पत्र व्यवहार चल रहा है । यह सब इसलिए, कि मैं भाजपा से विधायक हूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र जिला का मुख्यालय है ।

एक वायदा था को विकास और प्रशासन के बारे में कोई पक्षपात नहीं किया जायेगा । मान्यवर, अभी-अभी एक शिशु मंदिर के बच्चे पिकनिक पर गये थे, कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे थे । उनसे प्रशासन के लोगों ने मुकरपुरी में मारपीट की और उन कक्षा 6 से 12 के बच्चों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में बन्द कर दिया गया । मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें । मान्यवर, इस बजट का कुल राजस्व प्राप्ति का 87 प्रतिशत भाग पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय हो रहा है यदि इसकी तुलना कृषि के उत्पाद से करें तो कृषि के लिए जो उपज वृद्धि के जो उन्नत बीज बन रहे हैं, उससे तुलना करें तो एक तरफ 87 प्रतिशत पेंशन व ब्याज के भुगतान पर खर्च हो रहा है और कृषि बीज के लिए 2 प्रतिशत खर्च हो रहा है । इससे सत्ता पक्ष का सर्वांगीण विकास और गांव-किसान का नारा खोखला साबित हो रहा है । मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर में इन सब प्रश्नों का जवाब देंगे तथा एक दृढ़ अर्थ संकल्प प्रस्तुत करेंगे जो एक समयबद्ध योजना के रूप में होगा जो इस प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए होगा । मैं इस नारे रूपी बजट का विरोध करता हूं ।

श्री विजय बहादुर पाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपकी इस कृपा के लिए आभारी हूं । हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे । मैं अपने विपक्ष से प्रजातंत्र में श्रेष्ठ भूमिका निभाने वाले सजग प्रहरियों से और सत्ता पक्ष के लोगों से कुछ कटुसत्य सामने रखकर कुछ विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं । वह उत्तर प्रदेश जो समाजसेवी, राजनेताओं, वैज्ञानिकों और साहित्यकारों का जन्मदाता रहा है जिसकी अपने देश में महती भूमिका रही । आज क्या स्थिति है उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । अगर हम श्रेष्ठ 10 स्कूलों में कहें तो उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं, 10 श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाओं की बात कहें तो आई०आई०टी० कानपुर और बी०एच०यू० का नाम लिया जा सकता है ।

श्री अक्षयवर लाल गौड़–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य इस बजट पर पहले भी अपना भाषण दे चुके हैं, ये बोल चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री पाल जी, माननीय सदस्य ने जो इंगित किया है वह ठीक है आप 4-12-03 को सामान्य बजट की चर्चा में भाग ले चुके हैं, अब दुबारा भाग नहीं ले सकते हैं । आप कृपा करके बैठिये ।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, मुझे दो तीन मिनट बोलने का मौका दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप 4 तारीख को बोल चुके हैं ।

माननीय पाल साहब जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा । अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री राम लाल अकेला–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो 3 महीने का बजट प्रस्तुत किया है, के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो 3 महीने का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह लोक लुभावना बजट है, जन भावनाओं के अनुरूप बजट है और इसीलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस लोकप्रिय सरकार के गठन के पहले उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान जिन्दगी से निराश हो चुका था। चाहे वह सवाल विकास का रहा हो, चाहे कानून व्यवस्था का रहा हो, समूचे उत्तर प्रदेश को पिछली सरकार ने पंगु बनाकर रख दिया था। हमारे तमाम मित्रों ने पूर्वांचल विकास निधि का मामल उठाया हो, चाहे जिला योजनाओं के धन का मामला उठाया हो। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि के धन को रोकने का काम किया था, जिला योजनाओं की तो बात ही छोड़ दीजिये।

जो विधायकों को विधायक निधि के माध्यम से विकास का अधिकार मिला हुआ है, पिछली सरकार ने उसको भी रोकने का काम किया था, इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में नहरों की सफाई नहीं हो पायी थी और न सड़कें गड्ढामुक्त हो पायी थीं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का और समूची सरकार का कि इन दो महीनों के अल्प शासनकाल में किसानों के मुरझाये चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का काम इस सरकार ने किया है। हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि इस सरकार ने क्या किया ? मैं विशेषकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों का ध्यान इंगित कराना चाहता हूं कि आप दलितों की बहुत बात करते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर दलितों की बात करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि दलित ऐक्ट जो दलितों को प्रताड़ित होने से बचाने के लिए बनाया गया था, उसको आपकी ही हुकूमत ने, आपकी सरकार ने उस कानून को निष्प्रभावी करके समूचे उत्तर प्रदेश में दलितों को अन्याय की आग में झोंकने का काम किया था। आप किस मुंह से दलितों की बात करते हैं, किस मुंह से डा० अम्बेडकर की बात करते हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर को गद्दार की संज्ञा दी, उनके साथ मिलकर आपने सरकार बनाने का काम किया। आप इस सरकार को नाजायज सम्बन्धों की संज्ञा देते हैं, आपको यह भी याद होना चाहिए कि माननीय मुलयम सिंह यादव जी ने बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के साहित्य को पूरी दुनिया में छपवाकर भेजने का काम किया। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने अम्बेडकर ग्रामों का सृजन नहीं किया, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पहली सरकार के समय में इस काम को अंजाम दिया था। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर को हिन्दुस्तान में एक पुरोधा के रूप में अगर किसी ने पूरे हृदय से सम्मान देने का काम किया है, तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मैं, जो मंत्री जी की ओर से और सरकार की ओर से शिक्षा की चर्चा की गयी, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा हमारे दलित किसान का सहारा है और पिछली सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से पंगु बनाने का काम किया है। पिछली सरकार ने साजिश करके चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट और बर्बाद करने काम किया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, गरीब

किसान का सहारा है । बड़े लोग तो बड़े-बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं लेकिन जो गांव में रहता है उसके बेटे का सहारा केवल प्राथमिक शिक्षा ही है । मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो मानक पिछली सरकार ने निर्धारित किये थे उनको समाप्त करके 35 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए । प्राथमिक शिक्षा को ले करके भाषण दिया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, भाषण होता है कि अध्यापक पढ़ाई का काम नहीं करते हैं लेकिन दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा की दशा के बारे में विचार करें तो प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को जनगणना के काम में और इसी प्रकार के तमाम अन्य कार्यों में मढ़ दिया जाता है और नतीजा यह होता है कि प्राथमिक शिक्षक अपना वास्तविक काम छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाते हैं, यही कारण है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से बरबाद और नष्ट होती चली जा रही है ।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शासनकाल में जो घोषणा की थी कि हम 14घण्टे बिजली देंगे, वह काम ईमानदारी से किया गया है । सारे साथी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांवों में 14 घण्टे बिजली का जो वायदा किया गया था वह पूरी तरह से हो रहा है । आज उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है उसका सीधा सबूत है कि अभी जो दो उप चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी ने भारी बहुमत से विजय हासिल की है और पूरे प्रदेश में जो विधान परिषद् के चुनाव हुए उनसे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे नेता ने दो महीने में जो करके दिखाया है वह अप्रत्याशित है । मैं एक निवेदन अपने साथियों से करना चाहता हूं कि विकास परिषद् पर बहुत बड़ी चर्चा हुई, सराहना होनी चाहिए थी, प्रशंसा होनी चाहिए थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को भारत के अन्य प्रदेशों के साथ विकास की दौड़ में बांधकर ऊपर ले जा रहे हैं । उद्योग रहें, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, सड़क ठीक हो और इन सब चीजों के लिए सार्थक प्रयास हमारी सरकार ने किये हैं, इस प्रयास के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । विकास परिषद् को कोई सरकार का धन नहीं अर्पित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश विकास परिषद् एक आदर्श तरीका है विकास का और बार-बार उसकी आलोचना करना, उसकी नीयत पर शक करना, यह हमारा दुर्भाग्य है । मैं इस सार्थक प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । सरकारी अस्पताल जहां गरीब, दलित व पिछड़े जाति थे, किसान जाते थे वहां पर स्थिति यह हो गयी थी कि कोई गरीब, दलित या किसान वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि पिछली सरकार में अस्पतालों में भारी शुल्क वृद्धि कर दी गयी थी । अगर एक घर के 4 आदमी बीमार हो गये तो पर्चा बनवाने में ही 32 रुपये देने पड़ते । शैय्या के लिए कितना देना पड़ेगा, आपरेशन के लिये कितना देना पड़ेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है । दवा के नाम पर इन अस्पतालों में कोई चीज नहीं मिलती थी । स्थिति यह थी कि गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में नहीं जा पा रहा था । हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों व किसानों का ख्याल रखते हुए सर्वप्रथम अस्पतालों का शुल्क कम किया और उनके लिए अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का प्रबन्ध किया । उन्होंने जो काम नहीं किया वह है कि थानेदार से लेकर कलेक्टर तक कूपन नहीं बांटा कि मुख्यमंत्री का जन्म दिन आया है, कोई वसूली नहीं की ।

मैं अपने नेता के जन्मदिन पर बधाई देने गया तो नेता प्रदेश के बाहर थे । हम लोगों ने सोचा और महसूस किया कि कितना अन्तर है । पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिन के नाम पर सोने का हार, 100-200 करोड़ रुपये का उपहार लिया । अधिकारियों को इसके लिए लगाया गया । हमारे नेता

माननीय मुलायम सिंह जी दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर भाषण नहीं दिया बल्कि उनके हित में कार्य किये और उसे कार्यरूप में धरातल पर उतारा । माननीय मुलायम सिंह जी ने बुझे हुए चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है । हमारी सरकार ने जिनके पैरों में छाले थे, बिवाईयां थीं उनकी पीड़ा को समझा और उनके कल्याण के लिए एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । माननीय मुलायम सिंह जी ने हवेलियां नहीं खड़ी की उन्होंने दलितों के दुःख को समझा और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह जन भावनाओं के अनुरूप है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, मैं आपके प्रति कृतज्ञत' अर्पित करता हूं । मान्यवर, मैं बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं यह कहने की धृष्टता तो नहीं करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण झूठ का पुलिन्दा है । किन्तु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बजट भाषण में सब कुछ सत्य नहीं है । इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर बजट भाषण में चर्चा तक नहीं की गयी है । बजट भाषण में सरकार ने अपनी प्राथमिकतायें तय की हैं । पहली प्राथमिकता शान्ति व्यवस्था कायम करने की है । मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करना चाहता हूं । मैं केवल लखनऊ की बात कर रहा हूं । मान्यवर, नवम्बर और आज की तारीख तक जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा करके मैं यह साबित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में शांति व्यवस्था तार-तार हो चुकी है प्रदेश सरकार की दूसरी प्राथमिकता विकास करना है । मान्यवर, लखनऊ में जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, विकास ठप्प हो गया है । शायद यह प्रतिशोध और विद्वेषपूर्ण भावना से किया जा रहा है । मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । गोमती एक्शन प्लान के अन्तर्गत गोमती नदी की सफाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 19 करोड़ रुपया दिया था किन्तु यह कार्य रोक दिया गया । लखनऊ में तीसरे जलकल की योजना को 25 नवम्बर को मुख्य सचिव द्वारा ली गयी इसको बैठक के एजेण्डे तक में नहीं रखा गया । यह कार्य भी ठप्प कर दिया गया है । मध्य विधान सभा क्षेत्र में मोतीझील में बने हुए बूचड़ खाने को हटाकर, अन्यत्र बनाने के प्रारम्भ हुए कार्य को रोक दिया गया । इंदरा कुआ योजना रोक दी गयी ।

मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में सुभाष मार्ग तुलसीदास मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य रोक दिया गया । आधुनिक कूड़ाघरों के निर्माण कार्य को रोककर पुराने कूड़ा घरों पर ताला पड़ गया है । लखनऊ शहर के विकास कार्यों को कराने के लिए पूर्व नगर विकास मंत्री जी द्वारा बनायी गयी टास्क फोर्स योजना को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है । फलस्वरूप विकास के सारे कार्य रुक गये है । मध्य विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के सुधार कार्य को विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर रोक दिया गया क्योंकि वर्तमान मंत्री जी मेरी विधान सभा क्षेत्र में चुनाव हार चुकी है किन्तु [ × × × ] मान्यवर, मैं लखनऊ में कुछ घटित घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा जो यह सरकार

---

नोटः–[ ××× ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

शांति-व्यवस्था का ढिंढोरा पीट रहे हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के रिश्तेदार के पेट्रोल पम्प पर डाका, कार समेत तीन वाहन चोरी, तमंचा दिखाकर व्यापारी की कार और नकदी लूटी, पढ़ने आयी छात्रा को युवकों ने अगवा किया, तीन वाहनों समेत लाखों की चोरी, गोमती नगर में डकैतों का कहर, पांच घरों में लाखों की लूटपाट, कच्छा बनियान गिरोह की तरह धावा मारा, डकैती मामले में गांव वालों पर टिकी नजर पुलिस की, कर्मचारी नेता का सुराग नहीं ब्लाक प्रमुख के घर दबिश, हवा में हाथ मार रही है पुलिस, रंजिश में युवक को गोली मारी, मंत्री के काफिले से बसपा विधायक के घर फायरिंग शहर में सक्रिय है लुटेरों के नब्बे गिरोह तार चोर गिरोह के सदस्य बंदी, वाहन समेत लाखों की चोरी, उपदेश सिंह पर हमले के मामले में कोई सुराग नहीं, अभी विधान परिषद् के चुनाव जो प्रत्याशी रीता यादव थी वहीं चुनाव लड़ी थी उनके चुनाव संयोजक का अपहरण कर लिया गया तो सारी बात इस बात का प्रमाण है कि लखनऊ में वर्तमान में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं । मा० अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 8 रुपये से घटाकर पर्चा एक रुपया कर दिया गया है । मान्यवर, इस सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जो पर्चा आठ रुपया का बनता था उसकी कीमत एक रुपया कर दी है लेकिन आज सरकारी अस्पतालों में जो महिला प्रसव से सम्बन्धित कार्य होता है जो निःशुल्क किया जाता है, उसके उनसे 335 रुपये प्रति प्रसव केस लिया जा रहा है । मान्यवर, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी से पूरे प्रदेश के अस्पतालों को गुलाबी रंग में रंगवाने का आदेश दे दिया है, लेकिन वहां जो मूलभूत आवश्यक वस्तुएं हैं वह नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करना चाहता हूं कि प्रदेश के अस्पतालों को तो रंगवा दिया गया लेकिन वहां कार्य करने का जो ढंग है उसकी रंगत जरा सी भी नहीं बदली है, उन्होंने अस्पतालों को रंगवाने की ओर तो ध्यान दिया लेकिन मान्यवर, उनकी कार्यकुशलता, कार्य क्षमता और कार्य करने की तकनीक की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं, दिया गया है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार के माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान, पी०एम०एस० डाक्टरों के 1939 रिक्त पदों को, प्रयोगशाला सहायकों के 1250 रिक्त पदों को, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 215 रिक्त पदों को, एक्सरे टेक्नीशियन 44, फार्मासिस्ट के 28, नर्सों के 850 रिक्त पदों को भरने की ओर ले जाना चाहता हूं जो आज तक नहीं भरे गए हैं और यह सरकार बात करती है प्रदेश के विकास की, प्रदेश की उन्नति की । मान्यवर, आज प्रदेश की यह हालत है कि मरीज तो बढ़ने लगे किन्तु दवाओं का टोटा है, व्यवस्थाओं का टोटा है, इस सबका कोई प्रबन्ध इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है । मान्यवर, प्रदेश सरकार के इस बजट में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों की घोर उपेक्षा की गयी है । आज प्रदेश के हर अस्पताल में चिकित्सीय उपकरणों का अभाव है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने छात्र के प्रत्याशियों की आयु सीमा हटाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपराधी, ठेकेदारों, कोटेदारों का प्रवेश कर पवित्र वातावरण को दूषित किया गया है । मान्यवर, इस सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा कर सरकार ने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास किया है । इसकी कोई योजना बजट में नहीं है । छोटे बजट के सम्बन्ध में छोटा भाषण देकर अपनी बात समाप्त कर देता लेकिन मैं इस सदन का ध्यान एक विषय की ओर अवश्य ले जाना चाहूंगा । लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् ने

समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से यह सूचना प्रसारित की है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या–2435 वर्ष 2001 एवं याचिका संख्या–34957 वर्ष 2003 पर पारित आदेशों के अनुक्रम में दुकान, गेस्ट हाउस, मैरिज हाल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान एवं कार्यालय आदि पर भी यह आदेश लागू होगा । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित उपरोक्त याचिकाओं पर पारित आदेश में गेस्ट हाउस, मैरिज हाल आदि का कोई जिक्र तक नहीं है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेन्ट ऐक्ट–1983 के अन्तर्गत आवासीय भवनों की परिभाषा के अन्तर्गत हास्टल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और मुसाफिर खाना इत्यादि को आवासीय भवन माना गया है ।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या–1240 दिनांक 8 फरवरी, 2001 के अन्तर्गत गेस्ट हाउस और बारात घर को पूर्णतः न तो आवासीय माना गया है और न ही व्यवसायिक माना गया है बल्कि उसे अर्द्ध व्यवसायिक कहा गया है और उसे कम्युनिटी सर्विस की श्रेणी में रखा गया है । वर्तमान समय में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ के सभी गेस्ट हाउस और बारात घर के स्वामियों का ही उत्पीड़न नहीं कर रहा है बल्कि आम नागरिकों को जिन्होंने गेस्ट हाउस और बारात घरों को अपने बेटे-बेटियों की शादी के लिए तथा अन्य उत्सवों के लिए न्यायालय के आदेश के काफी पहले से बुक कर रखा है उनका उत्पीड़न इन गेस्ट हाउसों और बरात घरों को सील करके और सील करने की चेतावनी देकर कर रहा है । माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आवासीय भवनों में चल रहे गेस्ट हाउसेज और बारात घरों पर लागू नहीं होता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या का समाधान शमन की प्रक्रिया अपनाने के लिए कानून में संशोधन करके भी कर सकती है । मान्यवर, आपको याद होगा कि माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने शाहबानो प्रकरण में एक फैसला दिया था लेकिन उसको प्रभावहीन करने के लिये लोक सभा ने जनहित में एक कानून पारित किया था । मान्यवर, रोजाना सैकड़ों शादियां होती हैं । गेस्ट हाउसों को बन्द करने के लिये 19 दिसम्बर की तिथि रखी गयी है कि इनको बन्द कर दिया जाय वरना सील कर दिये जयेंगे । जिन लोगों ने गेस्ट हाउस बुक कराये हैं उनको चेतावनी दी गयी है कि अपना पैसा वापस ले लीजिये । मान्यवर, कैसे लोग अपने बेटे-बेटियों की शादियां करेंगे । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मिनी इन्डोर स्टेडियम है आज यह बारात घर के रूप में क्या प्रयोग किया जा रहा है । उसका लैंड यूज भी नहीं बदला गया है । इसी तरह से ईदगाह में रोज शादियां हो रही हैं । स्कूलों में शादियां हो रही हैं जबकि उनका लैंड यूज नहीं बदला गया हैं । मैं सरकार से आग्रह करूंगा, नगर विकास मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस ओर ध्यान दें । आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा ।

(सदस्य ने समाचार पत्र दिखाया ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य समाचार-पत्र न दिखायें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मुझे जानकारी मिली है, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि भा०ज०पा० से हमारी नजदीकियां नहीं हो सकती । वहां पर आरोप लगाया जाता है कि भा०ज०पा० और स०पा० की सांठगांठ से सरकार चल रही है तो मैं यह भ्रम दूर कर रहा हूं । अम्बिका चौधरी जी मेरे मित्र हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं । मैं

आपके सामने कहना चाहता हूं कि हवा से दो ती होती नहीं चरागों की–जो हो भी जाय तो संजीदगी नहीं होता । मान्यवर, हमें गलतफहमी नहीं है । अयोध्या में निहत्थे कारसेवको पर गोलियां चलायी गयी । आप लोगों के हाथ उनके खून से रंगे हुये हैं । इसलिये मुझे तो गलतफहमी नहीं हो सकती और किसी को हो तो हो सकती है । मैंने इस बहुत छोटे बजट पर वहुत छोटा भाषण विरोध स्वरूप रखा हैं । बहुत बहुत धन्यवाद ।

* श्री भगेलू राम–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत वजट के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । जिन बातों का बजट में उल्लेख किया गया है उनमें कोई सामंजस्य नहीं है । किसी जिले की बड़ी बड़ी योजनायें दी गयीं हैं और किसी जिले को छोटी योजनायें दी गयीं हैं । कही बहुत ज्यादा और कही कुछ भी नहीं दी गई है । मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहता हूं । लोक निर्माण विभाग द्वारा हमारे जिले के पश्चिम में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया है वहीं पूर्व में सुल्तानपुर पार्लियामेन्ट्री में एक नए पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है । हमारे क्षेत्र में गोमती नदी पर इब्राहिमपुर घाट पर पुल बना हुआ है लेकिन उसका अप्रोच मार्ग नहीं बना है । दो साल पहले उस पुल के वगल से रास्ता थी वहां से यादव की बारात ट्रैक्टर से जा रही थी वह ट्रैक्टर गोमती में गिर गया जिसके कारण सात लोग मर गए । अतः उस एप्रोच मार्ग का निर्माण किया जाए इसके लिए बजट में व्यवस्था की जाए । पिछली सरकार में क्षेत्रीय संतुलन को वनाए रखने के लिए हर विधायक को 5-5 कि०मी० की सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव देने का काम किया गया था इस व्यवस्था को फिर से किया जाए ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे । यह सरकार किसानों की हितैसी बनती है । हमारे क्षेत्र में आज तक एक भी धान क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है अगर खोला गया है तो खरीदारी नहीं हुई है । आज ही हमने एस०डी०एम० से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि धान क्रय केन्द्र खोल तो दिया गया है लेकिन वहां कोई खरीददारी नहीं हो रही है ।

हमारा क्षेत्र सुल्तानपुर जिले से 40 कि०मी० दूर है । इस वजट में 15 मण्डियों के निर्माण का प्रस्ताव है । मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारा क्षेत्र जो काफी विकसित है वहां किसानों का जो उत्पादन होता है तो वह अपने गांव से 70 कि०मी० दूर जिले पर जाता है या दूसरे जिले में जाता है तो इस बजट में 15 मण्डियों के निर्माण की वात है तो हमारे क्षेत्र में भी एक मण्डी खुलवाने की व्यवस्था करें । इस वजट में जो अम्वेडकर गांवों के लिए धन की व्यवस्था की गई है वह अर्पाप्त है । पिछली सरकार ने जिस तरह से अम्वेडकर गांवों का विकास किया है उसी तरह का विकास किया जाना चाहिए क्योंकि यहां पर जो विकास होता है उसमें सभी लोग सुविधा उठाते है यह केवल जाति या वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है । इसलिए इस मद में जो वजट की व्यवस्था की गई है उसको वढ़ाने का प्रस्ताव किया जाए । दूसरी वात कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में 23 अक्टूबर को तीन निषादों की निर्मम हत्या कर दी गई और उसको डकैती का रूप दे दिया गया । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं । इस सम्वन्ध में निषाद समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी तीन दिसम्बर को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सी०वी०सी०आई०डी० जांच करवा ली जाए । इनके नाम हैं रामधारी, धर्मेन्द्र निषाद व राम तीरथ निषाद इसमें राम तीरथ निषाद की उम्र 13 वर्ष की ही है । उसका भी डकैती में दिखाया गया । इस प्रकरण की जांच के साथ ही साथ मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए । पिछली सरकार में तमाम लोगों को पट्टे दिए गए थे गरीबों को पट्टे दिए गये थे उनको कब्जे भी दे दिए गए थे इस सरकार में उनके पट्टों को खारिज कराया जा रहा है और कब्जे से भी वेदखल किया जा रहा है । हमारे पास तमाम इस तरह की सूचनाएं है । बदले की भावना से कार्यवाही हो रही है । ऐसी कार्यवाई न की जाए । आपने मुझे इस बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री बीजू पटनायक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं इस सादात विधान सभा की तरफ से, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद दे रहा हूं । माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है वह प्रदेश के किसानों की सहायता, गरीब मजलूमों की खुशहाली का बजट है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान थोड़ा सा बेरोजगारों को बेरोजगारी की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसके लिये आपको बजट में व्यवस्था नहीं करनी है केवल थोड़ा सा व्यवस्था में परिवर्तन करना है । सरकार के तीन प्रोजेक्ट चलते हैं । आब्कारी, परिवहन और लोक निर्माण विभाग । आबकारी विभाग जो सरकार के अधीनस्थ इनकी देख रेख में चलता है । पूरे प्रदेश में अंग्रेजी शराब, देशी शराव और बीयर की दुकान है उनके लिये पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय तो इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है । इस तरह से दुकानों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय । इसी तरह से लोक निर्माण विभाग है, जिसमें पूरे प्रदेश में ठेकेदारी की व्यवस्था है इसके भी ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था यदि कर दी जाय तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और उनमें खुशहाली आ सकती है । इसी तरह से इनका तीसरा विभाग परिवहन का है जिसमें प्राइवेट बसों का परमिट दिया जाता है इसमें भी यदि आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कर दी जाय तो उनके लिए बेरोजगारी की समस्या कुछ दूर हो सकती है ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेदपुर, सेदपुर भीतरी मांगी नदी पर पुल की व्यवस्था कर दी जाय तो वहां की जनता को आराम हो जायेगा । पिछली सरकार जो लोग चला रहे थे उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया । माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से पंचायती राज में आरक्षण को लागू किया जिसमें पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को भी मौका मिला । आप इस तरह की व्यवस्था इन लोगों के लिये करेंगे तो विभिन्न जातियां जो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति में आती हैं उनकी बेरोजगारी दूर हो सकती है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । जय समाजवाद ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं अपने दल की तरफ से इस बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारा देश भारत और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश संसार के सबसे बड़े संसदीय और राज्यीय प्रजातंत्र है और सफलतापूर्वक स्वतंत्र के पश्चात वगैर राजनैतिक हिंसा के लोकतंत्र को चलाना है । स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष बिन्दु हमारी आजादी सम्पन्नता, सशक्कतता, समरसता के सारे देश को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया था और अतंतोगत्वा देश आजाद हो गया । आजादी तो मिल गई और प्रारम्भ के दो दशकों तक कुछ आशा की किरणें दिखाई दी मगर धीरे-धीरे अपनी आशायें धूमिल हो चली । देश में काला धन, विदेशी कर्जा और उसका ब्याज तथा आये दिन हुए घोटालों ने आर्थिक विपन्नता पैदा कर दी । आगे उठने की तीव्र ललक यथास्थिति वादियों द्वारा अवरोध सामाजिक उथल पुथल और साम्प्रदायिक दंगों ने सामाजिक समरसता का गला घोंट दिया तथा राजनैतिक अस्थिरता के कारण विकास और कल्याण के रास्ते बंद हो गये । राजनीतिक कुर्सी पाने और रखने की लालसा में जातिवाद और अनैतिकता तथा दल-बदल का रास्ता अपनाने लगे । नौकरशाही भ्रष्ट, वेलगाम और जी हुजूरी की राह पर चलने लगी । समाज स्वार्थ और क्षणिक मगर त्वरित लाभ की डगर पर चलने लगा तथा श्रमदान, सेवा और सहयोग की राह से विमुख हो गया । आबादी दिन रात चौगुनी बढ़ने लगी, राजनेता नौकरशाही, पुलिस और अपराधियों में सांठ-गांठ हो गई और न्याय पालिका भी अछूती नहीं बची, इन सबके कारण देश में और प्रदेश में हर प्रकार का अभाव और असंतुलन बनने और बिगड़ने लगा । उधर आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण व्यापारिक भूमि मंडलीकरण और सेलओं के निजीकरण का भी विकासशील देशों और श्रमिकों, किसानों तथा गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा प्रायः सभी राज्य सरकारें घाटे में चल पड़ीं हमारे प्रदेश की हालत तो और भी ज्यादा दयनीय हो गई ।

श्रीमन् किसानों को बिजली, पानी बीज, कीटनाशक दवायें खाद और संयंत्र सही समय पर और सस्ते नहीं हो रही है माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वजट रखा है उसमें इस तरह का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है । अस्पतालों में दवाओं का पर्चा 8 रु० से घटाकर एक रुपया कर दिया गया है । श्रीमन् अस्पतालों में मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन दवाओं की व्यवस्था नहीं है जो महंगी दवायें हैं वह सी०एम०ओ० परचेज नहीं करा रहे हैं । इसी तरह मान्यवर, बिजली उत्पादन, संवाहन और आवंटन दोषपूर्ण और चोरीयुक्त हो गया है, उद्योग का बंदीकरण और कर्मचारियों की छटनी हो रही है रोजगारों की कमी हो रही है माननीय मुख्य मंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है हम चाहेंगे कि बेरोजगारों को बेरोजारी भत्ता दिया जाय । इसी तरह से नहरों और राजबहों की दरेसी न होना भूजल स्तर में गिरावट, वाटर शेड्स का बंद होना और पीने के पानी की किल्लत, सामाजिक सौहार्द और समरसता में गिरावट, शासन में इच्छाशक्ति का अभाव नौकरशाही में कार्यशैली का अभाव आदि अनगिनत समस्यायें हैं । श्रीमन् शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र में रापपुरा रास्ते पर जी०वी०सी० मशीन से काम कराया जा रहा है जो कार्य मजदूर करते थे मशीन द्वारा ठेकेदार से कराया जा रहा है गरीवों को रोजगार मिलना चाहिए इसके कारण गरीवों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है ।

श्रीमन् कन्या विद्या धन की बात है इसके वारे में कहा गया कि 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रतिवर्ष होगा इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में 14-15 जून को 56 शादियां

फूल माला से कराई । शिकारपुर में 8 व 9 नवम्बर को 63 शादियां डा० अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल शिकारपुर में सम्पन्न कराई । कन्या विद्या धन के साथ हम चाहेंगे कि कन्यादान भी सामूहिक रूप से कराया जाए । हमने दिनांक 24 अगस्त, 2002 को इस बारे में कहा था । दो-तीन बार नियम–51 में भी सूचना दी है । सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा सड़कों की प्रगति होनी चाहिए, बुलन्दशहर से डिवाई रोड पर मिर्जापुर जठपुरा सलेमपुर में एक-एक मीटर गहरे गड्ढे हो रहे है सारी सड़के खराब पड़ी हुई है सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं । शिकारपुर से जहांगी नाद की सड़क टूटी हुई है । इसी तरह से शिकारपुर से अनूपशहर तक की चीनी मिल की रोड टूटी पड़ी है । हमारे बुलन्दशहर में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको बनवाया जाए । माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे जनपद के हैं कोई मजरा कोई गांव ऐसा नहीं रह गया है जहां बेसिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल न खुले हों, उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले हैं इन स्कूलों में शिक्षा मित्र है अध्यापक नहीं है कहीं-कहीं एक विद्यालय में एक अध्यापक है माननीय चौधरी साहब बैठे है इन विद्यालयों में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यह विद्यालय टूटे फूटे हैं एक-एक विद्यालय में एक अध्यापक होंगे तो कैसे स्कूल चलेगा ? इसी तरह से ट्रांसफर नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो उसी जिले के अध्यापक हैं उन पर कन्ट्रोल नहीं हो सकता है । हमारे जिले में जो बाबू हैं, कर्मचारी हैं, अपने क्षेत्र में मैंने जाकर देखा है और पाया है कि एक-एक आफिस में 18-18 कर्मचारी अनुपस्थित हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और उन्हें सख्त निर्देश दिए जायें । मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र मध्य गंगा नहर क्षेत्र में आता है, पानी टेल तक पहुंचना चाहिए । गिनौरा माइनर, जोट माइनर, बालका राजबहा, मुरसाना माइनर, धनौरा माइनर, चकला माइनर, राजपुरा माइनर, खेलिया माइनर, सरावा राजवाहा, खलसिया माइनर, तैयबापुर माइनर, सुरखुरु माइनर, रसुलपुर माइनर, हजरतपुर माइनर आदि पर दरेसी करायी जाए । आज वहां पर फसल नहीं बोयी जा सकती है, धान की फसल मारी गयी और अब गेहूं की फसल भी नहीं बो पा रहे हैं ।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत काफी पैसा दिया गया है, प्रधानमंत्री जी का मैं बड़ा आभारी हूं । काफी सड़कें ऐसी हैं जो प्रस्तावित हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है । 33 सड़कें मेरे निर्वाचन क्षेत्र बुलन्दशहर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं, 9 करोड़ से ज्यादा की सड़कें स्वीकृत हैं और यह सब आर०ई०एस०, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के द्वारा करायी जानी हैं । मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये सड़कें अतिशीघ्र स्वीकृत करा दी जायेंगी । अभी बिजली के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 14 घन्टे बिजली प्रत्येक तहसील स्तर पर जायेगी । मैंने मुख्य मंत्री जी को 24-9-2003 को पत्र भी लिखा था और उसमें आश्वासन भी मिला था लेकिन मेरे शिकारपुर तहसील में 14 घन्टे बिजली नहीं मिल रही है । मैंने यह अनुरोध किया था कि शाम 6 से सुबह 8 बजे तक कर दीजिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जिनके साथ मिलकर सरकार चलायी, हमारे नेताओं ने दुख भी व्यक्त किया है । लेकिन हम बार-बार यह कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसका ठेका इन्होंने ले रखा है, उन्होंने ले रखा है, वह किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के नहीं थे, यह सभी जाति के थे । जब मैं जिला पंचायत सदस्य था और उसके बाद जब विधायक बनकर यहां आया तो मैंने सोचा था कि विधान सभा में बैठेंगे और हमें सम्मान मिलेगा । हम एक दूसरे को माननीय कहते है, आप हमारे संरक्षक है लेकिन ट्रेन में सफर करें, अरथी के साथ में जायें, कवि सम्मेलन में जायें या मुशायरे में जायें, या और कहीं जायें, हमारे ऊपर कटाक्ष होता है कि देश

को यह नेता ही खा रहे हैं । इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें देशहित में, गरीबों के हित में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हित में ऐसे कुछ करना होगा जिससे आम जनता में जो छवि आज बन रही है, उसमें परिवर्तन आये । मान्यवर, हमारे यहां पर आई०ए०एस०, पी०पी०एस०, आई०एफ०एस०, पी०सी०एस०, सबइन्सपेक्टर, नायब तहसीलदार, एस०डी०एम० आदि की जो बैचवार डी०पी०सी० बनी थी, जो 1979 में डिपार्टमेन्ट प्रमोशन कमेटी बनी थी, मान्यवर, 1969, 1989, 1998 में बैठी और आज तक यह कमेटी नहीं बैठी है तो हमें न्याय कैसे मिलेगा । हमारे महापुरूषों चाहे बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर, महात्मागांधी या श्री जवाहर लाल नेहरू रहे हों सभी ने चिन्तन किया था कि हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो जिनके पास रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य की सुविधायें नहीं हैं तो वह उनके लिए व्यवस्था करने का कार्य करेंगे । मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह बजट तथ्यहीन, दिशाहीन है । इसमें जो कमियां थीं वह हमने आपके सामने रखीं हैं । आपने मुझे बजट में बोलने का अवसर दिया, मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । जय भीम, जय भारत ।

(इस बीच श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल बीच में खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिस पर श्री अधिष्ठाता जी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तथा कहा कि आप दिनांक 4-12-03 को सामान्य चर्चा में भाग ले चुके हैं अतः दोबारा न बोलें ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने स्थान पर बैठ जायें । आप बोल चुके हैं ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, श्री गोयल जी के क्षेत्र का एक मसला है । वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है । जिससे वहां के लोगों में आक्रोश है ।

श्री अधिष्ठाता–

सामान्य चर्चा चल रही है । जिन माननीय सदस्यों ने भाग नहीं लिया उनके नाम बाकी हैं । उनके नाम हो जायेंगे तो श्री सुरेन्द्र गोयल जी को अवसर दिया जायेगा ।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । काफी दिनों से चर्चा चल रही है । पूर्व की सरकारों में जो ज्यादतियां और भय का माहौल था उसमें सुधार की विशेष व्यवस्था की जरूरत थी । मुझे याद आ रहा है जब आज के प्रतिपक्ष के नेता श्री टण्डन जी पिछले साल फरवरी, 2003 गट में मौजूद थे । गट बृज घाट को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना थी । मान्यवर, मेरठ जनपद में एक पुल था जो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था उसी दिन टण्डन जी मौजूद थे । उसमें छोटी सी मरम्मत होनी थी । इसके लिए सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को 7 लाख रुपये विभाग ने दिये लेकिन 9 महीने तक वह पुल नहीं सुधारा जा सका । इस अव्यवस्था के कारण 2-3 करोड़ की सड़क और खराब हो गयी इस तरह का माहौल था । प्रशासनिक व्यवस्था दिशाहीन थी

और जो विकास के नाम पर हमारी धनराशि खर्च होती है वह जनता की गाढ़ी कमाई से आती है। इस धनराशि को पूर्व की सरकार ने अपना समझकर खर्च करने का जो अन्तर पैदा किया था इसको दूर करना आवश्यक था। आज माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। और 990 करोड़ रुपये जो किसानों को दिया गया है, उसी तरह से विद्युत आपूर्ति जो 14 घण्टे हुई है और जो कार्य करने की पारदर्शी शैली है, उससे विश्वास पैदा हुआ है आम नागरिक का और जो फीस बढ़ाई गयी थी, उससे आम नागरिक/छात्रों का नुकसान हुआ था, उसे कम कर दिया गया, उसके लिए वास्तव में आज मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आज बेसिक सहायक अध्यापकों के जो 21 हजार पद रिक्त पड़े हैं, उसकी सूचना आ गयी है। गढ़मुक्तेश्वर एक पर्यटन स्थल भी है और तीर्थ स्थल भी है, तो मैं उसकी बात कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर एक मेला लगता है और मेरा मानना है कि इसमें 20-25 लाख लोग तीर्थ यात्री के रूप में श्रद्धालुओं के रूप में आते हैं और गंगा स्नान करते हैं, उसको बजट में शामिल कर लिया जाय और उसको प्रान्तीय मेले में शामिल कर लिया जाय और उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था प्रदेश स्तर से होनी चाहिए। मान्यवर, जहां पर वह मेला लगता है, वह किसानों की भूमि है और हजारों एकड़ भूमि पर जब फसल का समय नहीं भी होता है और उसकी कटान का समय नहीं होता है तब भी मजबूरन फसल को काटा जाता है तो इस सम्बन्ध में भी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था होनी चाहिए यह बहुत ही आवश्यक है।

हमारे यहां कोई बड़ा आधुनिक अस्पताल नहीं है और गढ़मुक्तेश्वर हमारे मुख्यालय से 100 कि०मी० दूर है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर आधुनिक उपकरणों और मशीनों से सुसज्जित एक बड़ा अस्पताल खोल दिया जाय, क्योंकि हाईवे होने के नाते यहां पर अक्सर दुर्घटनायें हो जाया करती हैं और काफी संख्या में जानें भी जाया करती हैं तो मेरा सुझाव है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द यहां एक अस्पताल खोल दिया जाय। मान्यवर, गांवों में रहने वाले लोग, किसान आम तौर पर मवेशियों से जुड़े हैं, जो गाय, भैंस, बैल आदि पालते हैं, अगर किसी किसान की भैंस मर जाय या अन्य कोई मवेशी मर जाय, तो उसके नुकसान की पूर्ति नहीं हो पाती है तो मैं चाहता हूं कि उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्राविधान होना चाहिए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गन्ना किसान हैं।

कभी-कभी ऐसा होता है कि बिजली का तार टूट गया और किसानों का गन्ना जल जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, तो जो गन्ना जल जाता है चाहे किसी आपदा से या प्रशासनिक लापरवाही से तो उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्राविधान होना चाहिए। नोयडा-ग्रेटर नोयडा आज हमारे शहरों के प्रमुख औद्योगिक स्थान बन गए हैं और वहां पर बहुत से उद्योग चलते हैं, लेकिन वहां पर जो किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है, उसका सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसे दिलाया जाय और सही तरीके से दिलाया जाय। वहां पर हाईवे की वजह से दुर्घटनायें आये दिन हुआ करती हैं तो हाईवे पर पैदल चलने वालों के लिए ऐसा रास्ता बनाया जाय जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिले और दुर्घटनाएं भी न हों। आज कार्यों में पारदर्शिता की वजह से विश्वसनीयता पैदा हुयी है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बार-बार बधाई देना चाहता हूं और इस बजट का स्वागत करते हुए, समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

* श्री विद्या सागर गुप्त–

अधिष्ठाता महोदय, बजट के विरोध में बोलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 30 हजार लघु उद्योगों को लगाने की बात कही है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में लघु उद्योगों की हालत बहुत खस्ता है और उसके कई कारण भी है एक तो यू०पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल, डेवलपमेन्ट कारपोरेशन जो जमीने उद्यमियों को देते हैं इनसे महाजनी ब्याज वसूल करते हैं। उसमें साल भर लग जाता है उद्योग को शुरू होने में लेकिन, साल भर में वह कारपोरेशन 12 के 15 फीसदी ब्याज ले लेता है तो इस तरह से पहले साल के बाद वह लघु उद्योग सिक होना शुरू हो जाता है। मेरा सुझाव है कि यू०पी० एस०आई०डी०सी० जो जमीनें लघु उद्यमियों को एलाट करें उसमें पहले साल का ब्याज मुक्त रखे या ज्यादा से ज्यादा वह 5 प्रतिशत ब्याज के ऊपर उनको जमीनें एलाट की जाए।

मान्यवर, प्रदेश में बिजली की दरें बहुत ज्यादा हैं इसकी वजह से यहां नये उद्योग पनप नहीं पायेंगे उसके ऊपर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकार्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जो मुख्य मंत्री जी ने विकास परिषद् का गठन किया है उसमें किसी भी लघु उद्यमी को या किसी भी एसोसियेशन को नहीं लिया है। तो क्या जो बड़े-बड़े उद्यमी उसमें हैं जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, या उससे ज्यादा रकम का उद्योग लगाते हैं क्या वह लघु उद्योगों की चिन्ता करेंगे। मान्यवर, उनके चलते 30 हजार क्या यह 3 हजार भी लघु उद्योग लगवा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद में लघु उद्योगों को कोई प्रतिनिधि रहे जो उसकी चिन्ता कर सकें, मान्यवर, जो मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि बड़ी इकाईयों को ही ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा तो मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे उद्यमी उद्योग लगायेंगे उनको ब्याज मुक्त ऋण क्यों नहीं दिया जायेगा। क्योंकि बड़े उद्यमी तो 200 करोड़, 500 करोड़ रुपया उद्योग के लिए लगाता है जबकि छोटा मोटा उद्यमी 2 लाख लगाता है और 5 लाख रुपया सरकार से या बैंकों से लेना चाहता है, ऊपर इससे अधिक पूंजी लगेगा तो वह उद्योग नहीं लगा पायेगा और अगर लगायेगा तो वह सिक हो जायेगा।

मान्यवर, बहुत से इण्डस्ट्रियल स्टेट्स ऐसे हैं उनकी हालत बहुत खराब है प्रदेश में उनका इन्फास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है और कहीं भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूट गयी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसके लिए भी कुछ रुपये का इस बजट में प्राविधान करें। ताकि सरकार के द्वारा बनाये हुए जो इण्टस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनको ठीक किया जाए, सुसज्जित किया जाए ताकि वहां उद्योग अच्छी तरह से पनप सकें। मान्यवर, एक सुझाव यह भी देना चाहूंता हूं कि चाहे रिलायंस ग्रुप हो अनिल अम्बानी जी विकास परिषद में सदस्य भी है से या अन्य किसी से एक पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स की स्थापना लखनऊ में कराई जाए। रायबरेली रोड पर गैस अर्थोरिटी आफ इण्डिया लि० की पाइप लाइन लगी है, उस पेट्रो कैमिकल काम्पलेक्स की स्थापना से यहां सैकड़ों

---

* वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एनीसिलरी यूनिट यहां लग जायेगी और प्रदेश में लखनऊ के आस-पास 50 हजार श्रमिकों को रोजगार भी मिल जायेगा ।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित लखनऊ में जो सड़कें हैं वह दयनीय स्थिति में हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी या अभियन्ता यह कहते हैं कि सड़क तो बना देंगे लेकिन पानी के निकासी का काम हम नहीं कर पायेंगे क्योंकि वह काम नगर निगम का है । मान्यवर, अगर हम पानी की निकासी का प्राविधान उसमें नहीं करते हैं तो एक ही साल के अन्दर वह सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है । मेरा निवेदन है कि लोक निर्माण विभाग को यह आदेश दिया जाए कि जो भी सड़क बनायी जाए उसके पहले पानी की निकासी का या नालियों का भी ड्रेनेज का इंतजाम भी उसमें रहे ताकि वह सड़कें 5-7 साल तक चल सकें । मान्यवर, माननीय सुरेश जी ने जो कानून-व्यवस्था की स्थिति पर रोशनी डाली, यह बहुत ही दयनीय है । लखनऊ के बारे में, हमें पता है । अभी कुछ दिन पहले राहजनी की घटना मुरादाबाद में साढ़े नौ बजे रात्रि में हुई एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारा और सारा सामान उसका लूट कर ले गये । जो पहले काम कभी नहीं हुआ वह अब हो रहा है । यह तो काम 100-200 साल पहले होता था आज तक कभी नहीं हुआ । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस हालात पर कन्ट्रोल जरूर करिये उस जगह पर आगे भी ऐसे हादसे हो चुके हैं तो इसको देखकर उसको ठीक किया जाय । मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का मौका दिया ।

मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शंख लाल मांझी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए सबसे पहले प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गिट्टी और मिट्टी में काम करने वाले लोगों के चेहरे पर जो आंसू है उसको पोछने के लिए ही नहीं बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कराहट लाने के लिए जो संकल्प लिया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, यह सामान्यतः 3 माह का बजट है और सरकार को काम करते हुए 3 माह हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो काम वर्षों से पड़े हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं उसके पूरे होने की अपेक्षा ये तीन माह के कार्यकाल में ही रखते हैं । मेरा प्रतिपक्ष के नेतागणों से अनुरोध है कि वह पुनर्विचार करें और यह महसूस करें कि जो काम वर्षों से नहीं हो पाये हैं उसको हमारे सम्मानित मुख्य मंत्री मा० मुलायम सिंह यादव जी ने सम्भालते ही, जो वर्षों से प्रदेश में बिजली के लिए हा-हाकार मचा हुआ था और बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी ।

मुख्य मंत्री जी ने जैसे ही सत्ता सम्भाली, गद्दी पर बैठे, ग्रामीणों के लिए 14 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी और इससे ग्रामीण जनता में बहुत उत्साह है । इससे सावित है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, गिट्टी और मिट्टी में काम करने वाले लोगों के हितैषी माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और उन्होंने जो काम किया है वह सराहनीय हैं । मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का क्षेत्रफल आबादी में 16 प्रतिशत और इस प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 31 प्रतिशत लोग हैं । कुल राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पादन का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है और यहां पर जो कुल लोक ऋण है, आज की पुरानी देयता है उसको भी पूरा नहीं किया जा सकता है । कुल राजस्व प्राप्ति का

88 प्रतिशत वेतन पेंशन और ब्याज आदि मदों पर खर्च किया जा रहा है । जो प्रदेश की स्रोतों से आय है उसका 165 से 185 प्रतिशत हो राज्य के सम्पूर्ण व्यय पर जो खर्च आता है उसका 70 प्रतिशत भाग जब इस मद पर खर्च है । ऐसी स्थिति में भी 35.3 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए, 21.3 प्रतिशत एस०सी, एस०टी० समाज के कल्याण की जो योजनायें दी गयी है वह निश्चित ही सराहनीय है और माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है । 7728 करोड़ के बजट में जो मात्र 3 माह का है इसमें मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है । 60 वर्ष से ऊपर के लोग जिनको वृद्ध होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है आंसू पोछने वाला नहीं है ऐसे निर्बल लोगों के लिए 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये देने का प्राविधान किया गया है और इसकी बजट में व्यवस्था की गयी है इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी सराहना के पात्र है उन्होंने इसके लिए 12.62 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया है । मान्यवर, महिला सम्मान और महिलाओं के प्रति जो आदर्श है वह बजट में दिखायी देता है । कन्या विद्या धन योजना की व्यवस्था इस बजट में की गयी है और उसके लिए 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है । यह महिलाओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है । मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि कृषि और उद्योग के बारे में हमारे प्रतिपक्ष के साथीगण बहुत हल्ला कर रहे थे और उत्तर प्रदेश विकास परिषद के गठन पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे थे । मान्यवर, पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी रुपये का निवेश नहीं हुआ, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी की जो सोच थी और उन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश विकास परिषद का गठन किया है । उत्तर प्रदेश विकास परिषद के जो सम्मानित सदस्य हैं, वे उत्तर प्रदेश में निवेश की नई योजानाओं को अपने स्तर से खोज रहे हैं, योजनायें बना रहे हैं, वह निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथीगणों को यह बात भी अच्छी नहीं लग रही हैं यह अत्यन्त खेद की बात है । अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि 30 हजार लघु उद्योगों की स्थापना यह सरकार कैसे करेगी । मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिसके पास दृढ़ संकल्प होता है तो कई बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्य आसान हो जाते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में 30 हजार लघु उद्योगों की स्थापना के इस कदम की सराहना करता हूं । इसी के साथ 4 नये बाई पास और 5 बड़े पुलों को बनवाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, इसके लिये भी हम उनकी सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं ।

मान्यवर, गन्ना किसान की नकदी फसल है और हमारे उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना बेचकर ही अपनी बेटी के हाथ पीले करने की बात सोचता है, इसी प्रकार बरसात में जो उनके घर गिर जाते हैं, उनकी मरम्मत कराने, उनको बनवाने की बात गन्ना बेचकर ही सोचता है, हमारी इस सरकार ने अपने ढाई महीने के शासनकाल में गन्ना किसानों के सही मायनों में आंसू पोछने का काम किया है । हमारे प्रतिपक्ष के भाई अभी तक केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने ढाई महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में 1000 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था करके गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है और किसान को अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सपना साकार करने का काम किया है, अपने घर मरम्मत कराने के सपने को साकार किया है । निश्चित रूप से इसके लिये वह साधुवाद के पात्र हैं ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत बजट के पक्ष में समर्थन देने से पहले इस पूरे सदन के सम्मानित सदस्यों के लिये एक लाभकारी सुझाव देना चाहूंगा । जब ग्रामीण क्षेत्रों में पागल सियार, पागल

कुत्ते या सर्प किसी व्यक्ति को काट लेता है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक के आश्रित लोगों को दैवी आपदा के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिलता है । यह भी सही है कि ज्यादातर गरीब लोग ही इसका शिकार होते हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले गरीब किसान ही इसका शिकार होते हैं । मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि इस बात की व्यवस्था रखी जाय, कि यदि इस प्रकार किसी पागल कुत्ते, पागल सियार या सर्प के काटने से किसी की मौत हो जाय तो उसे दैवी आपदा के अन्तर्गत सहायता दी जाय । मैं समझाता हूं कि पूरे सदन के साथी मेरे इस सुझाव से सहमत होंगे ।

मान्यवर, मैं अपने समाज के बारे में भी एक सुझाव देना चाहूंगा । मैं मांझी, मझुवा समुदाय का व्यक्ति हूं, और आजादी के बाद से पहला व्यक्ति हूं जो इस सदन का सदस्य बन पाया हूं । हमारे समाज में 3 जातियां हैं, मझवार खरवार और जरेहा इनको सन् 55 के पहले से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी जिले में जब अनुसूचित जाति का सर्टीफिकेट देने की बात आती है तो येनकेन प्रकारेण इस लाभ को न देने की साजिश किया जाता रहा है । समाज का सबसे निचले पायदान का व्यक्ति कहे जाने वाले जाति विशेष के ऐसे लोगों का, जो लोग आज सबसे आगे हैं उनके द्वारा एक साजिश के तहत हमारे समाज के लोगों को मिलने वाले लाभों से वंचित करने की कोशिश की जाती रही है । भारत का संविधान एक है और सभी को समान सुविधाएं मिलनी चाहिएं । 16 सूबों में मछुआ समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 3 जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सुविधा दी गयी है । आप सभी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत घर के सदस्य हैं मैं आप सभी को साक्षी मानकर कहना चाहता हूं कि यह मछुआ समुदाय जिसकी व्याख्या आज से नहीं बल्कि रामायण में गोस्वामी तुलसी दास जी ने भी की है, लोक वेद सब भांतिहिं नीचा, जातु छाई छुई लेउं सींचा । अनुसूचित जाति पात्रता के चार मानक होते हैं एजूकेशन, इकोनामिकल, पालिटिकल और सोसल सबको बराबर का दर्जा देने के लिए आरक्षण दिया जाता है । पूरे उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय के लगभग एक करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं और आजादी के बाद से आज तक उनका कुछ विकास नहीं हो सका ।

आज पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर यह लोग एक करोड़ से ज्यादा के है इतनी बड़ी संख्या में कोई भी आई०ए०एस०, आई०पी०एस० नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस समाज की शैक्षिक स्थिति इतनी खराब हो, जिस समाज की राजनैतिक आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो कि उनकी समाज में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए । आरक्षण के चारों मानकों को पूरा करने के बाद भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा मछुआ समुदाय के लोग हैं । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे दबे कुचले लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए । इसके साथ ही मैं अपने समाज व क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं उनसे सदन को अवगत कराना चाहूंगा । मछुआ समुदाय की संख्या करोड़ों में है लेकिन आवास के लिए किसी बस्ती में कोई बिल्डिंग नहीं है । यदि किसी बस्ती में कई सौ मकान हो और कोई भी 10×10 का पक्का कमरा न हो तो उससे पता चलता है कि यह मछुवारों की बस्ती है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मछुआ समुदाय के लोगों के लिए आवास की अतिरिक्त व्यवस्था की मांग करता हूं, ताकि इस गरीब समुदाय के लोगों के आंसू पोंछे जा सकें । हमारे संत कबीर नगर जनपद में एक गन्ना मिल है जो कि पिछले कई सालों से बन्द है । पिछले साल उसके बेइमान मालिक ने गन्ना किसानों को गुमराह किया और उसने मात्र एक महीने की पेराई के

बाद मिल बन्द कर दिया । मिल पर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है । जिससे करोड़ों गन्ना मूल्य व 4 करोड़ रुपये से ज्यादा मजदूरों की मजदूरी ब्काया है । हमारे जनपद के गन्ना किसानों का दुख दूर करने के लिए उनके चहरे पर मुस्कान लाने के लिए, गन्ना मिल मालिक से बकाया गन्ना मूल्य व मजदूरों को उनकी मजदूरी दिलाते हुए मिल चलाया जाय । एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि पिछली बी०जे०पी० की सरकार में हर विधायक को 5 गांव विद्युतीकरण के लिए मिलते थे जिसे पिछले डेढ़ साल से बन्द कर दिया गया है जिससे हम लोगों को अपने क्षेत्रों में जाने पर बड़ी समस्या होती है ।

(इस समय 3 बजकर 05 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जहां भी जाते हैं जनता कुर्ता खींचती है, कहती है कि नेता जी हमारे यहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है । हम लाचार हो जाते हैं और कोई जवाव नहीं दे पाते हैं । मेरा सुझाव है तथा मा० मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध है कि माननीय विधायकों को जो 5 गांव पहले विद्युतीकरण के मिलते थे उसकी व्यवस्था की जाय । मान्यवर, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारे सुझावों पर जरूर आप ध्यान देंगे, वजट का तहेदिल से स्वागत व समर्थन करते हुये अपनी वात समाप्त करता हूं ।

श्री सोबरन सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट पर बोलने का आपने अवसर दिया इसके लिए मैं हदय से आभारी हूं । लम्वे अन्तराल के बाद हुई बरसात ने जहां प्रदेश में नीचे जा रहे वाटर लेबिल को ऊंचे उठाया वहीं पर यह भी पहले से मालूम था कि प्रदेश बीमारियों की चपेट में आ जायेगा । बरसात के बाद डेंगू ने पैर पसारे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन्रोलमेण्ट फीस को 7 रुपये से कम करके । रुपया कर दिया लेकिन उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद में कार्यरत समस्त डाक्टर, वहां पर जो मरीज आ रहे थे उनसे उपेक्षा का व्यवहार कर रहे थे इसी बीच में बहुत से लोगों का निधन आगरा पहुंचते-पहुंचते हो गया और कुछ लोग जो साधन-सम्पन्न थे, बाहर जा करके उपचार करवाये । इसी क्रम में उपाध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूंगा कि मेरे मैनपुरी जनपद के विधान सभा क्षेत्र करहल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो 30 शैय्या का है, वहां पर करहल की आबादी लगभग तीस हजार एवं बहुत बड़े क्षेत्र 4 इण्टर कालेज एक कन्या व एक महाविद्यालय है । विगत 10 वर्षों से एक बी०ए० एम०एस० डाक्टर नियुक्त है । यद्यपि इसमें मुख्य मंत्री जी की को ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता । वहां पर दन्त चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ आंख का डाक्टर तथा एक महिला डाक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए थी परन्तु विगत 10 वर्षों से वहां पर एक बी०ए०एम०एस० डाक्टर उस अस्पताल को देख रहा है । मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप स्वास्थ्य मंत्री को निर्देशित करके उपर्युक्त अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति करवायें । मान्यवर, आपका ध्यान एक दुःखद विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है । आये दिन मैं देखता हूं कि जब कहीं सर्वहारा वर्ग और शोषित वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते हैं, उनके साथ मारपीट होती है । खून से लथपथ फरियादी जब मदद के लिए थाने में जाता है तो अपराध उसे देखकर पंजीकृत होता है लेकिन समाज के सामान्त और बड़े लोग चिकित्सकों से झूठे मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर एक गरीव आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम करवाते है और उस गरीव आदमी को जेल जाना पड़ता है । साधन-सम्पन्नता के कारण उसका कुछ नहीं होता । मेरा माननीय

मुख्य मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध है कि इसमें ऐसी व्यवस्था करें जिससे झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर या फिर मेडिकल रिपोर्ट में हेरा-फेरी करके जो अन्याय गरीबों के साथ होता है उसे रोका जा सके । मान्यवर, कानून-व्यवस्था की बात चल रही थी । मैनपुरी शहर में 21 और 22 नवम्बर, 2003 को वहां के सबसे व्यस्त चौराहे पर तथा पुलिस पिकेट से 100 मीटर की दूरी पर हरपाल वर्मा सर्राफ की दुकान से ताला तोड़ करके 4 कुन्तल वजन की अल्मारी जिसमें 50-60 लाख रुपये के आभूषण थे, उसे चोर उठा ले गये । मान्यवर, उस आलमारी जिसका वजन 4 कुन्टल था मैनपुरी भोगांव रोड पर, आलमारी को खाली करके डाल दिया और आज तक पुलिस, नाकाम रही । व्यापारियों ने धरना दिया किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी । मान्यवर, शायद मा० मुख्य मंत्री को जानकारी न हो लेकिन अपराधियों द्वारा पुलिस थाने नियंत्रित हो रही है । बड़ी बिडम्बना है कि जिसके द्वारा मैनपुरी में गोली चलायी जाती है उसी के खिलाफ रपट न दर्ज करके जिसके ऊपर चलायी जाती है उसी के नाम 307 का मुकदमा पंजीकृत होता है । ऐसा करहल के आशीष यादव प्रकरण में हुआ मान्यवर, मैनपुरी जनपद के करहल कस्बे में घिरोर तिराहे पर कुछ लोगों ने रायफल दिखाकर गरीब एवं भले लोगों की जमीन की नींव को भरकर कब्जा कर लिया मान्यवर गरीब लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है उन्हें कानून और उनकी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाये जाय । मान्यवर, अभी 20-21 अक्टूबर की घटना है बरनाहल थानान्तर्गत एक गांव है गढ़िया बनगवां वहां के श्री विद्याराम पाल के बेटा जो मेधावी और प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी था, होटल मैनेजमेंट का मेरठ में कोर्स कर रहा था । किन्हीं परिस्थितियों में गाजियाबाद में पुल के नीचे गिर गया । उसके हाथ में विद्यालय द्वारा दी गयी पुस्तकें थी, टेलीफोन डायरी थी जिसमें कम से कम 50 लोगों के टेलीफोन अंकित थे, उसके पास आइडेन्टी कार्ड था । सुबह अचेत अवस्था में विद्यार्थी को थाना कर्बीनगर, गाजियाबाद पुलिस ने भर्ती कराया ।

मान्यवर, जब पूरा प्रदेश दीपावली मना रहा था टेलीफोन होने पर सूचना नहीं दी गयी संवेदनशून्य पुलिस द्वारा छात्र के निधन 29 तारीख के बाद डेडबाडी ले जाने के लिए सूचना दी गयी । मान्यवर, मेधावी छात्र के पिता ने लड़के के अनुरोध पर खेत बेंचकर उसकी शिक्षा पर खर्च कर रहे थे । मान्यवर, पिता ने 7 बीघा जमीन बेंचकर पढ़ाया था । मान्यवर, सरकार को निर्देशित करें कि जिन पुलिस कर्मियों ने संवेदनहीनता बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें दण्डित किया जाय और उस गरीब पिता को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाय ।

* श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मा० उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । मा० श्री मुलायम सिंह जी जो करोड़ों दलितों की आवाज है, गरीबों के मसीहा के द्वारा जो बजट रखा गया है हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं । मान्यवर, पहली बार यह प्रदेश की जनता को महसूस हुआ कि आज जो सरकार उत्तर प्रदेश में आयी है वह आम जनता की सरकार है और आम जनता को अपना लगने लगा जो गांव का अन्तिम आदमी है । मान्यवर, गांधी जी ने कहा था कि तभी विकास माना जायेगा जब गांव का अन्तिम आदमी का जीवन सुधरेगा और उसमें परिवर्तन होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज इस सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके द्वारा जो गांवों का गरीब आदमी है, किसान है जो खेतों में मजदूरी करता है, खेतों में हल चलाता है जिसके सर से नीचे की ओर पसीना आता है उसे सरकार द्वारा पेश इस बजट से आज राहत महसूस हुई है, उसे चैन की सांस मिली है कि अब उसका भी बेटा-बेटी जो कभी बीमार पड़ जाते थे, मंहगाई के कारण अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा पाता था, जिसका शोषण होता था जिसको सिर्फ अस्पताल के पर्चे के लिए आठ रुपये खर्च करने पड़ते थे, मेडिकल चार्जेज इतने अधिक थे कि वह गरीब किसान आदमी अपना, अपने बहू-बेटियों और बेटों का इलाज नहीं करा पाता था, जो मां अपने बेटे का इलाज नहीं करा सकती थी, महंगाई के कारण, आज वह चैन की सांस ले रही है । मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में देखा है जहां गरीबों के लिए, किसानों के लिए पेयजल संकट था, बिजली संकट था, जिन्होंने कई पूर्ववर्ती सरकारों से यह आशा लगा रखी थी कि सरकार उनकी मदद करेगी लेकिन पिछले आठ सालों से जो गरीबों और किसानों का बसपा और भाजपा सरकारों ने शोषण किया है उन पर कहर ढाया है आज उससे गांवों की गरीब जनता और किसानों को राहत महसूस हुई है । लेकिन हमारे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अस्पतालों में आठ रुपये के स्थान पर एक रुपये का पर्चा बनाने के आदेश देकर उन लाखों लाख गरीबों और किसानों को लाभ पहुंचाया है ।

माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जो माननीय चौधरी चरण सिंह जी के माननीय डा० राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों का अपनी कार्य प्रणाली में उतार कर गरीबों और किसानों को राहत पहुंचाई है । माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के कारण ही आज गांव का गरीब आदमी और किसान आदमी भी स्वालम्बी बन सकता है । आज इस प्रदेश की सरकार ने गांवों विकास के लिए छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाने की बात की है मैं उसका स्वागत करता हूं और कहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आज गांवों में शौचलय व्यवस्था की और ध्यान दिया है । आज गांवों के गरीबों को, किसानों को यह महसूस हुआ है कि यही उनकी सरकार है जो उन्हें हर तरह से लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है । आज उन्हें यह विश्वास हो गया है कि उनका लड़का-लड़की भी अब बी०ए०, एम०ए० कर सकता है । उन्हें यह लगने लगा है कि यही सरकार ऐसी है जो गांवों के गरीबों और किसानों को पेयजल संकट से मुक्ति दिलायेगी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी । इसी सरकार ने गरीब लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया है । पूर्ववर्ती सरकार के एक माननीय सदस्य है जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की हर बात में खामी निकालते हैं इस समय वह सदन में नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनका नूरमंजिल में इलाज कराया जाय जिसका खर्चा मैं स्वयं दूंगा । आज इस बिगड़े हुए माहौल को प्रदेश में किसने सुधारा है या हम भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं । मान्यवर, यह पूरा प्रदेश जानता है कि इसी हजरतगंज में डकैती पड़ी थी और लूट-मार की घटनाएं हुई पहले थाने को इन्स्ट्रेक्शन दिये जाते थे सरकार की ओर से कि रपट दर्ज न की जाए, थाने में गरीब की रपट नहीं लिखी जाती थी लेकिन आज इस सरकार में आदेश दिए गये हैं कि अपराधों का रिपोर्ट दर्ज की जाए । आंकड़ों की बाजीगरी नहीं दिखाई जा रही है और यदि अपराध हो रहे हैं तो उनकी रपट दर्ज हो रही है । अभी पिछले दिनों माननीय ओम प्रकाश सिंह जी भाषण दे रहे थे जो वरिष्ट सदस्य हैं मैं उनका सम्मान करता हूं । उनके भाषण में कोई तर्क नहीं था केवल घिसी-पिटी बातें कह रहे थे । उन्होंने कहा कि जो विकास परिषद बनाई गयी है उसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा

है । मैं कानपुर में मौजूद था वहां पर समारोह में बड़े-बड़े लोग जो हमारे इलाके हैं और जो डेरी चलाते हैं वह भी आये थे । पहली बार उद्योगपतियों ने सरकार से रिश्ता जोड़ा है और उनमें विश्वास आया है । पहले मुलायम सिंह जी वह जानते थे कि किसानों की बात करते हैं लेकिन उद्योगपतियों को महसूस हो रहा है कि मुलायम सिंह जी किसान, व्यापारियों, दलितों और शोषित लोगों की लड़ाई लड़ने वाले हैं ।

आज कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है बजट का 60 सैकड़ा गांव में खेती पर खर्च किया जा रहा है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । मैं अनुराधा चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जबसे उन्होंने सिंचाई मंत्रालय संभाला है तो नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है । पहले मेरे गांव में 12 साल तक टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन पहली बरतवा मेरे गांव में टेल तक पानी पहुंचा है, जिसके लिए मैं अनुराधा चौधरी को पूरे सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, हमारे इलाके में बलिया में सिकन्दरपुर घाघरा का कटान से प्रभावित है । एक शासनादेश जारी हुआ है कि बंधे और नदी के बीच जो गांव हैं अगर वह कट जाते हैं तो उनको मुआवजा नहीं दिया जायेगा । मान्यवर, यह शासनादेश गलत है, क्योंकि बीच के गांव में तमाम निषाद, मछुआ, केवट, राजभर लोग बसे हुए हैं जिनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं । मेरे वहां 6-7 एकड़ का बगैचा था जो नदी की कटान से नदी में बह गया । मैं चाहता हूं कि यह जो शासनादेश जारी किया है उसमें परिवर्तन किया जाए और बंधा-नदी के बीच में जो गांव हैं यदि वह नदी की कटान से गिर जाते हैं तो लोगों को मुआवजा दिया जाए । हमारे यहां बाबा बाल खण्डी नाव का एक प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर को नेपाल के राजा ने बनवाया था, वह प्राचीन मंदिर नदी की कटान से बुरी तरह प्रभावित है । 20-22 लाख रुपये खर्च करके नदी की कटान से इस प्राचीन मंदिर की सुरक्षा की जाए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राजभर बिरादरी के लोग दलित बिरादरी से भी बुरी जिन्दगी व्यतीत करते हैं । माननीय सुखदेव राजभर इसी समाज के हैं । दलितों की मसीहा कहलाने वाली इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने यह अपनी जबान नहीं खोल सकते थे । इनके समाज के लोग हमसे कहते हैं कि राजभर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए । राजभर समुदाय की पूर्वांचल में बहुत बड़ी बिरादरी है और यह लोग जीवनयापन में दलित से भी बदतर जिन्दगी जी रहे हैं । एक ही झोपड़ी में इनकी जवान बहू बेटे बेटियां रहते हैं । इसी तरह से पुरहा बिरादरी वालों की भी अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाए । इसके अलावा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हर विधायक को 100-100 हैण्ड पम्प दिए जाएं । माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं वह बड़े ही रहकर है मैं जानता हूं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है बसपा के लोगों ने सारा धन चूस लिया है फिर भी मंत्री जी हड्डी में इन्जेक्शन लगाकर हालत सुधारने का प्रयास करेंगे । इनकी सरकार के समय एक रुपया भी समाजवादी पार्टी के एम०एल०ए० को नहीं दिया गया । हम लोग पंचम तल में जाते रहे लेकिन इनकी सरकार ने एक रुपया हम लोगों को नहीं दिया । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब इन लोगों को एक पैसा न दिया जाए व समाजवादी पार्टी व सहयोगी दलों को ही पैसा दिया जाए । व इन लोगों को जो पैसा दिया गया है उसको वापस लिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि नदियों से जो गांव कट रहे हैं उनको रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए । व हमारे यहां बहुत ही प्राचीन मंदिर बाबा बालखण्डी का है । यह

सिकन्दरपुर में है । इसको नेपाल के राजा ने बनवाया था यह भी कट रहा है इसको रोकने का इंतजाम करें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जब रिजवी साहब ने राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही तो सुखदेव राजभर जी को बड़ी पीड़ा हो रही थी ।

श्री सुखदेव राजभर–

हमारी सरकार के समय राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव बना था यह शोध संस्थान में पड़ा हुआ है इसको भारत सरकार को भिजवा दीजिए । वह बहन मायावती ने लिखा था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री सुखदेव राजभर जी जब सरकार में थे तो मायावती जी के कोप के कारण नहीं बोलते थे । लेकिन जब आज रिजवी साहब ने राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है ? उसका विरोध क्यों कर रहे है ? पूरे प्रदेश में राजभर समाज की स्थिति सुखदेव राजभर को छोड़कर अनुसूचित जाति के समान दयनीय है ।

श्री सुखदेव राजभर–

हमारी सरकार में तो राजभर समाज के तीन-तीन मिनिस्टर बनाए गये 12-12 एम०एल०ए० बनाए गए, एम०पी० बनाए गये मैं चुनाव हार गया तो मुझे बहन मायावती ने विधान परिषद् में भेजा । इसको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अक्टूबर में शोध संस्थान को भेजा था । इसको अब भारत सरकार को भेजा जाना है । आपके यहां वह पड़ा हुआ है आप इसको भारत सरकार को भिजवा दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, रिकार्ड करेक्ट करने के लिये मैं यहां पर अनुरोध के तौर पर कह रहा हूं । मैं चुनौती देता हूं कि कार्यवाही निकालकर दिखवा ले कि जब इनकी सरकार थी उस समय कार्यवाही में कहीं भी एक लाइन बता दें कि यह पारित हुआ है । राजभर बिरादरी को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव इनकी सरकार ने किया हो ? मैं चुनौती देना चाहता हूं कि यह विषय कहीं इनकी सरकार में चर्चा में आया हो, यह कार्यवाही में कहीं एक लाइन दिखा दें । आप कह रहे है उस समय तो आप संसदीय कार्य मंत्री थे । आपने कहा कि बहिन मायावती जी ने आपके हार जाने के बाद भी आपको परिषद् का सदस्य बनाया । आपने लेकिन सरकार में रहकर राजभर बिरादरी के लिये क्या किया ? आज जब जियाउद्दीन रिजवी साहब ने इस बात को यहां पर उठाया है तो यह उसका विरोध कर रहे है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मैं माननीय चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने राजभर बिरादरी को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये अक्टूबर माह में इसको शोध संस्थान को पत्र लिखा जिसमें 12 प्वाइन्ट्स थे । इसको आप समाज कल्याण से निकलवा कर देख सकते हैं । इसमें मेरी सरकार ने ही सहमति दी थी । आपसे यही कहूंगा कि यह जो रिपोर्ट आयी है उसको आप भारत सरकार को सन्दर्भित कर दे । इसको हमने अपनी सरकार में भेजा है इसीलिये कह रहा हूं कि हमने राजभर बिरादरी को अनुसूचित जाति में शामिल करवाने के लिये कोशिश किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूं राजभर जी का कि इन्होंने प्रकारान्तर से स्वीकार कर लिया कि इनकी सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया । यह तो शोध करा रहे थे । यह कोई शोध का विषय नहीं था जो शोध संस्थान भेजा गया । राजभर बिरादरी की स्थिति अनुसूचित जाति की अन्य जातियों से कितनी बदतर है इससे इनकी मंशा पता चल गयी है ।

श्री सुखदेव राजभर–

केवल खोखला भाषण देने से काम नहीं चलेगा । इसके लिए कुछ करना होगा ।

श्री राजेश कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और उसमें कुछ सुझाव सम्मिलित किये जाने की मांग करता हूं । छात्रों की फीस मुआफी की बात कही है । मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूल कालेज की व्यवस्था नहीं है तो उनकी फीस को क्या बात कही जाय । लखनऊ जनपद ही नहीं उसके आस पास के जनपदों में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है । मान्यवर, जमुनाबाद फार्म में दो सौ हेक्टेयर भूमि पड़ी है उसमें कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया जाए और उसे बजट में सम्मिलित करके धन का आवंटत किया जाए । दूसरा जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में त्रदायी नाथ और जंगलीनाथ का मंदिर है वहां लाखों श्रद्धालू आते हें वहां का सौन्दर्यीकरण किया जाना चाहिए वहां पर पेन्टेड रोड बनाई जानी चाहिए इसको भी बजट में शामिल किया जाए । पूर्व में विधान सभा क्षेत्र में नगर परिषद् मैलानी है वहां पर रिवाल्विंग खण्ड है जहां की स्थिति जर्जर है रिवाल्विंग प्रखण्ड की फाइल पर धन आवंटन किया जाए । इसी तरह से मान्यवर, दुधवा नेशनल पार्क है वहां जाने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोला से मलानी से कुकरा और भीरा होते हुए बालेगंज का मार्ग है वहां की सड़क बहुत जर्जर स्थिति में है वहां शार्ट कट में दुधवा नेशनल पार्क को जाते है वहां कई लोगों की मारूति वैन मोटर साइकिल राहजनी हो चुकी है वहां पर सड़क के लिए धन आवंटन हेतु प्रस्ताव को बजट में सम्मिलित किया जाए । मैलानी गोला रोड के बीच में संसारपुर से बाकेगंज गांव में जाने के लिए एक किलोमीटर की रोड का प्रस्ताव है वह शासन द्वारा

स्वीकृत है उसके लिए धन आवंटित किया जाए और वहां पर रोड बनवाई जाए । साथ-ही साथ पाँच-पाँच किलोमीटर की सड़क बनाने का प्रस्ताव शासन द्वारा किया गया है जिसका स्टीमेट बना है, खजुआ से सालिबाद का स्टीमेट बना है वहां धन आवंटित किया जाए साथ ही साथ विजुआ ब्लाक में जहां अस्पताल है वहां रामालक्ष्मा जाने के लिए नदी पड़ती है वहां पुल स्वीकृत है वहां पर पुल बनवाया जाए । पुल बन जाने से वहां काफी लोगों को सुविधा होगी बहुत से बीमार लोगों को वहां जाने के लिए 50 किलोमीटर पूरा घूमकर जाना पड़ता है । जिससे बहुत कठिनाई होती है यहां पुल बन जाने से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा ।

श्रीमन् गन्ना किसानों की जहां तक बात है सरकार किसानों का कितना शोषण कर रही है हमारे जनपद में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजाज हिन्दुस्तान दो किलो में गोला पलिया में घटतौली हो रही है आठ-आठ कुन्तल गन्ना एक ट्राली पर पकड़ा गया । प्रबन्ध तंत्र के खिलाफ एफ०आई०आर० लिखी गई है हमारे जनपद के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया है और उसमें सुलह-समझौता भी हुआ है । मैं मांग करता हूं कि गन्ना किसानों के साथ जो घटतौली की गयी है और अब तक जितने लोगों ने पर्ची बेची है उनको प्रति डाली 8-10 कुन्टल के हिसाब से पैसा दिया जाए । इतना ही नहीं, गोला में धान क्रय-केन्द्र नहीं चल रहा है क्योंकि उसका एक कारण है वहां का एक पुराना एस०एम०आई०, पी०के० गुप्ता है, वह राइस मिलो को धान भिजवा रहा है, उनसे पैसा लेकर उनका चावल पास करता है । यह बहुत गम्भीर मामला है, इसको गम्भीरता से लिया जाए क्योंकि वह किसानों से जुड़ा हुआ प्रकरण है । मान्यवर, साथ ही साथ मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, अभी थाना नीमगांव में अभी तक जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन पर एक भी मुकदमा नहीं था, टीपू नामक व्यक्ति पर कई धाराएं लगा कर उसे गैंगेस्टर ऐक्ट लगा दिया गया है । थाना पलिया के अन्तर्गत भी राम चन्दर नामक व्यक्ति के ऊपर 123,116 के साथ ही गुण्डा ऐक्ट लगा दिया गया है, इसकी जांच करा ली जाए । मान्यवर, इतना ही नहीं सभी विधायकों द्वारा 10-10 अम्बेडकर गांवों के प्रस्ताव दिए गये थे, उनके प्रस्तावों पर कुछ कार्य कराया गया था वाकी अधूरे कार्यों को कराया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेश कुमार–

मान्यवर, इतना ही नहीं .....

श्री उपाध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राजेश कुमार–

[ × × × ]

---

[ ××× ] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये वजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । जो बजट होता है वह प्रदेश के विकास की दिशा का द्योतक होता है । जव बजट में उत्त प्रदेश का आर्थिक ढांचा कर्ज के भंवर जाल में फंसा हुआ है तो इसमें कोई नया कर भी नहीं लगा है, घाटे का यह बजट है । उत्तर प्रदेश जिस विशेष परिस्थिति में खड़ा है, इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जिस प्रकार के कडुवे निर्णय और वित्तीय अनुशासन की जरूरत है, उसका परिलक्षण इस बजट में नहीं है । मेरा मुख्य मंत्री जी से कहना है कि उत्तर प्रदेश को कर्ज के भंवर जाल से बचाने के लिए कुछ कटु निर्णय लिए जाने हैं तो लिए जाने चाहिए लेकिन इस बजट में कोई बेहतर नियोजन दृष्टिगत नहीं हो रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 घोषणाएं की थी, मैं उन घोषणाओं को जनहित में मानता हूं, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन जो घाषणाएं उन्होंने की हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जिस धन की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था कहां से होगी, वह बजट में दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है । अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क कम किया गया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो धनराशि इससे प्राप्त होती थी और जिसका उपयोग अस्पतालों को बेहतरी के लिए होता था, वह काम कहां से होगा इसके लिए कोई व्यवस्था बजट में होनी चाहिए थी । जो शुल्क कम किया गया है ऐसा न हो कि इससे जो आर्थिक संकट खड़ा हो उससे अस्पताल अपनी वर्तमान स्थिति में भी न रह पाये । मान्यवर, उसी प्रकार छात्रसंघ के चुनाव की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी । छात्रसंघ के चुनाव विश्वविद्यालयों में तो हो गये लेकिन महाविद्यालयों में स्थानीय प्रशासन और महाविद्यालय के लोगों ने कोई न कोई वहाने वनाकर महाविद्यालय के छात्रसंघ के चुनाव को रोक दिया है । शासन ने घोषणा की थी जो महाविद्यालय चुनाव नहीं करायेगा उसका अनुदान बन्द हो जायेगा । लेकिन उसके बावजूद जिन महाविद्यालयों ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराया है उनके वारे में कोई निर्णय नहीं हो रहा है । इसमें मेरा मत है कि आपके द्वारा घोषित इन घोषणाओं को लागू नहीं किया जा रहा है । इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, 14 घण्टे बिजली की सुविधा देने की बात है । लेकिन उसके लिए 600 करोड़ रुपये का अधिक व्यय आएगा इसकी व्यवस्था कहां से होगी इसके बारे में बजट में नहीं बताया गया है ।

अगर आप एन०टी०पी०सी० या अन्य कहीं से बिजली खरीदेंगे तो जो 600 करोड़ रुपये देना होगा वह कहां से आएगा ? कहीं-कहीं शहरों की बिजली काटकर ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाएगी । अगर शहरों की 9-10 घण्टे बिजली कटौती होगी तो यह चिन्ता का विषय है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए । शिक्षा शुल्क को 1995 के स्तर पर लाया गया यह अच्छा कदम है । शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जनपदों में इन्स्टीट्यूशन खुल गये हैं । वहां गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे भी पढ़ते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो शिक्षण शुल्क में कमी की गयी है कहीं धन की कमी के कारण यह विद्यालय अपने पढ़ाई के स्तर को वनाये रखने में असफल न हो जायें । मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे जाने की स्थिति में नहीं हैं । किसी भी स्थिति में इन प्राइवेट स्कूलों में गरीव और मध्यम वर्ग के वच्चों को आरक्षण दिया जाना चाहिए । मान्यवर, गन्ना किसानों का 900 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और अभी बाकी भी है । मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट चीनी मिल मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं यह भुगतान होना चाहिए । सरकार ने गन्ना किसानों के

भुगतान के लिए 31 अक्टूबर, 2003 की बात कही थी, बढ़ते-बढ़ते दिसम्बर तक आ गया है । अगर सरकार भुगतान जल्दी किये जाने की तरफ कुछ करेगी तो अच्छा कदम होगा । मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नौकरशाही में काम की संस्कृति धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है । जनप्रतिनिधियों के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है उसमें कमी आ रही है । अपनी हनक और धमक के माध्यम से नौकरशाही की उसका विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व और जनता के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व है उसका अहसास और बोध कराने का काम यह सरकार करे तो यह अच्छा कदम होगा और जनता का विश्वास बढ़ेगा । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी विधायक निधि 75 लाख रुपये है । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के विकास की रोशनी अपने क्षेत्रों में पहुचांने के लिए इस निधि को 1 करोड़ करने घर विचार करना चाहिए । उसी प्रकार जो 50 हैण्डपम्प अभी स्वीकृत हैं तो हैण्डपम्पों की संख्या 100 बढ़ाना उचित होगा । मैं यह बात और कहना चाहता हूं कि 5 गांवों के विद्युतीकरण की बात थी । आज मेरा सुझाव है, आज माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस सदन में विराजमान हैं अगर शहरी क्षेत्र के विधायक जिसके क्षेत्र में पांच गांव नहीं आते हैं, उसके क्षेत्र में श्रमिक बस्तियां है, दलित बस्तियां, गरीब बस्तियां है, उसके क्षेत्र में ऐसे कुछ वार्ड जहां पर बिजली के तार नहीं है, स्ट्रीट लाईट के तार नहीं हैं, जहां से होकर खम्भे नहीं जा रहे है, इस तरह की व्यवस्था कराना चाहते हैं, तो नगरीय क्षेत्र के विधायकों को भी कुछ इस तरह की सुविधा मिले । मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरठ में कचरे से बिजली बनाने की योजना सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है और इसके लिए मण्डलायुक्त कानपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी उसने इस पर विचार भी किया था । इसके लिए जमीन का सर्वेक्षण हो चुका है और कचरे का भी सर्वेक्षण हो चुका है और जांच समिति के द्वारा अनुबन्ध-पत्र भी फाइनल हो चुका है अतः मेरा अनुरोध है कि कचरे से बिजली बनाने की योजना शीघ्र लागू की जाय । यदि यह योजना लागू हो गई तो जो बिजली का बजट है उसमें भी कमी आयेगी बीमारियां नहीं होगी । मान्यवर, मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क की स्थापना की घोषणा इस सदन में हुयी थी, उसके लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण तैयार है, मेरा अनुरोध है कि तत्काल उसकी स्थापना कराई जाय । मान्यवर, भोले की झाल गंग नहर पर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय हुआ था यह शिवालखास के जानो ब्लाक में स्थित है और इसके लिए कन्टीजेन्सी से 50 लाख रुपये जारी का शासनादेश हो गया था लेकिन तकनीकी कारण वह उसमें से जारी नहीं हो सकती है, इसलिये वह वापस ले लिया गया था, लेकिन अब बजट से इसकी प्रारम्भिक राशि दी जाकर इसकी योजना पर कार्यवाही होना आवश्यक है । मान्यवर, मेरठ को ज्वैल सिटी बनाने की इस सरकार की नीति हैं । एसाइड योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है, उस पर भी अब कार्यवाही आवश्यक है । मान्यवर, पातापुर कताई मिल बन्द हो रही है और वहां के जिन मजदूरों को वी०आर०एस० नहीं मिला था, अभी वेतन भी नहीं मिला है, उनका 22 माह का वेतन बकाया है, कहा यह गया था कि जब मिल की परिसम्पत्तियां बिकेंगी तब उस राशि से दिया जायेगा इन मिल मजदूरों को वेतन मिल सके तो इसके लिए सरकार परिसम्पत्तियों की अनुमानित राशि में इतनी राशि दे दे जिससे इन मजदूरों का वेतन भुगतान हो सके जिससे यह मजदूर कहीं और जाकर अपना व्यवसाय कर सकें । मान्यवर, सदन में आश्वासन है कि इलाहाबाद में लड़कियों के लिए और मेरठ में लड़कों के लिए स्पोर्ट कालेज की स्थापना की जायेगी । वन विभाग उत्तर प्रदेश से भारत सरकार को प्रस्ताव गया था प्रदेश सरकार से उसे पुनः भारत सरकार को भेज कर वन भूमि प्रत्यावर्तन की

को प्रस्ताव गया था प्रदेश सरकार से उसे पुनः भारत सरकार को भेज कर वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही कर स्वीकृति प्राप्त करती है, जिससे मेरठ में घोषित स्पोर्ट कालेज की स्थापना हो सके । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल प्रतिभागियों के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है । मेरठ में पेयजल की कठिनाई को देखते हुए, तीन ट्यूबवेल, 20 कि०मी० पाइप लाइन, तीन ओवर हेड टैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करें । मैं अपनी बात को विराम देते हुए अन्त में यही कहूंगा कि अगर सरकार इन सुझावों को स्वीकार करती है तो यह बजट अच्छा है नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री परमेश्वर दयाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, जो अल्प बजट माननीय नेता सदन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह बजट अपने आप में किसानों के लिए, दलितों के लिए, छात्रों के लिए, जन हित में उपयोगी है । मान्यवर, इस बजट की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि विश्व में सबसे बड़ा जो हमारा गणतान्त्रिक देश भारत है उसका यह सबसे बड़ा प्रदेश है । हमारा देश और यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है यहां पर 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है इस बजट में जो 70 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान गांवों के विकास पर खर्च के लिए किया गया है इससे सरकार की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है । मान्यवर, गांवों में दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और गरीब विद्यार्थी निवास करते हैं । इस बजट को देखने से लगता है कि उनके हित में यह सरकार काफी गम्भीर है । आज बजट की आलोचनाओं-समालोचनाओं के तौर पर जो विपक्ष की तरफ से सदस्यों की तरफ से आलोचनायें की जा रही थी उस समय सरकार की घोषणाओं की अनदेखी की गयी । मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने गरीबी की जीवन रक्षा के नाम पर जो अस्पतालों में 8 रुपये का पर्चा बनता था उसको एक रुपया कर दिया गया तथा शैय्याओं का जो शुल्क था वह एकदम समाप्त कर दिया गया है इससे गरीब जनता में गांवों में काफी प्रशंसा है ।

मान्यवर, इस देश और प्रदेश की दशा सुधारने के लिए सबसे बड़ी संस्था है शिक्षा । मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा में छात्र को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है । जो हाल में पिछली सरकार ने फीस वृद्धि की थी उससे गरीब किसान का बेटा चाहे वह किसी जाति, लिंग का हो वह पढ़ नहीं पाता था । उनका शैक्षिक शुल्क कम हुआ है, परीक्षा शुल्क कम हुआ है उससे लोगों को राहत मिली है । आज सरकार ने उच्च शिक्षा में फीस की दरों को काफी कम किया है उससे छात्रों को राहत मिली है । और यही शिक्षा समाज के विकास के लिए सबसे बड़ा माध्यम है । मान्यवर, पूर्व में जो सरकार थी वह दलितों के नाम पर सरकार बनी थी और बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर नाम का सहारा लेती रही जबकि बाबा साहब का मूलमंत्र था शिक्षित बनो । उन्हीं बाबा साहब के नाम पर उस सरकार ने लोगों का बेवकूफ बनाने का काम किया और शिक्षा के माध्यम से जो गरीबों को दलितों को आगे बढ़ने का सही माध्यम है, उस पर रोक लगाने का काम किया फीस में वृद्धि करके ।

* श्री अक्षयवर लाल गौड़–

मान्यवर, माननीय सदस्य बार-बार दलित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जबकि 4 तारीख को जब विपक्ष के एक माननीय सदस्य दलित शब्द का उच्चारण कर रहे थे तो सत्तापक्ष की ओर से उसका विरोध किया गया तो क्या सदन में दलित शब्द का प्रयोग प्रतिपक्ष द्वारा गलत है और सत्तापक्ष द्वारा किया जाना सही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें । 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे ।

*श्री परमेश्वर दयाल–

मान्यवर, मैं स्वयं दलित हूं और एक चमार का बेटा हूं । मैं जानता हूं कि बाबा साहब के नाम पर क्या-क्या हुआ ?

मान्यवर, मैं सोनभद्र जिले से आता हूं यहां खनिजों आदि का बहुत बड़ा भू-भाग है जो सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देता है । वहां नक्सलाइट प्रभावित इलाका है मैं वहां के बारे में बताना चाहता हूं । पहले जो वहां फर्जी इन्काउन्टर होते थे वह तो अब बन्द हैं । कृपया एक मिनट का समय और देने का कष्ट करें ताकि मैं.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब कृपया बैठ जाएं, मुख्य मंत्री जी को बोलना है ।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद देते हैं नेता विरोधी दल और अन्य सभी दलों के नेताओं का और माननीय सभी सदस्यों का, जिन्होंने बजट की सामान्य चर्चा में भाग ले करके अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर प्रदेश की समस्याएं भी रखीं और अभी थोड़े समय में ही हमने जो भाषण सुना, महत्वपूर्ण सुझाव थे और जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी जो वास्तविकता है उसका भी चित्रण किया । इसके लिए मैं माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूं । मैं उपस्थित तो नहीं था लेकिन उनका भाषण किसी न किसी अंश तक हमारे पास लिखा हुआ है । लेकिन ज्यादातर माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा । सरकार पूरी तरह से चिन्हित है और प्रयास भी कर रही हैं कि पूरे प्रदेश का विकास हो । संसाधन है नहीं लेकिन हम स्वयं महसूस करते हैं और स्वीकार करते है कि संसाधन कह करके कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती । संसाधन कैसे जुटाया जाय इसकी कोशिश है क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास सर्वोपरि है । कोशिश यह है कि आम लोग, गरीब लोग जो हैं उन पर भार न पड़े इसलिए देरी है सोच समझकर होगा लेकिन हम संसाधन को जुटाने के लिए प्रयत्नशील हैं । जहां तक सामान्य चर्चा हुई है, यह सही है कि सभी ने स्वीकार किया कि बजट छोटा है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तीन माह का है आने वाले बजट में मौका होगा सामान्य चर्चा से लेकर सभी सवालों के उत्तर देने का, और प्रदेश का पूरी तरह से विकास कैसे हो यह पूरा का पूरा बजट बहुत जल्द ही लाने की कोशिश है ।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह दिशाहीन बजट है और विकास के लिए कोई धन का प्राविधान नहीं है, तो माननीय नेता श्री लालजी टण्डन जी से हम कहेंगे कि सरकार के बजट की दिशा स्पष्ट है और पूरी दिखायी देती है ।

(इस समय 4 बजकर 01 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति से लेकर जो प्रथम पंक्ति में खड़ा है उसे महसूस हो रहा है कि हमारे बजट की दिशा और सरकार की दिशा क्या है । सबसे पहले किसान को प्राथमिकता, उद्योग, व्यापारियों के लिए भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है दोनों के रिश्ते जब कायम रहेंगे तभी दोनों सम्पन्न रहेंगे । दोनों का आदान-प्रदान का मौका मिलेगा और प्रदेश विकास करेगा । दूसरी तरफ हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए गम्भीरता से विचार किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आयी है गरीबी की । अगर रोजगार मिले और काम मिले तो बेरोजगारी और बेकारी दूर हो, गरीबी हटे इसके लिए प्रयास है । दूसरे तरफ विकास की जहां तक कमी है हो सकता है गति धीमी हो लेकिन कहीं भी विकास को रोकने की सरकार की मन्शा नहीं है, विकास हो रहा है शुरूआत हो गयी है सीमित संसाधन होते हुए भी । इसके लिए मैं नेता विरोधी दल को आश्वस्त करना चाहता हूं । कि इसकी दिशा स्पष्ट है, जो हमने अपने बजट में रखा है कि 70 फीसदी गांव है विकास के लिये खर्च होगा । पहली बार जब 1989 में हमारी सरकार बनी थी, तब भी 70 फीसदी रखा था, लेकिन उसमें कुछ अन्तर था, तब शहरी लोगों को भी लाभ होता था, जैसे बड़े कालेज हैं, विश्वविद्यालय, उनको भी उसमें शामिल किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है । इस बार जो हैं, वह पूरा गांव के लिये ही है, अभी 70 फीसदी है, इससे ज्यादा अनुमान है । इससे बजट की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और दिशाहीन बजट कहना अनुचित होगा, माननीय नेता विरोधी दल । दूसरी बात आपने उठाई और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि यह जो घोषणायें होती चली जा रही हैं, उसका प्राविधान कहां से होगा । मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे हमने 8 रुपये की जगह अस्पताल में पर्चा एक रुपये का कर दिया । पहले अस्पतालों में भीड़ कम होने लगी थी, लोगों ने अस्पतालों में जाना बन्द कर दिया था । लेकिन अब 3 गुने से 5 गुना अस्पतालों में भीड़ बढ़ गयी है, यह काम गरीबों के हित के लिये हैं, आम आदमी के लिये हैं, इसलिये यदि हमें घाटा भी उठाना पड़ेगा तो वह घाटा भी पूरा किया जायेगा । लेकिन एक रुपये पर्चे की चिन्ता नहीं होनी चाहिए । क्योंकि यह गरीबों के लाभ के लिये है ।

गांधी जी ने भी कहा था कि जब हमारी कलम चले तो यह देख लेना चाहिये कि यह समाज के सबसे अन्तिम व्यक्ति के लिये कुछ जा रहा है कि नहीं ? यही सोच यही दिशा है, इस सरकार के बजट की । जहां तक कुशीनगर की आप लोगों ने बात कही, उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं, वहां आन्दोलन चल रहा था, वहां पर गोली चली थी, हत्या हो गयी थी । इसमें माननीय नेता विरोधी दल की राय थी कि मौके पर दिया जाय, तो उनका आदर करते हुये, उनकी भावना का सम्मान करते हुये मैंने दो लाख कर दिया और जैसे ही सदन खत्म होगा, भले ही किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे आपकी

पार्टी के लोग हो यह पैसा उनको दे दिया जायेगा । इस घटना में जिम्मेदार अधिकारियों को मैंने सजा भी दी है । इन हत्याओं के लिये मैंने दुख भी व्यक्त किया था ।

मान्यवर, अलीगढ़ में श्रीमती शकुन्तला भारती के बारे में जोर दिया गया था । नेता विरोधी दल का सदन में एक सम्मान होता है, आदर होता है । वह विपक्ष को नेतृत्व देते हैं, इसलिये मैंने आपकी भावना का आदर किया और आपकी मांग को स्वीकार किया और उनको छोड़ने के आदेश दे दिया हैं, रासुका हटा दिया है, अब वह जेल से बाहर आ जायेंगी । लेकिन दंगा भड़काने में उनकी अहम भूमिका थी, उनकी भाषा के सम्बन्ध में मैंने आपकी पार्टी के ही लोगों से जानकारी की, आपकी पार्टी के नेताओं ने स्वीकार किया कि उनकी भाषा पर नियंत्रण जरूरी है, आप लोग उनको समझाइये । मैंने छोड़ तो उनको दिया ही है । दिल्ली में आपसे मुलाकात भी हुयी थी, कृपा करके उनको समझाइये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । हमारे भी कुछ लोग यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम उनको अवश्य ठीक करेंगे । इसके अलावा चाहे बनारस हो, आगरा हो, यदि हमारे लोगों ने गलतियां की हैं, तो हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी सहयोग मिलना चाहिये, केवल भड़काने वाला काम नहीं होना चाहिए । जहां तक आपने ओवर ड्राफ्ट की बात कही है, यह कहना कितना गलत है कि सरकार दिवालिया हो गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार दिवालिया नहीं हुई है, सरकार दिवालिया नहीं होती है, हां ओवर-ड्राफ्ट हो जाता है, उसे ठीक कर लेते हैं, कैसे किया जाता है उसके विस्तार में हम नहीं जाना चाहते हैं, आप सभी को पता हैं । हां, जर्जर स्थिति कहें तो ठीक है लेकिन दिवालिया कहना ठीक नहीं है क्योंकि सरकार दिवालिया नहीं होती है । आपको पता है कि जून, 2000 में द्वितीय वित्त आयोग की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दी गयी थी, 29 अगस्त तक कुछ पता नहीं चला कि रिपोर्ट कहां गयी, इसके लिए एक उप समिति बना दी गयी है वह काम देख लेगी । कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत टिप्पणियां हुई हैं अध्यक्ष महोदय, हम लम्बा नहीं खींचना चाहते हैं क्योंकि सरकार लम्बा भाषण देगी तो आप लोग सोचेंगे कि कोई खास बात नहीं है । आपने अच्छे सुझाव दिये हैं, हम उन्हें मानेंगे । लोकतंत्र का निर्वहन हुआ है, हमें खुशी है । प्रदेश है तो सबका हित है इसे हम खुद स्वीकार करते हैं । चाहे पक्ष के सदस्य हों चाहे विपक्ष के हों हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और हितों के लिए ही आप चर्चा करते हैं । जब कोई क्षेत्र की बात करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है । जो अपने क्षेत्र की समस्याएं रखता है और क्षेत्र की समस्याएं हल करा ले जाये तो यह बड़ी उपलब्धि है ।

अध्यक्ष महोदय, अगर पिछले 3 वर्षों के आंकड़े की तुलना की जाय तो जो हमने आदेश किये हैं कि रपट लिखी जाय, पहले रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर लिखी जाती थी एक ऐसी संस्कृति बन गयी थी कि मामूली लोग भी दरख्वास्त दिला करके पैसा वसूल कर लेते थे । हमने आदेश दिये हैं कि रपट लिखी जायेगी उसके बावजूद भी 01 सितम्बर से 15 नवम्बर के बीच में 13 प्रतिशत अपराधों में कमी आयी है । यदि हमारे आंकड़ों में कमी हो तो बतायें हम उसे स्वीकार करेंगे । हां, जिले रह गये हैं यह हम स्वीकार करते हैं लेकिन आम तौर पर अपराध घटे हैं । मुजफ्फरनगर के हमारे साथी मंत्री हैं, हम वहां पर गये थे, वहां पर जनता ने स्वीकार किया है कि वहां पर अपराधों में कमी आयी है और कानून-व्यवस्था सुधरी है । सबसे ज्यादा अशान्ति वहां पर थी । हत्याओं को ले करके अपहरण को ले करके, चोरी को ले करके वहां पर अशान्ति थी, और वहां पर सुधार हुआ है । चार-पांच जगहें ऐसी हैं जो हमारी नजर में हैं और हम जल्दी ही वहां पर सुधार करेंगे । जान-माल की रक्षा करना सरकार का धर्म

है, जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरह से निभायेंगे । कोई भेद-भाव नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी के भी क्षेत्र में समस्याएं न हो चाहे वह पक्ष का हो अथवा विपक्ष का । जब सबका द्वेष दूर हो जायेगा तभी प्रदेश में एक संस्कृति पैदा होगी, यह सरकार का प्रयास है । एक संस्कृति पैदा होगी, उसका प्रयास इस सरकार का है । राजनीतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है उन आदर्शों को जीवित रखने की सरकार की मंशा है । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने तीन मांगे रखी हैं । एक मांग रखी थी माननीय बाजपेयी जी ने भी कहा था कि विधायक निधि जो 75 लाख है उसे 1 करोड़ रुपया कर दिया जाय । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीन महीने का बजट है । अगले बजट में आपकी इस मांग पर विचार कर लेंगे । हम माननीय नेताओं के कुछ कामों में रोक लगाना चाहते हैं और कुछ को प्राथमिकता देना चाहते हैं । मिट्टी के कामों पर हम रोक लगाना चाहते हैं । हमारे विधायकों/सांसदों पर धब्बा लग रहा है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, विचार नहीं इसे स्वीकार कर लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अगली बजट में हम इस मांग को स्वीकार कर लेंगे ।

(पूरे सदन ने मुख्य मंत्री जी की घोषणा का मेजें थपथपाकर स्वागत किया ।)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आप सहमत हैं और 3 महीने बाद बजट से व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं । केवल 3 महीने पहले देना पड़ेगा वह भी 25 लाख रुपये का एक चौथाई । अगर अभी से स्वीकार कर लेंगे तो सदन बहुत आभारी रहेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, सरकार सोच-समझकर कोई बात करती है । अभी थोड़ा संभल लेने दे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, शहरी विधायक को नहीं मिलता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमने दूसरा रास्ता निकाला है । मेरठ प्राथमिकता के आधार पर है । आपने जो योजना चयनित की थी मैंने कोई बदलाव नहीं किया है । जहां तक दूसरी मांग थी कि 5 गांव विद्युतीकरण के लिए प्रत्येक विधायक को दिया जाय, मैं स्वीकार करता हूं और 5 के बजाय ज्यादा की कोशिश करेंगे । शहर के लिए भी हम सोचेंगे । शहर में गलियों में तार लटके रहते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वह गिर पड़ेंगे उसके लिए भी कुछ करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, गाजियाबाद की भी स्थिति खराब है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उधर भी देखा जायेगा ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मान्यवर, आपने 5 गांव विद्युतीकरण के लिए प्रत्येक विधायक को देने की योजना को स्वीकार कर लिया है तो इसे इसी वित्तीय वर्ष से लागू करने की कृपा करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आज से ही लागू । पानी के लिए मांग रहे हैं, शुद्ध पानी तो उपलब्ध होगा ।

(सदन के सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

तीसरी मांग है, 50 हैण्ड पम्प की । .....

(अनेक सदस्यों ने कहा कि 50 नहीं 100 हैण्ड पम्प दिये जाने की मांग थी)

ठीक है, 100 हैण्ड पम्प स्वीकार करता हूं । वह भी अभी से । शहर और ग्रामीण दोनों के लिए ।
(सदन के सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाई ।)

मान्यवर, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा । कुछ नेताओं ने गुण्डाराज की बात कही । मैं कहना चाहता हूं कि गुण्डाराज तो अब समाप्त हुआ है, अब जनता का राज है ।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

मान्यवर, हैण्ड पम्प लगाने के लिए जो 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है, उसे न मांगा जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम ज्यादा तैयार होकर नहीं आये हैं जब वित्त विधेयक पास होगा तो बात कर लेंगे । मान्यवर, जो कहा गया है कि भ्रष्टाचार, हत्या आदि मामलों में रपट नहीं दर्ज की जा रही है, बचाव किया जा रहा है कभी किसी का बचाव नहीं किया जायेगा और जो कहा जा रहा है कि रोक रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है । यह हमारे प्रदेश के सम्मान के लिए है, हमारे सार्वजतिक जीवन में सबके लिए सम्मान की बात है जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी । अभी यह भी कहा गया है कि लोक निधि पर रोक लगा दी गयी है ऐसा नहीं है कुछ की समीक्षा की गयी थी और ऐसा नहीं था कि कुछ विशेष विधायकों को दिया जा रहा है इसीलिये मैंने कहा ठीक है उसकी समीक्षा की गई और अब रोक नहीं लगेगी सबको दिया जायेगा ।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी–

मा० मुख्य मंत्री जी इस मद में मायावती के शासन काल में हम लोगों को एक रुपया भी नहीं दिया गया था इस बार हम लोगों को दिया जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम ऐसा नहीं करेंगे । मान्यवर, धारा 3/7 की बात कहीं गयी है । धारा 3/7 की जो हमारे जीवन की आवश्यक चीजें हैं उनकी जो कालाबाजारी आज करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । जो सम्मानजनक ढंग से काम करते हैं । जो लोग ऐसे नहीं हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । जो व्यापारी गलत काम करते हैं उनके कारण अच्छे लोगों की भी बदनामी होती है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, 3/7 धारा लागू करेंगे । संविधान में दिये गये मूल अधिकारों का हनन है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० सदस्य कोई शिकायत हो, तो कर दें उसको हम देख लेंगे । इसी प्रकार अयोध्या प्रसाद पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गयी है । उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है । मान्यवर, जहां तक इन्होंने सिंचाई व्यवस्था की बात की है तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने सिंचाई व्यवस्था को प्रमुखता दी है और चौधरी चरण सिंह सिंचाई योजना इसको नाम दिया गया है । मुझे यह विश्वास है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किया जायेगा । जहां तक आपने इसे आसानी से हर जगह लागू होगी कि नहीं, ये कहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा और न ही कोई भेद-भाव इसमें किया जाएगा और इसे हर जगह बराबर समानता के साथ लागू किया जाएगा । इसे लागू करने में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी । मान्यवर, रही बात गांवों में चौदह घण्टे बिजली देने की तो मैं कहना चाहूंगा कि हर गांव में चौदह घण्टे बिजली निरन्तर दी जाएगी । इसके लिए जो नीति बनी है, उसे अभी आपके सामने रखा जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी, उससे बिजली चोरी भी नहीं हो सकेगी । मुझे इस बात से गौरव की अनुभूति होती है, मैंने देखा है आज सीमाओं से हमारे सैनिकों की लाशें आ रही है । उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है ऐसा नहीं है, आज जो शहीद हो रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए जिनकी उम्र 18-20 साल है वे देश पर शहीद हो गए हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए । जो ऐसे शहीद है उनके चालीस गांवों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा । पहले की सरकारों की तरह हम झूठी घोषणाएं नहीं करेंगे । मान्यवर, मुझे इस सदन में और भी बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं मैं उनका सम्मान करता हूं और आपको इस सम्मानित सदन में यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया जाएगा । आपके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का हम सम्मान करते हैं । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)**

* कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,98,05,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ और कहेंगे या सीधे कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करवा दें ।

कटौती का प्रस्ताव रखें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, एक साथ मतदान करा दे ।

श्री अध्यक्ष–

एक-एक में ज्यादा सुविधा रहेगी और समय भी कोई ज्यादा नहीं लगेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,98,05,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय

लेखानुदान द्वारा सवीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,62,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि सवीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव रखें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करत हूं कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,62,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,30,19,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव रखें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य- विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दीजिए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,30,19,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,43,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायं ।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,43,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–51– राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)**

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,35,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,35,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–52– राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथ अन्य व्यय)**

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,15,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें ?

डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,15,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग**

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,40,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जब यह लोग आबकारी विभाग के बजट पर कटौती रखते हैं तो यह उचित नहीं लगता क्योंकि आबकारी से इनका बहुत पुराना नाता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

इसीलिए तो कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,40,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)**

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,23,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,23,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)**

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती कुसुम राय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,45,12,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,45,12,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन)**

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती कुसुम राय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,67,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,67,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)**

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती कुसुम राय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधनसेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,74,54,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,74,54,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)**

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती कुसुम राय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,08,91,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभार्गाय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़क ) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,08,91,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,77,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,77,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,19,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं०–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचन करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं०–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,19,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

खेलकूद, युवा कल्याण मंत्री (श्री आर०के०चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,71,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान

एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,71,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)**

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,70,51,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं०–93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं०–93– सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हेने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–93– सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,70,51,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक मे अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)**

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,40,53,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं०–94– सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं०–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,40,53,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,13,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य काटौती का प्रस्ताव रखें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,13,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)**

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिह राना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,88,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्याोग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,88.96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)**

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,00,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,00,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

भूतत्व एवं खनिकर्म (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए अवाश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,57,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,57,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक मे अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)**

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,38,79,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,38,79,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 को आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)**

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,45,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,45,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,25,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,25,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवम् श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए अवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ₹5,33,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नेता विरोधी दल(श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, जब कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसमें उद्देश्य दिखाया जाता है। उसमें लिखा जाता है विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। लेकिन उसका यहां कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। सामान्य रूप से बातें यहां पहले चर्चित हो चुकी हैं। सारी मदें पहले ही पेश कर दी गयी हैं। जो यह प्रक्रिया हो रही है वह अच्छी नहीं लग रही है। जब कटौती पेश करने वाला सदस्य कटौती पर कुछ कहें ही नहीं तब उसका कोई औचित्य नहीं है। वैसे फिर उसमें सारी मदों को एक साथ पारित करा लें।

श्री अध्यक्ष–

यह तो और खराब बात होगी। तब यह बात आयेगी कभी कि किसी विभाग की अनुदान मांगें प्रस्तुत करते समय कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं हुआ। जिस विभाग की मांग होगी उसके तुरन्त बाद कटौती प्रस्तुत होगी। कटौती के प्रस्ताव पर कोई बोलना ही नहीं चाहता है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मान्यवर, जब सरकार का उस बजट पर कोई पक्ष आयेगा तभी तो कटौती में भी बात आयेगी।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, बजट साहित्य भी समय से हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। कटौती तो 48 घण्टे पहले प्रस्तुत होती है। कौन से विभाग की अनुदान की मांगें किस दिन ली जायेगी यह आज सुबह ही पता चला। आज ही अनुदान की मांगें हैं आज ही कटौती प्रस्तुत करनी है। सरकार भी बजट पर कुछ बोलकर नहीं आ रही है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

बिना पता लगाये ही कैसे कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जिस दिन सदन प्रारम्भ हुआ था हमने कहा था कि बजट की बहस को उसकी अवधि को बढ़ा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन प्रक्रिया जो है उसमें एक-एक करके ही कटौती प्रस्तुत होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 मार्च, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,33,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)**

माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री (श्री मानपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,24,52,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,24,52,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73– शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,39,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73– शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,39,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,29,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,29,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग**

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,13,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,13,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग**

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 96,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 96,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## मुख्य मंत्री द्वारा नई ऊर्जा, गन्ना तथा ग्राम्य विकास नीति की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ घोषणा करना चाहते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से नई ऊर्जा नीति की हम घोषणा सदन में करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी देश प्रदेश और क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिये बिजली एक धुरी के रूप में काम करती है और इसके बिना विकास संभव नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये खेती के लिये, उद्योग के लिए विद्युत अत्यन्त महत्वपूर्ण है और बिना इसके किसानों का विकास संभव नहीं है । आप सभी अवगत हैं कि ऊर्जा के मामले में प्रदेश में स्थिति भयावह हो चुकी है । पूरा तंत्र बुरी तरह जर्जर एवं खोखला हो चुका है । पूरे प्रदेश में जगह-जगह विद्युत की कटौती हो रही है और अनेक उद्योग धन्धे बिजली की कमी से चौपट हो चुके हैं । इसके अतिरिक्त कुप्रबन्धन के कारण कम से कम 30 से 40 प्रतिशत बिजली की चोरी हो रही है । इस समस्या पर हमारी सरकार ने बहुत गम्भीरता से विचार किया है । प्रदेश की वित्तीय स्थिति अत्यन्त असंतुलित है । इस वित्तीय वर्ष का जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है, उसमें राजस्व घाटा रु० 7000 करोड़ के ऊपर तथा राजकोषीय घाटा 13000 करोड़ रु० से अधिक दर्शाया गया है । इसके अलावा एक लाख करोड़ रु० से अधिक का कर्जा भी है । ऐसी स्थिति में अपने संसाधनों से ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिये जो हजारों करोड़ों रुपये का पूंजी निवेश चाहिये वह राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधन से संभव नहीं है । इस अत्यन्त विषम स्थित को देखते हुये मेरी सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि हमें नये सिरे से ऊर्जा नीति बनाकर कार्य करना होगा और इसीलिये नई ऊर्जा नीति में सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ।

नीति प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सबको यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस नीति को प्रदेश की जनता की जरूरतों और विकास की आवश्यकता को देखते हुये बनाया गया है न कि किसी विशेष उद्योगपति के लाभ के लिये ।

प्रदेश में ऊर्जा की उपलब्धता तथा आपूर्ति की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग के 35000 करोड़ रुपये के पिछले घाटों का भुगतान किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा 2150 हजार करोड़ रुपये की धनराशि राजस्व मद में भी दी जा रही है । प्रदेश में वर्ष 1995 के बाद किसी भी नये विद्युत गृह की स्थापना नहीं हुई है और 44000 गांवों में अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है ।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिये नई परियोजनाओं की स्थापना, पारेषण एवं वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण आवश्यक है । लेकिन यह कार्य करने के लिये काफी बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता है । साथ ही प्रबन्धकीय कौशल में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं के

दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाने की आवश्यव ता है । चूंकि राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधन बहुत सीमित है अतः ऊर्जा क्षेत्र में मूलभूत सुधार हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक हो गई है । इस दृष्टिकोण से नई ऊर्जा नीति में गैर सरकारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये बहुआयामी व्यवस्था की गई है ।

**उद्देश्य**

सामाजिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के लिये भरोसेमन्द, गुणात्मक एवं उचित दर पर विद्युत की उपलब्धता ।

नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की उपयुक्त कार्य योजना के माध्यम से उपलब्ध उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग ।

विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की क्षमता में विस्तार ।

विद्युत अधिनियम–2003 के द्वारा उपलब्ध कराये गये विशिष्ट अवसर का उपयोग करते हुये एक अति आधुनिक एवं कुशल विद्युत व्यापार इकाई का गठन ।

प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो, इसके लिये उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार एवं नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य में गैर सरकारी भागीदारी को बढ़ावा तथा सभी गांवों का विद्युतीकरण एवं स्थानीय विद्युत उत्पादकों को भी बढ़ावा ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य में विद्युत उत्पादन, पुरानी परियोजनाओं के नवीनीकरण पारेषण एवं वितरण की परियोजनायें स्थापित करने वाले निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जायेगी :–

**नयी सुविधायें**

रु० 100 करोड़ से रु० 1500 करोड़ तक पूंजीगत निवेश की योजनाओं हेतु परियोजना की निर्माणाधीन अवधि तथा परियोजना पूरी होने के पश्चात् आगे के सात वर्षों में देय व्यापार कर तथा प्रवेश कर की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी जिसका भुगतान वाणिज्यिक परिचालन तिथि के 07 वर्षों के बाद प्रारम्भ होगा तथा अगले 07 वर्षों में यह भुगतान निवेशक द्वारा किया जायेगा ।

रु० 1500 करोड़ से ऊपर की पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के लिये परियोजना की निर्माण अवधि तथा परियोजना पूरी होने के 12 वर्ष बाद तक देय व्यापार कर एवं प्रवेश कर के समतुल्य धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में दी जायेगी । इस ऋण का भुगतान वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के 12 वर्ष बाद प्रारम्भ होकर अगले 12 वर्ष में निवेशक द्वारा किया जायेगा ।

परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिग्रहण शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी ।

यदि परियोजना हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध होगी तो वह 99 वर्ष के पट्टे पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा भूमि के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा । केवल रु० 100 प्रति एकड़ के हिसाब से लीज रेण्ट लिया जायेगा ।

परियोजना के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधायें जैसे सड़क, पुल तथा जली संसाधनों की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

राज्य सरकार द्वारा वितरण, पारेषण पुरानी परियोजनाओं का जीर्णोद्धार एवं नई परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जायेगा ।

पुराने ऊर्जा उत्पादन गृहों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा पुराने संयंत्रों को पट्टे पर देने तथा प्रबन्धन अनुबन्ध के आधार पर परियोजना को निजी निवेशकों को हस्तान्तरित करने की व्यवस्था है ।

राज्य सरकार द्वारा संयुक्त क्षेत्र में एक विद्युत व्यापार कम्पनी की स्थापना की जायेगी ।

राज्य पारेषण इकाई एवं विद्युत भार पारेषण केन्द्र राज्य सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करेंगे ।

**ग्रामीण विद्युतीकरण**

प्रदेश में अभी भी लगभग 40000 से ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है । प्रदेश सरकार द्वारा इस ऊर्जा नीति की (2009तक) अवधि में उक्त सभी गांवों का विद्युतीकरण करने का संकल्प लिया गया है । इस कार्य पर लगभग रु० 3000 करोड़ का व्यय होगा ।

**कर्मचारी हित**

ऊर्जा सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ होने के समय से ही राज्य सरकार कर्मचारी हितों के प्रति सदैव जागरूक रही है तथा विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन के बावजूद कभी भी कर्मचारी हितों की अनदेखी नही की गयी । हमारी सरकार द्वारा नई ऊर्जा नीति में भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गयी है । मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के कार्मिकों की पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सामान्य भविष्य निधि के भुगतान के लिए रु० 600 करोड़ प्रति वर्ष के दायित्व अपने ऊपर लिए गए हैं । विद्युत क्षेत्र के कार्मिकों के सेवा निवृत्तिक लाभों के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा की जा रही है । आगे भी यह व्यवस्था जारी रहेगी ।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि नई ऊर्जा नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करते समय निविदा पर आधारित निष्पक्ष व्यवस्था अपनाई जायेगी तथा निजी निवेशकों को ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए योजनाएं लेनी होगी । निजी निवेश के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करते समय राज्य की जनता एवं सामाजिक हित सर्वोपरि होगा ।

मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मानित सदन के समस्त सदस्यगण देश के उद्योगपति, जनता तथा सभी अन्य जनप्रतिनिधि इस ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।

मुझे पूरी आशा है कि इस नीति से माननीय सदन सहमत होगा ।

(मा० नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए उसके बाद आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश चीनी निगम की 24 मिलों को पट्टे पर दिये जाने के नीतिगत विषय पर मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने का औचित्य क्या है । उत्तर प्रदेश में हमारी 70 प्रतिशत से अधिक जनता कृषि में लगी है और कृषि में गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है । गन्ना और चीनी का विकास आपस में एक गाड़ी के दो पहियों के समान जुड़ा है, इसीलिए जब तक प्रदेश की चीनी मिले लाभप्रद रूप में नहीं चलेगी तब तक किसान को भी फायदा नहीं मिल पायेगा । हमारी सरकार ने आते ही गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे समीक्षा की और यह पाया कि

उत्तर प्रदेश चीनी निगम की बीमार इकाइयों की वजह से किसानों को न तो गन्ना मूल्य का भुगतान हो पा रहा है और न ही उनके पूरे गन्ने की पेराई हो पा रही है इन बीमारी चीनी मिलों में रु० 1909 करोड़ का संचित घाटा हो चुका है, जिसमें पिछले वर्ष का रु० 198 करोड़ का घाटा शामिल है। इन मिलों पर रु० 1200 करोड़ की देनदारियां हो चुकी हैं और इनकी गन्ना पेराई क्षमता में हर वर्ष कमी होती जा रही है, जिसके कारण गन्ना किसानों को अपना गन्ना बेचने में कठिनाई हो रही है। समीक्षा में यह भी उभर कर आया कि जो 24 बीमार इकाइयां है वह आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के बिना चल नहीं सकती हैं और इसके लिए 900 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में यह चीनी मिलें बी०आई०एफ०आर० (औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद्) से संदर्भित होकर बन्द होने की कगार पर पहुंच रही थीं। इन मिलों को चलाने के लिए सरकारी कोष से जो करोड़ों रुपये व्यय किये जा रहे थे वह सड़क, पेयजल स्कूल आदि में भली प्रकार इस्तेमाल किये जा सकते थे। अतः सरकार के पास कोई विकल्प न होने के कारण यह निर्णय लेना पड़ा कि इन 24 बीमार इकाइयों को खुली निविदायें आमंत्रित करके 30 वर्ष के पट्टे पर दे दिया जाय, क्योंकि यह सभी मिलें कुप्रबन्ध की शिकार हैं। मैं उपर्युक्त निर्णय के बारे में माननीय सदन के समक्ष सभी तथ्यों को रखना चाहता हूं।

### 1-पट्टे पर दिये जाने वाली सुविधाएं

पट्टे पर निजी क्षेत्र में इन मिलों को सौंपने के साथ-साथ किसानों के हित के लिए हमारी सरकार ने कुछ शर्तें भी लगायी हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त यह थी कि जितने गन्ने की अभी पेराई हो रही है उसमें कोई कमी न होने पाये और 5 वर्ष बाद कम से कम तीन गुना पेराई हो। इससे प्रदेश में और अधिक गन्ना किसानों का गन्ना चीनी मिलों में जायेगा। वर्तमान में 44 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों में जाता है। साथ ही जितनी बन्द मिलें हैं उनको 3 वर्ष में चालू कर दिया जाय।

सभी चीनी मिलों को एक साथ पट्टे पर दिये जाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो जो अच्छी चीनी मिले है उनको तो उद्योगपति ले लेगे परन्तु जो खराब हालत में है तथा बन्द हैं उन्हें नहीं लेंगे जिससे कि उस क्षेत्र के गन्ना किसानों के साथ अन्याय होगा और उन्हें नुकसान होगा।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इन चीनी मिलों को मात्र पट्टे पर दिया जा रहा है जबकि इन पर स्वामित्व चीनी निगम का बना रहेगा।

इन चीनी मिलों पर जो भी देनदारियां हैं वह ब्याज रहित रूप में इन मिलों के पट्टेदारों को वापस करनी होगी और यह धन प्रदेश के विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा।

### 2–निष्पक्ष प्रक्रिया

इन बीमार चीनी मिलों को पट्टे पर सौंपने की जो प्रक्रिया अपनाई गयी है वह पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है और इस सारी प्रक्रिया को केन्द्रीय सर्तकता आयोग की टिप्पणी के लिए संदर्भित किया जा चुका है।

टेण्डर प्राप्त होने पर जो भी सबसे अच्छा आफर देगा उसी को ये मिलें पट्टे पर दी जायेगी।

### 3–चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा

किसी भी मिल के नियमित कर्मचारी की कोई छटनी नहीं की जायेगी और जो कर्मचारी सेवा करना नहीं चाहेंगे उन्हें निगम द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जायेगा। इस प्रकार से कर्मचारियों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

अन्त में मैं मा० सदन से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने गन्ना किसानों के हित के लिए जो सकारात्मक कदम उठाये हैं वह प्रदेश के हित में हैं और इन कदमों से न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक ससाधन प्राप्त होगे । मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने दी जायेगी ।

मुझे पूरी आशा है कि सरकार की इस नीति से माननीय सदन अवश्य सहमत होगा ।

## नई शहरी विकास नीति

### 1–औचित्य

हमारा भी यह मानना है और यह सही भी है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है । हमें इन बेरोजगारों को रोजगार के साधन मुहैया कराने हैं । हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत से अधिक जनता खेती पर निर्भर है, परन्तु उससे पूरा रोजगार बिल्कुल संभव नहीं है इसके लिए हमें नये उद्योगों को इस प्रदेश में लाना होगा । नये उद्योगों को लाने के लिए हमारे पास जो मूलभूत ढांचे हैं, जैसे सड़क, बिजली, नगरीय व्यवस्था आदि, उसमें सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है । हमारी सरकार ने इसीलिए उद्योगों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए "हाई-टेक-टाउनशिप" विकसित करने की नीति तैयार की है । इस नीति से हम बड़े पैमाने पर अच्छी और सुविकसित नगरीय व्यवस्था देंगे क्योंकि अच्छी नगरीय सुविधा दिये बिना प्रदेश में पर्याप्त औद्योगिक पूंजीनिवेश नहीं हो सकता । मैं इस नीति को माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

### 2–नीति के अन्तर्गत सुविधाएं

हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नगरों के विकास के लिए वृहद् स्तर पर पूंजीनिवेश हो, क्योंकि इस पूंजी निवेश से न केवल एक आधुनिक नगर का विकास होगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार के साधन भी स्वतः सृजित होंगे । हमारी सरकार ने इसमें निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया है और यह शर्त रखी है कि जो भी प्रदेश में पूंजी निवेश करे, वह कम से कम 1500 एकड़ भूमि का विकास कर न्यूनतम रु० 750.00 करोड़ का पूंजी निवेश करे ताकि प्रदेश में ऐसे विकासकर्ता आये जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वास्तव में विकास सुनिश्चत कर सकेंगे । विकासकर्ता अनुभवी हो, इसके लिए हमने यह तय किया है कि उसका वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रु० 100 करोड़ का होना चाहिए ।

विकासकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से आफर आमंत्रित किये गये हैं और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो विकासकर्ताओं का चयन करेगी ।

### 3–अन्य सुविधाएं

हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बड़े पैमाने पर शहरी विकास सुनियोजित ढंग से इस प्रकार किया जाय कि सरकार की भूमिका सुविधा प्रदायक के रूप में हो और भूमि की व्यवस्था के लिए यथा संभव समझौते के आधार पर क्रय कर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी । भूमि का पूरा मूल्य, चाहे वह भविष्य में न्यायालय के आधार पर बढ़े, विकासकर्ता को भी देना होगा । शहरी विकास कार्य तेजी से कराने के लिए हमने कुछ रियायतें भी दी हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:–

1–यदि भूमि अर्जन के माध्यम से देनी पड़ेगी तो 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क की छूट विकासकर्ता को दी जायेगी ।

2–विकासकर्ता कम्पनी को भूमि स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त दी जायेगी, परन्तु विकास के पश्चात् कम्पनी द्वारा जो भूमि बेची जायेगी, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगायी जायेगी और फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने पर 12 प्रतिशत शुल्क सरकार को मिलेगा ।

3–विकासकर्ता को पूरे शहर का नियोजन इस प्रकार से करना होगा कि वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हों ।

4–विकासकर्ता द्वारा पूरे शहर का विकास स्वयं किया जायेगा । शहर से जुड़ने वाली सुविधाओं में आवश्यक व्यय उसे देना होगा । इसके अतिरिक्त सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी । विकास के अन्य मानक/शर्तों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

**नीति के लाभ–**

शहरो का विकास ग्रामीण विकास का विरोधी नहीं है बल्कि एक प्रेरक के रूप में होता है क्योंकि रोजगार पाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत से लोग शहरों मे आते हैं । यदि हम शहरी विकास की नींव ठोस रूप में नहीं रखेंगे तो कुछ समय पश्चात् ही शहरों में बड़ी-बड़ी मलिन बस्तियां बनने लगेंगी और वर्तमान ढांचा चरमरा जायेगा । यह भी बताना चाहूंगा कि यदि हम तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठायेंगे तो शहरों की अत्यधिक दुदर्शा हो जायेगी । मैं सबको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने अपनी नीतियों में ऐसा प्राविधान रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है । नगरीय विकास चूंकि प्रदेश के सम्पूर्ण औद्योगिक विकास की एक धुरी है, अतः इस क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित होने से अन्य क्षेत्रों जैसे पर्यटन, शिक्षा, उद्योग आदि के क्षेत्र में स्वतः विकास को बढ़ावा मिलेगा ।

मैं आपको यह भी आश्वासन देना चाहूंगा कि राज्य सरकार स्वयं भी अपने संसाधनों से यथा संभव नगरीय विकास के लिए कदम उठा रही है, जिसमें सबसे अधिक कटिबद्धता दुर्बल वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए है । इस वर्ष हमने 65 प्रतिशत इकाइयों का निर्माण दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिए सुरक्षित किया है । मुझे पूरी आशा है कि उपर्युक्त नीति से यह मानवीय सदन सहमत होगा ।

**समग्र ग्राम्य विकास योजना**

देश तथा प्रदेश का विकास प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है । प्रदेश के गांवों की गरीबी से पूरा सदन भली-भांति अवगत है । इसीलिए उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस सम्मानित सदन में प्रत्येक सदस्य सहमत होगे कि कल्याणकारी प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम्य विकास की होनी चाहिए । वैसे तो वर्ष 1990 से ही हमारी सरकार द्वारा ग्राम्य विकास की योजनायें बनायी गयी थी और उस समय यह नारा दिया गया था "चलो गांव की ओर" और विकास कार्यों का 70 प्रतिशत धन गांवों के लिए आरक्षित करना शुरु किया गया था ।

हमारी सरकार ने ग्राम्य विकास योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त यह आवश्यक पाया कि प्रदेश में समग्र विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाय जिसमें मा० विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों की भी भागीदारी एवं वचनबद्धता उतनी ही हो जितनी प्रदेश सरकार की है । इसीलिए इस योजना में ग्रामों का चयन भी मा० सदस्य विधान सभा एवं मा० सदस्य विधान परिषद् के द्वारा ही कराया जायेगा ।

हमारी सरकार द्वारा समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों को शामिल किया जायेगा :–

1–स्वच्छ पेयजल

2–इन्दिरा आवास

3–स्वच्छ शौचालय निर्माण

4–सम्पर्क मार्ग निर्माण

5–ग्रामों का विद्युतीकरण

6–नाली/खड़न्जे का निर्माण

7–प्राइमरी पाठशाला की स्थापना/भवन निर्माण

8–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

9–निःशुल्क बोरिंग

10–वृद्धावस्था पेंशन

11–विधवा पेंशन

12–उच्च प्राथमिक पाठशाल की स्थापना/भवन निर्माण

13–कृषि भूमि, सीलिंग से सरप्लस भूमि, आवास स्थल, मछली पालन स्थल तथा कुम्हारी कला हेतु स्थल का आवंटन तथा पट्टे पर दी गयी भूमि के कब्जे का सत्यापन ।

14–विकलांग पेंशन तथा उपकरण सहायता योजना

15–परिवार कल्याण

16–टीकाकरण ।

उक्त योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक मा० सदस्य विधान सभा एवं मा० सदस्य विधान परिषद् द्वारा 10-10 ग्राम चयनित किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों के सैनिक शहीद होते हैं उन ग्रामों को भी समग्र ग्राम्य विकास योजना में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

हमारी सरकार का अनुरोध है कि प्रत्येक मा० विधायक ग्रामों का चयन करते समय इस बात को अपने विवेक में अवश्य रखेंगे कि ग्रामों का चयन जाति एवं धर्म के आधार पर न किया जाय बल्कि इस तरह से किया जाय कि प्रदेश में सभी जातियों/सभी वर्गों/सभी धर्मों विशेषकर गरीब तथा अन्त्योदय के परिवारों को प्राथमिकता मिले ।

मैं आशा करता हूं कि उपर्युक्त नीति से माननीय सदन अवश्य सहमत होगा ।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, विद्युत के बारे में जो ऊर्जा नीति अभी मा० मुख्य मंत्री जी ने बताया है सिद्धान्ततः उसमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न जरूर है । पूंजीनिवेश के बारे में कोई जल्दबाजी न उठायें नहीं तो इसका परिणाम आगे भुगतना होगा । क्योंकि हमारा अनुभव रहा है कि शायद देश में पहले यह प्रयोग मैंने किया था नोयडा पावर हाउस है एक प्रयोग किया था । पूरा काम दे दिया गया था । अब लेकिन क्या मिला राज्य को । इस तरह जो पावर हाउसेज हैं उनमें भी यह प्रयोग किया गया लेकिन वह सफल नहीं हुआ । मान्यवर, 1992 में विष्णु प्रयाग योजना में भी यही नीति अपनाई गयी और उसके बाद मनेरीभाली में भी यही प्रयोग किया गया लेकिन उससे हमें आज तक एक यूनिट भी बिजली नहीं मिल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकी । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में वितरण के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया और उससे लोगो ने न जाने कितना पैसा बना लिया और अब यह योजना भगवान के सहारे है । उससे कोई विवरण नहीं किया जा रहा है । मैं निजी क्षेत्रों की पूंजी निवेश के लिए स्वागत करता हूं लेकिन कानपुर के लिए इन्होंने जो योजना बनाई है उसमें भी इन्होंने कानपुर देहात को छोड़ दिया है । यह कानपुर देहात को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, कानपुर एक औद्योगिक शहर है कानपुर में औद्योगिक बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है ।

मान्यवर, कानपुर के गांवों मे दी जाने वाली बिजली के लिए सब्सिडी कौन देगा ? मान्यवर, आखिर कानपुर के गांवों में दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी सरकार को ही देनी पड़ेगी । मान्यवर, इसी तरह से बहुत से शहर हैं जहां पर निजी बिजली कम्पनियां हैं लेकिन उनकी दशा अत्यन्त खराब है । लगातार घाटा हो रहा है, आगे माफी की गुन्जाइश नहीं है । इससे सावधान रहना होगा । मैं कोई नीतिगत विरोध नहीं कर रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर यह सब कह रहा हूं आपको सचेत कर रहा हूं । मान्यवर, यह दोधारी तलवार है जो हमारे सिर पर लटक रही है इसीलिए मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन पक्षों पर भी विचार कर लें कि कहीं इससे लो-प्राफिट तो नहीं होने वाला है । मान्यवर, अगर निजी पूंजी का निवेश हर क्षेत्र में हो तो यह स्वागत योग्य है, आज की जरूरत है लेकिन निजी पूंजी निवेश से कहीं उसमें सरकारी धन का लीकेज तो नही हो रहा यह देखना होगा ? यदि उसका कोई लाभ प्राप्त न हो तो ऐसा योजनाओं से क्या लाभ है ? अगर सरकारी धन का लीकेज होता है तो उसका कोई लाभ नहीं है । आज जो संस्थाएं आपके पास हैं, आप इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आपको इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड का सर्टिफिकेट मिला है । नगरीय विकास के लिए आपने अनेक बातों का जिक्र किया है । इसमें आप एक सा प्राविधान कीजिए कि यह दो तीन व्यक्तियों तक सीमित न रहे । ऐसा न हो कि किसी एक की मोनोपोली हो जाय तो मोनोपोली न होने पाये इसका आप ध्यान दें । सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसमें सरकार का कुछ हिस्सा होगा कि नहीं । कर्नाटक में यह हुआ है और वहां इसमें प्रगति हुयी है । वहां की आवास अजेंसी नोटीफाई करती है और जो बिल्डर आते हैं उनका एक पैनल बना लिया जाता है और उन्हीं में से दिया जाता है जो यह काम करने में सक्षम होते हैं । वह किसानों से बात करके जमीन का एक्वीजीशन करते हैं और नेगोशियेशन करके मुआवजा देते हैं । इस तरह से वहां किसानों को मुआवजा मिल जाता है और मुआवजे के लिये उनको दौड़ना नहीं पड़ता है । मकान आदि बन जाने के बाद जब उनकी रजिस्ट्री होती है तो जो प्राफिट होता है उसका 10-12 परसेंट रायल्टी के रूप में मिलता है । इससे वहां की सरकार की आमदनी भी बढ़ रही है और प्राइवेट पूंजी निवेश भी हो रहा है । लेकिन यहां पर यदि हम ऐसा न करें और कुछ लोग इसे अपने हाथ में ले लें और यदि कोई दिक्कत आती है तो सरकार के ऊपर संकट आता है तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा कि कैसे यह दायित्व कुछ लोगों को दिया गया और बाकी लोग बेकार हो गये । अगर यह प्रयोग सफल नहीं हुआ तो क्या होगा ।

मेरा सुझाव है कि इस सब बातों पर गंभीरता से विचार कर लें और सुधार कर लें और नीति में एक आध सुझाव यदि आवश्यक समझे तो शामिल कर लें । अन्यथा सरकार को तो अधिकार है कि यह अपनी जो चाहे नीति बनाये । हम अपनी राय दे सकते हैं । बहुत सी बातों में आपने राय मानी है और इसमें मानना चाहते हैं तो मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार कर ले । मान्यवर, चीनी मिलों के बारे में, जाहिर है कि यह सरकार के ऊपर लाईवेल्टी है जो भी आप नीति बना रहे हैं यह सूबे के हित में हो, इसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है । बिजली और आवास के बारे में बहुत कम को जानकारी होगी जितनी मुझे है । मैं यह दम्भ के साथ नहीं कह रहा हूं मैं अपने लम्बे कार्यकाल के आधार पर इन दोनों के बारे में बताया है आप विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

डा० बाजपेयी ने जो लिखित सुझाव दिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणायें की हैं उस पर कल थोड़ी सी चर्चा करा ली जाए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, अगर सदन में इस पर विचार हो जायेगा तो इस पर उपयोगी सुझाव आ जायेंगे । नीति की घोषणा सदन की सम्पत्ति हो गयी है । अगर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के सुझाव आ जायेंगे और सरकार उनको लागू कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी । मान्यवर, चर्चा की मांग करना हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं । कल चर्चा हो जाए कल न हो सके तो परसों करा दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष, महोदय, माननीय प्रतिपक्ष ने जो सुझाव रखे, यह सही है कि उनको अनुभव है । थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी है क्योंकि बिजली और आवास यह दोनों विभाग मेरे पास भी रहे हैं । मान्यवर, टर्न ओवर सम्पत्ति लोगों की देखी जायेगी जो लोग इसमें आयेंगे । दूसरा सवाल जो आपने उठाया है आप जानते हैं कि कानपुर में किस तरह से जमीन चली गई लेकिन मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ । हाई कोर्ट का फैसला आने में कितना समय लगा । इन सारी चीजों पर सरकार ने विचार किया है । आप कोई सुझाव देंगे तो हम उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे । जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है इसमें वही लोग आएंगे जिनकी सम्पत्ति होगी दस करोड़ सौ करोड़ नहीं अरबों रुपए लगाने की जिनकी हैसियत होगी, वही लोग कम्पटीशन में आएंगे । जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि आपको भी जनता के बीच जाना पड़ेगा हमारी नीति अगर असफल होती है तो जनता के बीच हमारी जवाबदेही होगी आप जवाबदेह नहीं होंगे । इसलिए सोचसमझकर नीति बनाई गई है । आप कोई सुझाव देना चाहते है तो हमें लिखकर दे दें अगर सुझाव ठीक होगा तो मान लिया जाएगा । हम सोच समझकर एक नीति बना चुके हैं एक और कमेटी बनाई है यह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है । उसमें एक एक सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और उन पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा । परम्परा है कि नीतिगत घोषणा सदन में हो इसलिए यहां घोषणा की गई । नहीं तो कहते कि चुपचाप हो रहा है । हम विनिवेश के खिलाफ नहीं है लेकिन यह विनिवेश अपने देश के उद्योगपतियों के माध्यम से हो । विदेशी कम्पनियों पर नियंत्रण नहीं रहता है । देश की कम्पनी किसी तरह की हो उस पर नियंत्रण के लिए सरकार के सौ हाथ होते हैं । किसी न किसी बहाने उन पर नियंत्रण रहता है । इन सब चीजों को देखकर सोच समझकर नीति बनाई गई है । इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, चर्चा कराने में क्या दिक्कत है । अगर नीति पर विस्तृत विचार हो जाएगा तो जनता में एक संदेश जाएगा इससे सरकार को फायदा ही होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपने लिखित अनुरोध किया है कल इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं दो स्पष्टीकरण चाहता हूं । जो 24 चीनी मिलें निजी क्षेत्र में दी जा रही है क्या इस वर्ष उनकी पेराई होगी । दूसरे रोजा पावर प्रोजेक्ट शाहजहांपुर में जो है उसमें निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जाएगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस विषय पर उद्योगपतियों से गम्भीरता से विचार विमर्श हुआ है । कुमारमंगलम् बिड़ला से रोजा के सम्बन्ध में बात हुई है । इससे आपको चिन्ता दूर होगी ।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आवास नीति, गन्ना नीति की घोषणा की । सरकार द्वारा 24 मिलें लीज पर दी जा रही हैं और यह बताया कि पांच साल में तीन गुना पेराई क्षमता हो जाएगी । मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 25 साल के लिए लीज पर देने की बात है तो अगर वह तीन साल में फेल हो जाए तो क्या सरकार उनको अपने हाथ में लेगी ?

श्री अध्यक्ष–

अगर फेल हो, अगर वाली स्थिति अभी नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसमें हम यह कर रहे हैं कि नई मशीन विकसित करने के लिये या मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिये कि गन्ने की पेराई ज्यादा हो सके मशीनों को तत्काल ठीक कराने के लिये पैसा दिया है । हम ऐसी नीति बनाने जा रहे है कि 5 साल के अन्दर 3 गुना किसानों के गन्ने की पेराई हो सके और उनको समय से भुगतान मिल सके । किसी कर्मचारी से किसी को खतरा न हो । मजदूर नीति की नीतियों और खतरों को देखते हुए आन्दोलन करने की बात हो रही थी हम उसके बारे में बात कर रहे है कि इस तरह का कार्य न हो । जिस तरह से हमने ओवरा में सीमेन्ट फैक्ट्री को बन्द होने से बचाया उसी तरह से इसके बारे में हम प्रयास करेंगे । दर्जनों कर्मचारी हड़ताल पर थे और भूख के कारण कुछ मर भी गये थे । आज सारे के सारे राज्य कर्मचारी कहते हैं कि आपकी सारी नीति सही थी हम गलत कर रहे थे और वह सीमेन्ट फैक्ट्री चलने लगी । इसलिये मैं माननीय राजभर जी से कहूंगा किसानों के हितों की चिन्ता को हमने ध्यान में रखा है । हम सभी गांव–किसान से जुड़े हुए लोग हों अगर हम किसान नहीं है तो भी हमको किसान के बारे में अनुभव है । हम भी जानते हैं माननीय टण्डन जी अभी बात कह रहे थे, वे भी किसान नहीं हैं, लेकिन अनुभव जरूर होगा । अभी आप बात रख रहे थे । चाहे ऊर्जा नीति हो गन्ना किसान के बारे में सबके बारे में ध्यान रखा जायेगा और उसके अनुसार कार्य किया जायेगा । हमारा प्रदेश जो कि इतना बड़ा प्रदेश है बड़ा बदनाम हो रहा है । जिस का इतना सम्मान रहा है आज इसका विकास नहीं हो रहा है । रोज मैं सुन रहा हूं और कहा भी जा रहा है और यह बात सही भी है कि हम बिहार से भी पिछड़ रहे हैं और हमको विकास करना है । बाकी के प्रदेश हमसे आगे निकल गये हैं यह हमारे लिये गम्भीर चिन्ता का विषय है । प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है । हमने इस बारे में सोचा है और जहां कमियां होंगी उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं । जो मैं कहना चाहता था उस बात को आप लोगों ने कह दिया है कि हमको जनता के बीच में जाना होगा ।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इतने समय बाद आखिर आपने मुझको मौका दे दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं और इसलिये करता हूं कि मेरे मन में पीड़ा है । 1960 में गाजियाबाद में जमीन अधिग्रहीत की गयी थी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा और वहां के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल सका । वे बेचारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही चक्कर लगाते रहे और अब इस प्रदेश के सचिवालय में चक्कर लगा रहे है । जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है निश्चित रूप से उससे किसानों की 'आन द स्पाट निगोशिएशन होगा और

किसान परेशान नहीं होगा, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। अभी विद्युत की बात आईथी। 1979 से अब तक बी०जे०पी० की सरकार रही और यह इसी में लगे रहे। बाहर से कम्पनियां आई थीं लेकिन कमीशन तय करने के चक्कर में चली गई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो बातें रखी है मैं उसका स्वागत करता हूं। (मेजें थपथपाई गई) बिजली के बिना न नगर चल सकता है न कल कारखाने, न प्रदेश और न विधान सभा चल सकती है। मान्यवर, बहुत देर से एक बहुत बड़ी जिज्ञासा मन में थी देश के शहीदों के गांवों के इर्द गिर्द विकास की बात कही गयी है वह बहुत स्वागत योग्य है। बहुत नाम होता है उस क्षेत्र का और उसके साथ विकास भी जुड़ जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पत्नियों के लिए कुछ आवासीय योजनायें होती है हमारे जिले में 41 शहीद है इन शहीदों की पत्नियों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास विकास और नगर निगम आवास बना रहा है, सहकारी संस्थायें आवास बना रही हैं इसमें यदि ऐसा हो जाए कि शहीदों की पत्नियों को आवास कोई विधायक देना चाहे, उसकी मदद करना चाहे, वह झोपड़ियों में रह रही है जो शहीद सिपाहियों की पत्नियां है जो बड़े अधिकारियों की पत्नियां हैं वह तो सम्पन्न हैं, सिपाही मोर्चे पर लड़ते हैं उनके घरवालों की स्थिति दयनीय है मैं नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि कोई विधायक अपनी निधि से सरकारी सत्यापन होने के बाद उनको अपनी विधायक निधि से आवास देना चाहता है तो क्या इजाजत देंगे अगर इसकी अनुमति मिल जाएगी तो हम बहुत आभारी होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं मुख्य मंत्री जी जब से सदन चल रहा है बराबर सदन में रहते हैं.....

(मेजें थपथपाई गई)

इससे पहले वाले मुख्य मंत्री 10-5 मिनट सदन में बैठकर चले जाते थे, यह मुख्य मंत्री सदस्यों की मांग को मान सकते हैं।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, हमारे यहां गाजियाबाद में एक निर्मम हत्या जो हुई है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमन् 6 तारीख को एक हत्या गाजियाबाद के धौलाला गांव में हुई .....

श्री अध्यक्ष–

हमारे पास कोई सूचना नहीं दी।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

वहां हत्या हुई लेकिन वहां शासन प्रशासन ने कोई अप्रिय घटना नहीं होनी दी। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं जो दलित व्यक्ति मरा है उसके लिए पांच लाख मुआवजे की मांग करता हूं। ताकि उसके परिवार के लोग जीवन यापन कर सकें तमाम घोषणायें आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है ...

(मेजें थपथपाई गई)

हैण्डपम्पों के लिए सड़कों के लिए; विद्युतीकरण के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

(मेजें थपथपाई गई)

पांच किलोमीटर पी०डब्लू०डी० की भी कर दी है इस पर भी कृपा कर दें। वही मुख्य मंत्री है जो सदन में बैठे हैं वह मुख्य मंत्री नहीं है जो सदन में नहीं बैठते हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लग सकता है न लगेगा।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय एक महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने रखा है शहीदों की पत्नियों को आवास देने के लिए इस पर विचार कर लेंगे कि उनको आवास देने के लिए सरकार की तरफ से नियम बनाए जायेंगे या फिर विधायकों द्वारा चयनित किया जाएगा । दूसरी जो आपने पांच लाख देने की बात कही है तो उसमें मैं एक लाख रुपया तत्काल देने की घोषणा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम नरेश यादव जी ने नियम–56 में चीनी मिल से सम्बन्धित एक सूचना दी थी उसको नियम–51 में परिवर्तित कर दिया गया है उस समय तक यह पता नहीं था कि चीनी की, चीनी मिल से संबंधित नीति की घोषणा करेंगे । रामनरेश जी बैठे हुए हैं अगर स्पष्टीकरण पूछना चाहते हों तो आपकी सूचना का निस्तारण हो जाएगा ।

श्री रामनरेश यादव–

जो पूछना था सारे प्रश्न आ गए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने नीतिगत वक्तव्य दिया है ।

(मेंजें थपथपाई गई)

इसमें कोई प्रश्न नहीं है जैसा कि सम्मानित सदस्य गोयल जी ने मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दिया ।

श्री राम नरेश यादव–

मैं भी अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस तरह हमने समर्थन दिया है, वैसा समर्थन बराबर देते रहेंगे, धन्यवाद ।

**उत्तर प्रदेश अपार्टमेण्ट (निर्माण,स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव का स्थगन (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इस सिलसिले में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि विधान परिषद् से तो पारित हो गया है, विधान सभा से आज पारित होना था, लेकिन इसमें कुछ विचार करना है, हम इसमें कुछ संशोधन, रद्दोबदल चाहते हैं, इसमें विचार की आवश्यकता है । इसे देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें विचार की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मद सं०–15 और 16 को स्थगित कर देते हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसे स्थगित न करें, इसे वापस ले लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

कल इसके लिए प्रस्ताव ले आइयेगा आज स्थगित कर देते हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ठीक है, मान्यवर, ।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की — प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री राम किशुन की — जनपद चन्दौली के मौजा खुरहट में प्रदूषित पानी पीने से हुई मौत के संबंधित परिवार को सहायता देने एवं स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।

श्री बीजू पटनायक की — जनपद गाजीपुर के सैदपुर भीतरी के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की — प्रदेश के सभी जल सम्पूर्ति एवं सीवर कार्य जल निगम से कराये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री जगदीश नारायण राय की — जनपद जौनपुर के बदलासी विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवशेष कार्यों को पूरा कराये जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की — जनपद फतेहपुर में मुसाफा करविगवा मार्ग पर स्थित रिन्द नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

श्री नवाब सिंह नागर की — गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के रुके हुए निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के संबंध में ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मोती सिंह" की — जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, पट्टी, आसपुर देवसरा के ग्रामों का अधूरा पड़ा विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में ।

श्री विश्राम सिंह यादव की — जनपद हरदोई के तहसील विलग्राम में बन्द पड़े मुंसफी कोर्ट को पुनः खोले जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 2-श्री उदयराज यादव, 3-प्रो० रविन्द्र पुण्डीर, 4-श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया, 5-श्री जगन प्रसाद गर्ग और 6-डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा ।

## प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा० अशोक बाजपेयी)–

मान्यवर, मा० डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस पर वस्तुस्थिति निम्न है :–

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

पढ़ा मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य खाद्य एवं रसद मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

मा० डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई नोटिस पर वस्तुस्थिति निम्न है:–

(क) ग्रामीण क्षेत्रों को जब 08 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही थी तब शहरी क्षेत्रों को आपूर्तित विद्युत का विवरण निम्नवत् है (माह अगस्त–2003)

| | |
|---|---|
| तहसील स्तर | 10.31 घण्टे |
| जनपद स्तर | 17.10 घण्टे |
| मण्डल स्तर | 18.45 घण्टे |
| महानगर | 21.08 घण्टे |
| बुन्देलखण्ड क्षेत्र | 17.05 घण्टे |

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति (सितम्बर, 2003) से की गई तब नगरीय क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नवत् है –

| | सितम्बर 2003 | अक्टूबर 2003 | नवम्बर 2003 |
|---|---|---|---|
| तहसील स्तर | 15.10 | 15.45 | 14.38 |
| जनपद स्तर | 17.45 | 18.36 | 16.17 |
| मण्डल स्तर | 19.57 | 20.42 | 19.36 |
| महानगर | 22.25 | 22.37 | 21.55 |
| बुन्देलखण्ड क्षेत्र | 17.28 | 18.32 | 15.48 |

ऊपर दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ी विद्युत आपूर्ति के कारण नगरों की विद्युत आपूर्ति कम नहीं की गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों एवं तहसीलों को 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने के कारण लगभग 7 मिलियन यूनिट (1200-1400 मेगावाट) की अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता निम्न प्रकार से पूरी की जा रही है :

(अ) राज्य सेक्टर के तापीय विद्युत गृहों से उत्पादन बढ़ाकर ।

(ब) केन्द्रीय सेक्टर से अधिक विद्युत आयात करके ।

जो निम्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है :–

**औसतन प्रतिदिन विद्युत उपलब्धता का तुलनात्मक विवरण (मिलियन यूनिट)**

| | सितम्बर | | अक्टूबर | | नवम्बर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य सेक्टर | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| 1–तापीय | 54.5 | 51.1 | 56.8 | 60.3 | 54.5 | 59.6 |
| 2–जलीय | 3.3 | 7.7 | 4.5 | 7.2 | 3.9 | 6.6 |
| योग | **57.8** | **58.8** | **61.3** | **67.5** | **58.4** | **66.2** |
| **केन्द्रीय सेक्टर से आयात** | | | | | | |
| | 41.4 | 52.7 | 46.3 | 53.7 | 49.4 | 52.4 |
| कुल उपलब्धता | **99.2** | **111.5** | **107.6** | **121.2** | **107.8** | **118.6** |

मेरठ नगर में प्रतिदिन 09.00 बजे से 13.00 बजे तक निर्धारित अवधि में रोस्टरिंग की जाती है इस प्रकार मेरठ को लगभग 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

विद्युत कटौती यथा सम्भव निर्धारित अवधि में ही कराए जाने के प्रयास किए जाते हैं परन्तु कभी-कभी प्रणाली की सुरक्षा हेतु आकस्मिक कटौती भी कराना अनिवार्य हो जाता है ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं इसमें दो स्पष्टीकरण चहता हूं । मेरठ नगर में जो बिजली की कटौती हो रही है, उसके बारे में बताया । लगातार 15 दिन से रात्रि में 9 से 12 बजे तक अतिरिक्त बिजली की कटौती हो रही है । रात्रि 9 से 12 बजे तक मेरठ महानगर यह काल जैसा ब्लैक आउट अन्धकार में रहता है, यह हमारी सूचना है और जहां से यह सूचना प्राप्त की गयी है या गलत फीड किया गया है, यह नितान्त सत्य से परे है कि केवल 4 घण्टे विद्युत की कटौती हो रही है । 4 से 6 घण्टे सुबह कटौती है और 3 घण्टे की रात्रि में कटौती है । और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि एन०टी०पी०सी० से जो अतिरिक्त बिजली खरीद रहे हैं, उससे सरकार पर क्या व्यय-भार पड़ रहा है ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 20 घण्टे दी जा रही है, हो सकता है माननीय बाजपेयी जी के पोल से न जा रही है, उसमें खराबी हो ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि सम्पूर्ण मेरठ महानगर में 9 से 12 बजे रात्रि में बिल्कुल ब्लैकआउट लग जाता है । आप हमारे मकान की बात कर रहे हैं, यह उचित नहीं है ।

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, नेता सदन का आश्वासन है कि बिजली दी जायेगी ।

**जनपद बलिया में श्री ओम प्रकाश राय के घर हुई लूट से सम्बन्धित अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने विषयक श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदस्य द्वारा दिनांक 23-5-2003 को रसड़ा....

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, पढ़ा मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

। थाना अन्तर्गत जनपद बलिया के ग्राम पहाड़पुर में श्री ओम प्रकाश राम भाजपा कार्यकर्ता के घर पर धावा बोलकर सुवाष राम के साथ दर्जनों अपराधियों द्वारा सामान लूट लिए जाने एवं उनके घर में आग लगाने के सम्बन्ध में 17 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई थी । परन्तु प्रतिवादी के पापा विधायक श्री घुराराम के भाई होने के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप बलिया जनपद में विशाल आन्दोलन खड़ा हो गया तथा पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता से जन मानस में भय एवं आक्रोश व्याप्त है ।

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जिला एवं पुलिस प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पहाड़पुर थाना रसड़ा जिला बलिया का भूखण्ड संख्या 684 रकब 0.05 एयर राजस्व अभिलेखोंमें खलिहान दर्ज है जिस पर उसी गांव के निवासी श्री चन्द्रिका प्रसाद का कब्जा था और उन्होंने उस पर एक झोपड़ी बना रखी थी । तहसीलदार रसड़ा द्वारा चन्द्रिका प्रसाद को दिनांक 31-12-2002 को बेदखल किया गया तथा पुनः दिनांक 10-4-2003 को कब्जा पुर्नस्थापित करा दिया गया । इस भूखण्ड के कब्जे को लेकर न्यायालय सिविल जज बलिया के समक्ष वाद संख्या–859/2000 सुभाष बनाम चन्द्रिका आदि विचाराधीन है । दिनांक 23-5-2003 को वादी श्री चन्द्रिका प्रसाद ग्राम पहाड़पुर की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०–92/2003 अन्तर्गत धारा 147/148/149/504/506/427/435 भा०दं०वि० बनाम सुवाष चन्द्र आदि 16 नगर नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । इसी क्रम में वादी श्री सहदेव राम ग्राम पहाड़पुर की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०–92ए/2003 अन्तर्गत धारा 147/148/149/504/506/379/2/435 भा०दं०वि० बनाम ओम प्रकाश आदि 9 नफर नामजद व कुछ अज्ञात पंजीकृत कराया गया । इन दोनों अभियोगों की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्ण कर ली गयी है तथा अपराध संख्या 92/2003 में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग सिद्ध पाये जाने पर आरोप-पत्र दिनांक 19-11-2003 को एवं मु०अ०सं०–92ए/2003 में अभियुक्तों के विरुद्ध

---

नोट :–। ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अभियोग सिद्ध न होने पाने के कारण दिनांक 28-11-2003 पर अन्तिम आख्या मा० न्यायालय के समक्ष प्रेषित की जा चुकी है ।

उभय पक्षों में कसीदगी को देखते हुए उभय पक्ष के सुबोध चन्द्र आदि व ओम प्रकाश आदि का चालान अन्तर्गत धारा 107/116 सी०आर०पी०सी० के तहत दिनांक 5-6-2003 की कार्यवाही की गयी तथा उभय पक्ष के प्रत्येक सदस्यों को दिनांक 5-7-2003 को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर पाबन्द कराया गया ।

दिनांक 17-7-2003 को श्री राम प्रवेश भारती, ग्राम कसौहर थाना भीमपुरा की लिखित सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०–114/2003 अन्तर्गत धारा 147/325/504/323 भा०दं०वि० व 3(1) 10 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का अभियोग श्री राम इकबाल सिंह आदि 10 नफर के विरुद्ध अंकित हुआ जिसमें बसपा के कार्यकर्ताओं को मारने-पीटने का जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप था इस घटना में घायल व्यक्तियों का डाक्टरी मुआयना कराया गया तथा सम्बन्धित दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी गयी । ]

दिनांक 27-7-2003 तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, रसड़ा श्री सर्वजीत शाही की लिखित सूचना पर मु०अ०सं० 123/2003 अन्तर्गत धारा 309 भा०दं०वि० बनाम ओम प्रकाश स्थानीय थाना पर पंजीकृत हुआ तथा ओम प्रकाश को उक्त धारा में गिरफ्तार किया गया । इस अभियोग में श्री ओम प्रकाश को आमरण अनशन पर बैठकर तथा स्वास्थ्य में गिरावट आने पर प्रयास करने के उपरान्त भी चिकित्सीय सहायता न लेने हेतु आत्महत्या का प्रयास करने का आरोप है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार विवादित भूखण्ड ग्राम पहाड़पुर पर अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य किया जा रहा था, पर मा० न्यायालय द्वारा वर्तमान में स्थगन आदेश प्रभावी है तथा उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है । ]

**ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर बढ़ाकर नोएडा के बराबर किये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन तथा स्थानीय भू०स्वामियों के प्रतिनिधि संगठनों से वार्ता....

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ कर मुआवजे की दर के निर्धारण, आदि के सम्बन्ध में शासन को संस्तुति देने हेतु शासनादेश सं० 2023/77-4-03 दिनांक 17 मई, 2003 द्वारा आयुक्त मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी जिसमें औद्योगिक विकास विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोयडा सदस्य के रूप में सम्मिलित थे ।

समिति की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 03 को निर्धारित थी, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा समिति की वैधानिकता के सम्बन्ध में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा था, अतः राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–1410/1-13-2003-11-13 दिनांक 06 अगस्त, 2003 द्वारा समिति की बैठक स्थगित कर दी गयी । इस सम्बन्ध में तत्कालीन औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राजस्व विभाग एवं न्याय विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 27-8-2003 को शासन स्तर पर एक बैठक आयोजित की गयी । बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि समिति की वैधानिकता के सम्बन्ध में कोई बिन्दु निहित नहीं है, अतः समिति का गठन विधि सम्मत है ।

समिति की बैठक अभी नहीं हुई है । अतः समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।]

**पूर्वी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों की स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदीश नरायण राय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की नंदगंज चीनी मिल 1978 में स्थापित की गयी थी निरन्तर घाटे में यह मिल सत्र 1997-98 तक संचालित रही ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा माना जाता है ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा माना गया ।)

[संचित संचालन हानि रु० 51-22 करोड़ होने के फलस्वरूप मिल को सत्र 1998-99 से बन्द कर दिया गया । नन्दगंज चीनी मिल पर गन्ना मूल्य बकाया नहीं है । इस मिल क्षेत्र का गन्ना निकटवर्ती घोसी/रसड़ा चीनी मिल को व्यावर्तित किया गया है ।

2–उ०प्र० चीनी निगम की शाहगंज चीनी मिल सत्र 2002-2003 तक संचालित रही है । चीनी मिल द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है । अलाभकारी क्षमता (1016 टी०सी०डी०)

जीर्ण-शीर्ण यंत्र संयंत्र तथा पुरानी तकनीकी के फलस्वरूप मिल निरन्तर घाटे में रही एवं वर्ष 2002-2003 तक संचित संचालित हानि रु० 63.38 करोड़ हो गई है । घाटे की स्थिति को देखते हुए इन मिल के क्षेत्र में पेराई हेतु उपलब्ध गन्ने का व्यावर्तन निकट की चीनी मिलों को किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि गन्ना किसान का हित सुरक्षित रहे ।

(3) दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव की स्थापना वर्ष 1975-76 में की गई थी । 1250 टन पेराई क्षमता वाली चीनी मिल को 20.00 लाख कुन्टल गन्ने की आवश्यकता होती है । इन चीनी मिल की प्लान्ट व मशीनरी अत्यन्त जर्जर हो चुकी है । विगत वर्षों में इस चीनी मिल को भी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता नहीं रही । विगत वर्ष मात्र 9.69 लाख कुन्टल गन्ना की पेराई की गयी । मिल को विगत वर्ष रु० 12.78 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है तथा अब तक रु० 87.94 करोड़ को संचित हानि हो चुकी है । मिल चलाने पर रु० 1076.49 लाख की हानि अनुमानित है तथा न चलाने पर रु० 765.66 लाख । सत्र 2002-2003 में क्रय किए गये गन्ना का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान शासन ने ऋण प्राप्त करके कर दिया गया है । चीनी मिल सठियांव की अलाभप्रदता के कारण चीनी मिल चलाए जाने का औचित्य नहीं पाये जाने पर इस क्षेत्र का गन्ना घोसी चीनी मिल को व्यावर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा सठियांव क्षेत्र का सम्पूर्ण बान्डेड गन्ना क्रय कर पेराई की जायेगी ताकि गन्ना किसानों का हित सुरक्षित रह सके ।

4–दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई की स्थापना वर्ष 1971-72 में सहकारिता के क्षेत्र में की गई थी । इस चीनी मिल का पेराई क्षमता 1250 डी०सी०डी० है जिने 20.00 लाख कुन्टल गन्ने की आवश्यकता होती है । इस चीनी मिल को प्लान्ट व मशीनरी अत्यन्त जर्जर हो चुकी है । मिल को विगत वर्ष रु० 9.28 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है तथा अब तक रु० 76.65 करोड़ की संचित हानि हो चुकी है । मिल चलाने पर रु० 778.37 लाख की हानि अनुमानित है तथा न चलाने पर रु० 561.15 लाख की । सत्र 2002-2003 में क्रय किए गये गन्ना का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान शासन से ऋण प्राप्त कर लिया गया है । इस मिल के प्रति बोरी चीनी उत्पादन की लागत रु० 3345/- आई है जबकि बिक्री से प्रति बोरी आय 1262 रुपये ही प्राप्त हुए हैं इस प्रकार चीनी मिल औराई की अलाभप्रदता के कारण चीनी मिल चलाए जाने का औचित्य नहीं पाया गया है तथा इस क्षेत्र का गन्ना निकटवर्ती चीनी मिलों का व्यावर्तित करने हेतु गन्ना आयुक्त स्तर से कार्यवाही की जा रही है जिससे गन्ना किसानों का हित सुरक्षित रह सकेगा ।

5–जहां तक किसानों द्वारा गन्ने की खेती बन्द कर दिए जाने की बात है यह सही नहीं है । किसानों द्वारा इस चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने की खेती निरन्तर की जा रही है । विगत तीन वर्षों के गन्ने का क्षेत्रफल निम्न प्रकार प्रतिवेदित है :–

| चीनी मिल का नाम | गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
|---|---|---|---|
| | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 |
| नन्दगंज | 4856 | 3869 | 3206 |
| शाहगंज | 3520 | 3911 | 3658 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सठियांव | 15494 | 14893 | 15694 |
| औराई | 5170 | 5560 | 6068 । |

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पुनः 11.00 बजे पूर्वाह्न बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 8 दिसम्बर, 2003

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

## नत्थी ''क''

(देखिये अता० प्र० सं०–97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर । )

## अतारांकित प्रश्न संख्या–97 का संलग्नक

ग्राम पंचायत हुसैनगंज सकरवारी विकास खण्ड–अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर में कराये गये कार्यों का वित्तीय वर्षवार विवरण :–

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में

1–हुसैनपुर सकरवारी ने खड़न्जा निर्माण कार्य ।
2–ललई के घर से परमदेव सिंह के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य ।
3–ग्राम पंचायत में 1000 पौध का वृक्षारोपण ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में

1–ललई के घर से परमदेव सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य ।
2–10 ह्यूम पाइप चक मार्ग पर ।
3–चौहान पुरवा से नाला तक मिट्टी पटाई कार्य ।
4–ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य ।
5–मगंरू के घर से पुलिया तक मिट्टी पटाई कार्य ।
6–राम प्यारे के नलकूप से हौसिला के घर तक मिट्टी पटाई कार्य ।
7–होरिचपुर से कुर्चा मार्ग तक मिट्टी पटाई कार्य ।
8–आडिट शुल्क ।
9–प्रशासन के व्यय ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में

1–शीतला प्रसाद के घर से राम खिलावन के घर तक मिट्टी पटाई एवं खड़न्जा कार्य ।
2–मुख्य चकरोड से शहीद के स्थान तक मिट्टी पटाई ।
3–हुसैनपुर सकरवारी गांव में मिट्टी पटाई ।
4–राम आधार के घर से दक्षिण तरफ नाला सफाई कार्य ।
5–राकेश के घर से विकास के घर तक मिट्टी पटाई ।
6–सड़क से झिनकू के नलकूप तक मिट्टी पटाई ।
7–परसू के घर से राम आधार के घर तक मिट्टी पटाई ।
8–कुर्चा सरहद से झिनकू के घर तक मिट्टी पटाई ।
9–आडिट शुल्क ।
10–प्रशासानिक व्यय ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 1 विधान सभा (4)–7-4-2004-813 प्रतियां (डी० टी० पी०) ।